बृहस्पतिवार,
११ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation 13.3.12

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

बृहस्पतिवार, ११ मार्च, १९५४

सभा एक बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

साइकिल (आयात)

*८९३. **श्री बहादुर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जनवरी से जून, १९५४ के लिये आयात नीति के अन्तर्गत साइकिलों के आयात के लिये कोई अभ्यंश दिया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या यह पूरी साइकिलों के लिये है या केवल भागों के लिये है ; तथा

(ग) क्या साइकिल के भागों के लिये कोई प्रथक अभ्यंश दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (ग) तक । हां, श्रीमान् । पूरी साइकिलों के लिये यह अभ्यंश अधिकतम आयात वाले वर्ष की मात्रा के आधे का २० प्रतिशत तथा साइकिल के भागों के लिये १५ प्रतिशत है ।

श्री बहादुर सिंह : साइकिल के किन किन भागों का आयात किया जाता है तथा किन किन देशों से ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि इस प्रश्न का पहले उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री करमरकर : श्रीमान्, कई बार ।

श्री बहादुर सिंह : मेरा पहला प्रश्न केवल पंजाब के बारे में था ।

अध्यक्ष महोदय : आप अब सारे भारत के बारे में जाननां चाहते हैं ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : हम आयात के सभी भागों को तो नहीं बता सकते हैं, परन्तु उन सब भागों के नाम बता सकते हैं जिनका आयात नहीं किया जा सका है । फ्रेम, इस्पात की सलाखें, हेंडल, ब्रेकें, साइकिल स्टेन्ड, लेम्पें, गियर कवर तथा चैनकवर वे सब भाग हैं जिनका आयात नहीं किया जा सका । यह कहना कठिन है कि किन किन वस्तुओं का आयात किया जा सकता था ।

श्री बहादुर सिंह : क्या साइकिलों तथा साइकिल के भागों के आयात से स्वदेशी उत्पादन पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, तथा यदि हां, तो किस सीमा तक ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मंत्रालय सारे प्रश्न पर बड़े ध्यान विचार से करता है । कभी कभी साइकिल तथा साइकिल

के भागों के उत्पादन के बारे में स्थानीय उद्योगों की सहायता करने के लिये इन अभ्यंशों पर पुनः विचार किया जाता है। हमने बाइसिकिल उद्योग के विकास के लिये एक विकास परिषद की स्थापना कर रखी है जो ऐसे मामलों में हमें परामर्श देती है।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच है कि आयात अभ्यंश की बांट केवल उन्हीं सार्थों में की गई थी जो कितने ही समय से आयात कर रहे हैं तथा क्या इस व्यापार क्षेत्र में नवागन्तुकों के प्रार्थनापत्र बिना अपवाद के अस्वीकार कर दिये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: अभ्यंश के बहुत सीमित होने से स्वभावतः हम नवागन्तुकों अर्थात् नये व्यापारियों को भाग नहीं दे सकते हैं, परन्तु जब कभी उन्हे स्थानीय निर्माताओं से वस्तुओं के प्राप्त करने की इच्छा हुई है, उन्हे अभ्यंश दिये गये हैं।

फिल्मी गाने

***८९४. सेठ गोविन्द दास:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आल इंडिया रेडियो, दिल्ली से १९५३ में कितने फ़िल्मी गाने या रिकार्ड किये हुये गाने प्रसारित किये गये ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): एक विवरण सदन टटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७८]**

सेठ गोविन्द दास: क्या इस सम्बन्ध में सरकार के पास कुछ शिकायतें पहुंची हैं कि इन फिल्मी गानों के प्रसारण के कारण इस देश का नैतिक चरित्र बहुत गिरता जा रहा है ?

डा० केसकर: सरकार के पास कई बार शिकायतें पहुंची हैं और अगर माननीय सदस्य स्टेटमेंट् को ठीक से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इस में फिल्मों के गानों की संख्या सन् १९५३ में ५१ और ५२ की अपेक्षा बहुत कम है, गत साल में उनकी संख्या में काफ़ी कमी हो गई है। यहां पर मैं यह बतला दूं कि हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि फिल्मी गाने बिल्कुल बंद कर दिये जांय, बल्कि हमारा उद्देश्य यह है कि उनकी संख्या कम कर दी जाय और जो अच्छे हों उन्हीं को हम ब्राडकास्ट करें।

सेठ गोविन्द दास: जहां तक इन गानों का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में क्या कोई इस तरह की कमेटी है कि जो इस बात को तय करे कि कौन से गाने अच्छे हैं और कौन से ठीक नहीं हैं।

डा० केसकर: बाक़ायदा कोई एक कमेटी इस समय नहीं है, और चूंकि इस समय जो फ़िल्म प्रोड्यूसर्स जिनका हमारे साथ पहले कंट्रैक्ट था, अब अधिकांश का हमारे साथ कोई कंट्रैक्ट नहीं है, इसलिये इस प्रकार की कमेटी की कोई आवश्यकता हमें मालूम नहीं पड़ी, लेकिन अगर फिर से ऐसा कंट्रैक्ट हो जाय और काफ़ी संख्या में फिल्मी गानों को हमें देखना पड़े कि कौन से लिये जांय और कौन से न लिये जांय, तो हो सकता है कि हम इसके लिये कोई एक बाक़ायदा कमेटी बना दें।

डा० रामा राव: क्या सरकार को श्रोताओं से अधिक फ़िल्मों तथा आधुनिक गानों के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, तथा यदि ऐसा है, तो सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

डा० केसकर: सरकार को श्रोताओं से केवल फिल्मी गानों की ही नहीं, बल्कि और भी कई प्रकार के गानों की प्रार्थनायें प्राप्त हुई हैं तथा इन सब प्रार्थनाओं को विचार में रखा जाता है तथा ऐसा करते समय इस

सिद्धांत को भी सामने रखा जाता है कि श्रोताओं को यथासम्भव विभिन्न प्रकार का कार्यक्रम उपलब्ध किया जाय ।

फरीदाबाद में मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोवों का निर्माण

*८९५. **श्री वी० पी० नायर**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फरीदाबाद की टेक्नीकल संस्था में मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोवों के निर्माण को बंद कर दिया गया है ; तथा

(ख) यदि ऐसा है तो कितने काल के लिये तथा किन कारणों से ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी नहीं ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री वी० पी० नायर: पहले मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोवों का मासिक उत्पादन कितना था तथा इस समय कितना है ?

श्री जे० के० भोंसले: क्या वह इसे सारे वर्ष के लिये जानना चाहते हैं ?

अध्यक्ष महोदय: क्या पिछले वर्ष के सम्बन्ध में ?

श्री वी० पी० नायर: मैं अधिकतम उत्पादन के समय का औसत मासिक उत्पादन तथा इस समय का उत्पादन जानना चाहता हूं ।

श्री जे० के० भोंसले: औसत से प्रति मास उत्पादन २५० स्टोवों का था । पूरा उत्पादन पहले ही आरम्भ हो चुका है तथा पहले बनाये गये भागों में से त्रुटियों को भी दूर किया जा रहा है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या यह सच नहीं है कि कुछेक स्थानीय ख़रीद की वस्तुओं विशेषत: टांके से जोड़ने की वस्तुओं के शीघ्र न मिलने से इन स्टोवों के बनाने में कितने ही समय तक रुकावट पड़ी रही थी ?

श्री जे० के० भोंसले: जी नहीं । कारण यह नहीं है ।

श्रीमती ए० काले: क्या सरकार को विदित है कि फरीदाबाद में बनाये गये स्टोव घटिया प्रकार के हैं तथा यदि ऐसा है, तो सरकार ने इनमें सुधार करने के क्या उपाय किये हैं ?

श्री जे० के० भोंसले: प्रारम्भ में वे घटिया प्रकार के थे, परन्तु मुझे बताया गया है कि जैसे जैसे हम उन्नति करते जा रहे हैं, ये बाज़ार में बिकने योग्य हैं ।

साइकिलें

*८९६. **श्री झूलन सिन्हा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) साइकिल-निर्माण कारखानों को पूरे सामर्थ्य से काम करने योग्य बनाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) बाईसिकिलों की आवश्यकताओं तथा प्रदाय में जो अन्तर है, उसे पूरा करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ; तथा

(ग) यदि देश में आयात की गई या बनाई गई साइकिलों का निर्यात किया जाता है तो किस सीमा तक ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख)। साइकिलों के अन्तर्देशीय उत्पादन तथा मांग में अभी तक बहुत अन्तर है । निस्सन्देह सरकार यह देखेगी कि देश की मांग अन्तर्देशीय उत्पादन से ही यथासम्भव पूरी हो जाय । यह एक रक्षित उद्योग है तथा आयात पर काफी अधिक शुल्क लिया जाता है । स्वयं यही बात साइकिल-निर्माण के स्वदेशी कारखानों में उत्पादन को अधिक-

तम करने का एक उत्साहजनक उपाय है । इसके अतिरिक्त साइकिल उद्योग पर निरन्तर देख रेख तथा विचार किया जाता है। निर्माण के कारखानों को उत्पादन बढ़ाने योग्य बनाने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ग) सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं है ।

श्री झूलन सिन्हा: क्या देश की आवश्यकताओं तथा उपलब्धता के अन्तर को दूर करने में समर्थ होने के लिये उद्योग ने अधिक सुविधाओं के दिये जाने की मांग की है ?

श्री करमरकर: जी हां, उत्पादन में प्रोत्साहन देने के लिये सरकार उन्हे और सुविधायें दे रही है। ये सुविधायें कच्चे सामान तथा अपेक्षित मशीनों के प्रदाय और प्रशुल्क सम्बन्धी रक्षण के रूप में हैं।

श्री मुनिस्वामी: इन में से कितने निर्माण कारखानों में कर्मचारी विदेशी हैं तथा स्वदेशी निर्माण फैक्टरियों की तुलना में वे कारखाने कैसे हैं ?

श्री करमरकर: तुलनात्मक रूप से स्थानीय उत्पादन काफ़ी अच्छा है । यह बिल्कुल ठीक है ।

अध्यक्ष महोदय: इनमें से कितने कारखाने विदेशियों द्वारा चलाये जाते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): ऐसे कारखाने कई हैं – ये लगभग आठ हैं। छः में तो उत्पादन हो रहा है तथा दो में उत्पादन के आरम्भ होने की सम्भावना है । इनमें से केवल दो का सम्बन्ध विदेशियों से है । मैं समझता हूं कि एक कारखाने में एक विदेशी सेवायुक्त है । दूसरे के मामले में मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता । हो सकता है एक या दो हों ।

श्री नानादास: साइकिल निर्माण कारखानों ने निर्धारित सामर्थ्य तक उत्पादन न कर सकने का क्या स्पष्टीकरण दिया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: "निर्धारित सामर्थ्य" एक बहुत भ्रमात्मक शब्द है । माननीय मित्र ने इस विषय पर बहुत से प्रश्न पूछे हैं । स्वभावतः वह हमें उस आंकड़े तक सीमित कर देना चाहते हैं । परन्तु मेरा ऐसा विचार नहीं है कि उन्होंने यथा सम्भव सीमा तक उत्पादन नहीं किया है । केवल एक फैक्टरी में, जिसे स्थापित हुये कुछ समय हो चुका है, सन् १९५२-५३ में ५,००० साइकिलों का उत्पादन हुआ था तथा अब यह आंकड़ा १४,००० साइकिलों तक पहुंच गया है । वे अधिकतम सीमा तक पहुंचे दिखाई देते हैं तथा अब वे विस्तार का विचार कर रहे हैं । दूसरी दो बड़ी फैक्टरियों में भी इस वर्ष के अन्त तक अधिकतम उत्पादन सीमा तक, जिसका अनुमान १००,००० साइकिलें प्रति वर्ष प्रति कारखाना है, पहुंचाने की आशा की जाती है । परन्तु जहां तक निर्धारित सामर्थ्य तथा वास्तविक उत्पादन के बीच की कमी का सम्बन्ध है, इस में कई विचारणीय तत्व हैं । कई बार बिजली कट जाती है तथा कई बार कच्चा सामान थोड़ा मिलता है या मज़दूरों की गड़बड़ हो जाती है अथवा उपकरणों आदि में ख़राबी हो जाती है । अतएव निर्धारित सामर्थ्य तक न पहुंच सकने का स्पष्टीकरण देना सदैव सम्भव नहीं होता है ।

श्री करमरकर: मैं इतना और बता दूं कि दो फैक्टरियों के सम्बन्ध में वास्तविक उत्पादन वास्तव में निर्धारित सामर्थ्य से अधिक है ।

सामुदायिक परियोजनाओं के लिये सामान का आयात

***८९७. श्री एस० एन० दास:** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत की सामुदायिक परियोजनाओं के लिये अपेक्षित सामान का आयात करने के लिये अमरीकी सरकार द्वारा भारत-अमरीकी सहकारिता निधि को कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ख) जिन सामानों को मंगाने के लिये आदेश दिया गया है, वे किस प्रकार के हैं ; तथा

(ग) जो सामान आ चुके हैं वे कैसे और किस प्रकार के हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १०,५९६,००० डालर ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७१**]

श्री एस० एन० दास: क्या ये सब सामान अमरीका से आयात किये गये हैं या अन्य देशों से भी, और यदि अन्य देशों से भी, तो उन देशों के नाम क्या हैं ?

श्री हाथी: यह सारा सामान अमरीका से नहीं मंगाया गया है । यह योरुप के भिन्न भिन्न भागों से भी मंगाया गया है ।

श्री एस० एन० दास: क्या इन सामानों की खरीद के लिये टेण्डर आमंत्रित किये गये थे या कोई बातचीत की गई थी ?

श्री हाथी: पूर्ति और उत्सर्जन महानिदेशक द्वारा टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं ।

श्री एस० एन० दास : इस काम के लिये दी गई कुल राशि में से अभी तक कितनी राशि व्यय हुई है ?

श्री हाथी: ६.६ लाख डालर मूल्य से सामान मंगाने के आदेश दिये जा चुके हैं, और २३ लाख डालर मूल्य का सामान आ चुका है ।

श्री एस० एन० दास: क्या मैं योरुप के उन अन्य देशों के नाम जान सकता हूं जहां से ये सामान आयात किये गये हैं ?

श्री हाथी: विस्तृत सूची के लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

भारत में विदेशी यात्री

***८९८. श्री राधा रमण:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३-५४ में सरकारी निमंत्रण पर कितने विदेशियों ने भारत की यात्रा की और उसी प्रकार सरकार की इच्छानुसार कितने भारतीयों ने विदेशों की यात्रा की ;

(ख) उनकी यात्राओं के उद्देश्य क्या थे ; तथा

(ग) उनकी यात्राओं पर सरकार ने कितना व्यय किया ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग) । सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री राधा रमण: यह सूचना कब तक प्राप्त हो जायेगी ।

श्री अनिल के० चन्दा: इस प्रश्न का क्षेत्र बहुत व्यापक है । इसका सम्बन्ध भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से ही नहीं है, बल्कि हमारे विभिन्न राज्यों में भी विदेशी आते हैं । सूचना यथा सम्भव जल्दी से जल्दी एकत्रित की जा रही है ।

श्री वी० पी० नायर: क्या मैं इस सम्बन्ध में एक विशिष्ट प्रश्न पूछ सकता हूं ? क्या श्री डेनिस कानन डायल, जिन के सम्बन्ध में समाचारपत्रों में छपा था कि वह डा० काटजू के साथ ठहरे थे, भारत सरकार द्वारा आमंत्रित अतिथि थे ? मैं यह भी जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में

कोई जांच की है कि क्या यह सज्जन किसी भी रूप में अमरीका के फेडरल ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन से सम्बन्धित थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं समझता हूं कि यह प्रश्न माननीय गृह-मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय विद्यार्थी

***८९९. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालयों में रंगभेद नीति लागू कर दी है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस विधान से कितने भारतीय विद्यार्थी प्रभावित हुये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) अभी तक विधान द्वारा रंगभेद नीति, जो कि व्यवहारिक रूप में दक्षिण अफ्रीका के सभी विश्वविद्यालयों में न्यूनाधिक रूप से विद्यमान है, लागू नहीं की गई है । दक्षिण अफ्रीका की सरकार कुछ विश्वविद्यालयों पर यह ज़ोर डाल रही है कि वे ग़ैर-योरुपियों को भर्ती न करे और उसने अभी हाल ही में 'विश्वविद्यालयों में ग़ैर योरपीय विद्यार्थियों की पृथक प्रशिक्षण सुविधाओं' के सम न्ध में तीन व्यक्ति वाला एक आयोग नियुक्त किया है ।

(ख) चूंकि रंगभद नीति लागू करने वाला कोई विधान पारित नहीं किया गया है, अतः यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

चूंकि यह एक ऐसा विषय है जिसमें इस देश को बहुत रुचि है, अतः दक्षिण अफ्रीका के विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में मैं कुछ और जानकारी दे देना चाहता हूं ?

दक्षिण अफ्रीका के नौ विश्वविद्यालयों में से चार, अर्थात स्टेलन बांच विश्वविद्यालय, प्रिटोरिया विश्वविद्यालय, आरेंज फ्री स्टेट विश्वविद्यालय तथा पाचेफेस्टरूम विश्वविद्यालय, ग़ैर-योरुपीय विद्यार्थियों को बिलकुल भर्ती नहीं करते हैं ।

कुछ विशेष मामलों में केवल स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिये सीमित संख्या में ग़ैर योरोपीय विद्यार्थी रोड्स विश्वविद्यालय में भर्ता किये जाते हैं ।

नैटाल विश्वविद्यालय में योरुपीय और ग़ैर योरपीय विद्यार्थियों के लिये अलग अलग विभाग हैं । ग़ैर योरुपीय विद्यार्थियों के लिये कोई इमारत नहीं है, और कक्षायें डरबन के शास्त्री कालेज में, जो एक हाई स्कूल ह, लगती हैं ।

दक्षिण अफ्रीका विश्वविद्यालय केवल परीक्षण विश्वविद्यालय मात्र है ।

विटवाटर्सरण्ड तथा केप टाउन विश्वविद्यालय ही ऐसे दो विश्वविद्यालय हैं जिनमें रंगीन जातियों के तथा भारतीय विद्यार्थी भर्ता किये जाते हैं । विटवाटर्सरेंण्ड विश्वविद्यालय में ११८ और केप टाउन विश्वविद्यालय में ५४ विद्यार्थी हैं, परन्तु इन विद्यार्थियों को छात्रावासों में स्थान नहीं दिया जाता है और न ही उन्हें इन विश्वविद्यालयों के खेल के मैदानों का उपयोग करने की सुविधायें दी जाती हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या किसी ऐसे विश्वविद्यालय ने, जो पहले भारतीय विद्यार्थियों को भर्ती करता था, अब अश्वेत विद्यार्थियों की भर्ती कम कर दी है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैंने अभी अभी उत्तर पढ़ा है । केवल दो विश्वविद्यालय भारतीय विद्यार्थियों को भर्ती करते थे वे अभी भी ऐसा कर रहे हैं । वह सरकार द्वारा उन पर डाले गये दबाव का विरोध कर रहे हैं और मैं यह भी बता दूं कि इन दोनों

विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी संघो ने उन विश्वविद्यालयों पर भारतीय और रंगीन जातियों के विद्यार्थियों को भर्ती न करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा डाले जाने वाले दबाव का विरोध किया है ।

वर्षा तथा वर्षा के पानी के बहाव के सम्बन्ध में लेख

*९००. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग द्वारा वर्षा और वर्षा के पानी के बहाव से सम्बन्धित लेख की जांच पड़ताल कर ली गई है और उसे प्रकाशित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों को कृषि योग्य बनाने के काम में किसी भी रूप में कोई सहायता मिलेगी ; तथा

(ग) किन अन्य कामों के लिये यह लेख उपयोगी होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत अयोग द्वारा उस लेख की अभी जांच पड़ताल हो रही है और वह अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है ।

(ख) इससे सहायता मिलने की आशा है ।

(ग) यह वहां जहां नदी में समय समय पर मिलने वाले पानीं का अनुमान लम्बे अर्से के वर्षा अभिलेख से लगाना पड़ता है, नदी घाटी योजनाओं की योजना तैयार करने में सहायक होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : इस लेख के सम्बन्ध में वर्षा तथा वर्षा के पानी के बहाव पर कितने विद्वानों ने गवेषणा कार्य किया और कितने दिनों तक ?

श्री हाथी : वास्तव में यह आंकड़ों का संग्रह नहीं है । यह एक भिन्न चीज़ है । यह लेख एक प्रविधिक लेख होगा जिसमें विभिन्न दशाओं के आधार पर की गई गड़नाओं की चर्चा होगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह लेख कृषि सम्बन्धी कार्यों में किसी प्रकार उपयोगी सिद्ध होगा ?

श्री हाथी : यह इस माने में उपयोगी सिद्ध होगा कि उपलब्ध धरातल सम्बन्धी आंकड़ों से ज़मीन के अन्दर के जल सम्बन्धी साधनों का भी अनुमान लगाना संभव होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या संचार मंत्रालय के ऋतु विज्ञान विभाग को भी इससे लाभ पहुंचेगा ?

श्री हाथी : जी नहीं श्रीमान । जैसा कि मैंने कहा, यह मुख्य रूप से वर्षा के पानी के बहाव और जमीन के भीतर के पानी के सम्बन्ध में होगा, जो कि इन दशाओं पर हुई गवेषणा के आधार पर बनाये गये भिन्न भिन्न सूत्रों का हिसाब लगाने से उपलब्ध होगा ।

मिस्र के साथ व्यापार

*९०१. **श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मिश्र के साथ चौथे व्यापारिक करार पर कब हस्ताक्षर किये गये थे ;

(ख) कौन सी मुख्य वस्तुयें इस देश में आयात की जाती ह और यहां से निर्यात की जाती ह ; तथा

(ग) मिस्र के साथ जब से चौथा व्यापारिक करार किया गया और हस्ताक्षरित हुआ है तब से निर्यातित और आयात माल

का मूल्य (रुपयों में) कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मिस्र के साथ चौथा व्यापारिक करार काहिरा ८ जुलाई, १९५३ को हस्ताक्षरित हुआ था ।

(ख) (१) मिस्र से आयात की जाने वाली मुख्य वस्तुयें कपास, सूत, खाद, जिप्सम, फ्लैक्स (अलसी) हैं।

(२) भारत से मिस्र को निर्यात की जान वाली मुख्य वस्तुय चाय, तम्बाकू, जूट का सामान, मसाले, सूती माल, नारियल की जटा से बने हुये माल, तेल और तिलहन हैं ।

(ग) जुलाई, १९५३ से दिसम्बर, १९५३ तक के काल में मिस्र को निर्यात किये गये माल का मूल्य लगभग १६९ लाख रुपये है और उसी काल में वहा से आयातित माल का मूल्य लगभग ७·६९ लाख रुपये है ।

श्री के० पी० सिन्हा : इस क़रार के अधीन हम चाय की कितनी मात्रा निर्यात करने जा रहे हैं ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, कोई निश्चित मात्रा नहीं है । परन्तु यह तय हुआ है कि कुछ साल को, जिसमें चाय भी सम्मिलित होगी, मिस्र में आयात के लिये मुक्त रूप से अनुज्ञप्ति दी जायगी ।

श्री के० पी० सिन्हा : इस क़रार के अधीन हम कुल कितने मूल्य की रुई का आयात करने जा रहे हैं ?

श्री करमरकर : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं ।

श्री नानादास : क्या मिस्र में तम्बाकू की मांग बढ़ रही है ?

श्री करमरकर : जी नहीं, श्रीमान । सच तो यह है कि हमारा तम्बाकू मिस्र की बाजारों में गत युद्ध में पहुंचा था । आरम्भ में भारी मात्रा में तम्बाकू आयात किया गया था, परन्तु कु बातों के कारण, जिसमें हमारे कुछ व्यापारिय द्वारा माल की सट्टेबाजी भी सम्मिलित है, यद्धोत्तर काल में इसकी मात्रा बहुत घट गई । अभी भी हम थोड़े से तम्बाकू का निर्यात कर रहे हैं ।

गन्दी बस्तियों का हटाना

*९०२. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री १९ अगस्त, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों के हटाने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : कोई अन्तिम योजना अभी तक तैयार नहीं की गई है परन्तु जो राज्य सरकारें इस कार्य में रुचि रखती हैं उनको आदेश दिये गये ह कि हटाये जाने के लिये चुनी गई गन्दी बस्तियों में मुख्य रूप से औद्योगिक श्रमिक रहते हैं तो भारत सरकार उनके हटाये जाने की योजना को औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के आधार भूत सिद्धान्तों के आधार पर सहायता प्रदान किये जाने के उपयुक्त होने की बात पर विचार करने को प्रस्तुत होगी, तथापि सहायता की किस्म तथा परिमात्रा पर प्रत्येक मामले में होने वाले वास्तविक व्यय तथा प्रस्तावित सुधारों की रूप रेखा पर ध्यान रख कर ही विचार किया जायेगा ।

पंडित डी० एन० तिवारी : अभी तक किन किन स्टेटों से स्कीम्स आई हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अभी तक कोई निश्चित योजना प्राप्त नहीं हुई है, परन्तु मद्रास तथा मध्य भारत राज्यों ने किसी न किसी प्रकार की योजनायें भेजीं हैं।

पंडित डी० एन० तिवारी : पिछले सेशन में जवाब दिया गया था कि नौ स्कीमें आई हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि यह नौ स्कीम्स कहां कहां की थीं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह योजनायें जानकारी प्राप्त करने जैसी थीं और कोई भी योजना निश्चित सुझावों के रूप में नहीं थीं।

श्री एस० एन० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या विभिन्न राज्य सरकारों से अपनी अपनी योजनाय भेजने को कहा गया था, और यदि हां, तो कब ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मेरे विचार से जो उत्तर मैंने दिया है उस में यह बात आ जाती है। जब तक कि योजना को अन्तिम रूप न दिया जाये, हम उन से अपनी अपनी योजनायें भेजने के लिये औपचारिक रूप से नहीं कह सकते हैं। हम उन राज्य सरकारों से, जिन्होंने इस में रुचि ली है अथवा पूछ ताछ की है, पत्र व्यवहार कर रहे हैं।

पजाब में सामुदायिक परियोजनायें

*९०३. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब में सामुदायिक परियोजनाओं पर उन के प्रारम्भ से अब तक कितनी धन राशि खर्च की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : ३१-१२-१९५३ तक २४,५४,६६५ रुपये (इसमें नारायणगढ़, तरन तारन तथा कुल्लू खंड सम्मिलित नहीं हैं, इन से सम्बन्धित आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं)।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि पंचवर्षीय योजना अवधि में इन पर कुल कितनी कम खर्च की जाने को है ?

श्री हाथी : प्रत्येक सामुदायिक परियोजना खंड पर, तीन वर्ष के लिये ६५ लाख रुपया है ; प्रत्येक विकास खंड के लिये २१.६७ लाख रुपया है तथा प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार खंड के लिये ७ १/२ लाख रुपया है।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि प्रशासन पर व्यय की जानी धन राशि तथा कल्याण कार्यों पर व्यय की जाने वाली धन राशि में क्या अनुपात है ?

श्री हाथी : मैं प्रथक प्रथक आंकड़े बताने में असमर्थ हूं। पंजाब की एक परियोजना में मुख्य कार्यालय प्रशासन पर ३.८ लाख रुपये की कुल धन राशि में से यह व्यय कोई ७३,००० रुपये है।

श्री डी० सी० शर्मा : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि यह धन राशि, जो कि पंजाब में सामुदायिक विकास परियोजनाओं पर व्यय की जानी है, उस धन राशि की जो, उदाहरण के लिये, पश्चिम बंगाल में व्यय की जानी है, तुलना में कैसी है ?

श्री हाथी : सभी सामुदायिक परियोजनाओं की रूप रेखा एक समान है, केवल स्थानीय अवस्थाओं के अनुसार थोड़े बहुत अन्तर हैं।

सामुदायिक परियोजनायें (प्रगति की पड़ताल)

*९०६. **श्री ०० के० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक सामुदायिक विकास खंड में प्रगति की पड़ताल पर वार्षिक व्यय कितना होगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : कोई १२,००० रुपये ।

श्री बी० के० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि प्रत्येक परियोजना में इस कार्य के लिये क्या कर्मचारी-वर्ग (स्टाफ) नियुक्त किया गया है ?

श्री हाथी : एक परियोजना अधिकारी है, एक लिपिक, एक टायपिस्ट और दो चपरासी हैं ।

श्री बी० के० दास : क्या यही राष्ट्रीय विस्तार खंडों के लिये भी है ?

श्री हाथी : नहीं, इस जैसा नहीं है । वास्तव में, यह स्टाफ सभी सामुदायिक परियोजनाओं के लिये नहीं है । हम ने केवल १६ केन्द्र चुने हैं ।

श्री बी० के० दास : मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या इस कार्यक्रम का समस्त व्यय फ़ोर्ड प्रतिष्ठान द्वारा वहन किया जायेगा अथवा इसका कुछ भाग भारत द्वारा किये जाने वाले व्यय में से पूरा किया जायेगा ?

श्री हाथी : यह तो एक बिल्कुल प्रथक शाखा है, यह सामुदायिक परियोजना प्रशासन के बिल्कुल प्रथक है । यह तो सामुदायिक परियोजनाओं में किये गये कार्य की प्रगति की पड़ताल करने के लिये है, और यह योजना आयोग के अधीन किया जाता है ।

अमरीकी कपास

*९०७. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री बताने की कृपा करेंगे

(क) भारत सरकार द्वारा कपास के काम में न ली जाने वाली अभिज्ञप्तियों का चतुर्थ विस्तार करने के परिणामस्वरूप भारत द्वारा खरीदी गई अमरीकी कपास की कुल मात्रा तथा मूल्य ; और

(ख) किस मुद्रा में इसका भुगतान किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) खरीद की गई कपास की मात्रा तथा मूल्य के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है । इस अवधि में ४०० पौंड फी गांठ के वज़न की १७,००२ गांठें, जिनका मूल्य १,३१,०७,१५७ रुपये है, आयात की गई थीं ।

(ख) डालर में ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि अमरीका से खरीदी गई कपास की किस्में तथा उनका मूल्य क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास जानकारी नहीं है ।

श्री नानादास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमने रुपयों में भुगतान किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भुगतान डालरों में किया गया है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ऐसा कोई करार है कि हम रुपयों की मुद्रा में भुगतान कर सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी समझ में ऐसा नहीं है ।

हैदराबाद (सिंध) में वीसा कार्यालय

*९०८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हैदराबाद (सिंध) में कोई वीसा कार्यालय खोला गया है ;

(ख) अभी तक कितने व्यक्तियों को वीसा मंजूर किये गये हैं ; और

(ग) प्रति दिन जारी किये जाने वाले वीसाओं की संख्या क्या है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग) । वीसा कार्यालय खोला जा रहा है और शीघ्र ही कार्य करना आरम्भ कर देगा ।

राज्य में सिंचाई तथा विद्युत योजनायें

*९०९. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पंचवर्षीय योजना की सिफारिश के अनुसार अपने अपने क्षेत्रों में शक्ति तथा सिंचाई सम्बन्धी नवीन योजनायें आरम्भ करने के विशिष्ट कार्यों के लिये राज्य सरकारों द्वारा ऋण जारी कर सकने के लिये कोई परियोजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य लक्षण क्या हैं ;

(ग) उपरोक्त परियोजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करने वाले राज्यों के नाम क्या हैं ; तथा

(घ) उक्त राज्यों ने इस शीर्ष के अन्तर्गत कितना धन इकट्ठा किया है ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ) । यद्यपि योजना आयोग में ऐसे ऋण जारी करने के प्रश्न पर विचार किया गया था जिनकी आय स्थानीय परियोजनाओं के लिये प्रथक रखी जा सकती है किन्तु इस प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई गई । लेकिन, साधन जुटाने की परियोजनाओं में राज्य सरकारों की मदद की जा रही है ।

श्री एल० एन० मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह योजना समाप्त की जा रही है ?

श्री नन्दा : उसने विभिन्न रूप धारण कर लिया है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन अतिरिक्त साधनों को जुटाने के लिये सम्पूर्ण देश में भारत सरकार द्वारा कोई एक समान पद्धति अपनाई गई है ?

श्री नन्दा : साधन जुटाने के अनेक उपाय हैं और उन सब की छान बीन की जा रही है ।

डा० राम सुभग सिंह : मुख्य उपाय क्या क्या हैं ?

श्री नन्दा : सुधार कर, थोड़ी बचत और बाजार में ऋण प्राप्त करना ।

तिब्बत में भारतीय

*९१०. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** तिब्बत में भारतीयों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : व्यापार तथा यात्रा के लिये कई सहस्त्र भारतीय प्रति वर्ष तिब्बत जाते हैं । सारे वर्ष तिब्बत में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग ८० बताई जाती है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि तिब्बत में चीन के प्रवेश करने के पश्चात् क्या उस देश में रहने वाले स्थायी भारतीयों की संख्या में कोई कमी हुई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह संख्या बहुत कम है अर्थात् केवल अस्सी व्यक्ति । कभी कभी यह ८० से कुछ अधिक हो जाती है और कभी कभी कुछ कम लेकिन मेरा यह विचार नहीं है कि इस संख्या में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उक्त भारतीय उन्ही विशेषाधिकारों का उपभोग करते हैं जो उन्हें चीन के उस देश में प्रवेश करने पर मिलते थे ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास इसके विरुद्ध जानकारी नहीं है ।

सेठ गोविन्द दास : जो लोग हर वर्ष इस देश से तिब्बत यात्रा करने को जाते हैं उनकी संख्या भी करीब करीब उतनी ही है जितनी कि पहले थी या वह घटी है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक हमें मालूम है उनकी संख्या लगभग उतनी ही है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या हाल में भारत सरकार और चीन की सरकार के प्रतिनिधियों के बीच कोई सम्मेलन हुआ है और क्या उसमें भारतीयों से सम्बन्धित समस्या पर चर्चा की गई थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : अभी कुछ दिनों पूर्व हमने उत्तर दिया था कि तिब्बत के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के प्रतिनिधियों के बीच सम्मेलन हुआ था जो अभी भी जारी है ।

अखिल भारतीय हाथ करघा बोर्ड

*९१५. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधान की पद्धति क्या है ; और

(ख) क्या पंजाब राज्य का कोई प्रतिनिधित्व है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) बोर्ड से जिस सेवा की आशा की जाती है, नामनिर्देशित व्यक्तियों में उस कार्य की योग्यता होनी चाहिये ।

(ख) नहीं, श्रीमान ।

श्री हेम राज : क्या मैं जान सकता हूं कि बोर्ड में पंजाब को प्रतिनिधित्व न देने के क्या कारण हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह किसी क्षेत्र में हाथकरघों की संख्या पर निर्भर है और हम व्यर्थ में बोर्ड के सदस्यों की संख्या में वृद्धि नहीं करना चाहते क्योंकि इससे वह प्रभाव शून्य हो जायेगा । लेकिन मैं यह कह दूं कि जब कभी पंजाब से सम्बन्धित किसी समस्या पर चर्चा करने का अवसर आता है तो बोर्ड के सभापति पंजाब सरकार को उसकी सूचना दे कर विषय पर चर्चा करने के लिये उनसे अपना प्रतिनिधि भेजने की प्रार्थना करते हैं ।

श्रीमती ए० काले : क्या मैं मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि का नाम जान सकती हूं जो हाथकरघा उद्योग का एक प्रमुख केन्द्र है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे मध्य प्रदेश के प्रमुख केन्द्र होने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पात्रीकर नामक एक महानुभाव, और मेरा विचार है कि कुछ सरकारी कर्मचारी भी मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

चाय उद्योग

*९१६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में चाय के कितने बाग व्यापार में मन्दी के कारण बन्द हुये हैं ; और

(ख) इसके फलस्वरूप कितने मज़दूर और कर्मचारी काम से हटाये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख) । १९५३ के उत्तरार्ध में बहुत कम बाग़ बन्द हुये । सरकार को

जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार १९५२-५३ में चाय के १०४ बाग़ बन्द हुये। इन बाग़ों में ५५,००० मज़दूर काम करते थे। इन में से ४१,००० मज़दूरों को काम पर लगाने वाले ९१ बाग़ पुनः आरम्भ कर दिये गये। मज़दूरों के अतिरिक्त जिन अन्य कर्मचारियों पर इसका प्रभाव पड़ा है उनके सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : यह जो गार्डन अभी बन्द हो गये हैं, इनके खोलने के वास्ते कोई इन्तज़ाम किया गया है ?

श्री करमरकर : उनके लिये कोई ख़ास इन्तज़ाम नहीं किया गया है। जो अनइकानामिक गार्डन्स होते हैं वह बन्द हो जाते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : जो बाग़ बन्द हो गये हैं उनमें से यूरोपियनों के कितने हैं और हिन्दुस्तानियों के कितने हैं ?

श्री करमरकर : जहां तक मुझे मालूम है उनमें कोई यूरोपियन के नहीं हैं, सब इंडियन्स के हैं।

श्री ए० एम० टामस : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उद्योग की सुधारगत अवस्था को देखते हुये क्या शेष बाग़ों के भी कार्य प्रारम्भ करने की संभावना है ?

श्री करमरकर : यह संभव नहीं है लेकिन यह इस तथ्य पर निर्भर है कि एक विशेष बाग़ की आर्थिक दशा किस सीमा तक ठीक नहीं है।

श्री बर्मन : चाय उद्योग के महत्व को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार आर्थिक दशा ठीक न होने वाले बाग़ों को बड़े बाग़ों के साथ विलीनीकरण अथवा एकीकरण के लिये प्रोत्साहन देने का विचार रखती है।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न का मौखिक उत्तर देना बड़ा कठिन है। अवसर पड़ने पर मैं निस्सन्देह ही माननीय सदस्य का सुझाव याद रखूंगा। बग़ीचे पास-पास होने की दशा में हम इस सुझाव पर विचार करेंगे लेकिन मैं नहीं समझता यह बग़ीचे पास पास हैं।

लदाख के समीप हवाई अड्डा

***९१८. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या **प्रधान मंत्री** बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास इस समाचार की जानकारी है कि चीन ने लदाख की सीमा के निकट एक हवाई अड्डा बनाया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह कब बनाया गया था ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ख)। सरकार के पास इस विषय की जानकारी नहीं है।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि पश्चिमी तिब्बत में मान सरोवर के पास भी चीनी सेना ने इस तरह का एक जहाजी अड्डा बनाया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह प्रश्न लदाख की सीमा के निकट बने एक चीनी हवाई अड्डे की ओर निर्देश करता है। जहां तक हमें जानकारी है वहां ऐसा कोई हवाई अड्डा नहीं है। स्पष्ट है कि मेरे पास तिब्बत के समस्त हवाई अड्डों के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है।

ग्राम पंचायतें

***९१९. श्री बर्मन** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार ने भारत के सभी राज्यों में ग्राम पंचायतों के संघटन के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही, यदि कोई हो, की है; तथा

(ख) सभी राज्यों में इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). सूचना एकत्र की जा रही है तथा इसे सदन पटल पर रख दिया जायगा।

इंजीनियरिंग प्रदर्शनी

*९२०. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५१ में दिल्ली में जो अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरिंग प्रदर्शनी हुई थी, उसकी प्राक्कलित तथा वास्तविक लागत क्या थी ; तथा

(ख) इस प्रदर्शनी के लिये बनाई गई दुकानों आदि का उखाड़ा गया सामान कैसे बेचा गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) इस प्रदर्शनी की प्राक्कलित लागत ६००,००० रुपये थी ।

कुल १०,७४,९०५ रुपये व्यय हुआ था ; परन्तु इस प्रदर्शनी की वास्तविक लागत उसी समय मालूम होगी जब कि कुछ परियोजनाओं को स्थानान्तरित किये गये सामान की लागत वसूल होगी ।

(ख) उखाड़े गये सामान का अधिकांश भाग विभिन्न परियोजनाओं को, तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग को भेजा गया । शेष का नीलाम किया गया ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, क्या यह सत्य है कि उखाड़ा गया कुछ सामान बीकानेर हाउस के अहाते से चोरी हो गया तथा इस बारे में पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं दी गई ?

श्री हाथी : श्रीमान्, हमारी यह सूचना नहीं है । यह प्रदशनी सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के कहने पर आयोजित नहीं की गई थी । इसका आयोजन केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत बोर्ड द्वारा हुआ था जो कि एक सरकारी निकाय नहीं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, इस प्रदर्शनी की प्राक्कलित लागत तथा वास्तविक लागत में इतना भारी अन्तर क्यों रहा ?

श्री हाथी : श्रीमान्, जैसे कि मैं ने निवेदन किया, इसका आयोजन सरकार द्वारा नहीं किया गया था तथा हमारे पास इस सम्बन्ध में सविस्तार सूचना नहीं ।

आन्ध्र में हाथ करघा उद्योग

*९१२. **श्री सी० आर० चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२-५३ तथा १९५३-५४ वर्षों में आन्ध्र में खड्डी के कपड़े का कुल कितना उत्पादन हुआ; तथा

(ख) इस समय सहकारी स्टोरों में कुल कितना कपड़ा पड़ा है जिसका कि विक्रय नहीं हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नानादास : श्रीमान्, सरकार ने इस समय तक खड्डी के कपड़े को आन्ध्र से दूसरे राज्यों में तथा विदेशों में भेजने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारी दृष्टि में अन्तर्राज्य व्यापार, निर्यात व्यापार नहीं है ।

जहां तक विदेशों को माल भेजने का सम्बन्ध है हमारे पास राज्य-वार आंकड़े नहीं हैं । श्रीमान्, भूतपूर्व मद्रास राज्य के

हाल ही के बटवारे के कारण भी नये राज्य संघटन के लिये हमें सूचना देना कुछ कठिन है । वह सूचना एकत्र करने तथा हमें देने के लिये कोशिश कर रहे हैं ।

सीमेंट पर नियंत्रण

*९२६. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सभी राज्यों में सीमेंट पर समानरूपी नियंत्रण है ; तथा

(ख) क्या सरकार सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, जहां तक कि मूल सिद्धान्तों का सम्बन्ध है ।

(ख) उस समय तक नहीं जब तक कि सम्भरण स्थिति सुगम न हो जाये ।

श्री विश्वनाथ राय: इस बात को दृष्टि में रखते हुये कि उत्पादन बढ़ गया है क्या इस वर्ष इस पर से नियंत्रण हटाये जाने की कोई सम्भावना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में इस वर्ष अथवा अगले वष इस पर से नियंत्रण हटाये जाने की कोई सम्भावना नहीं, क्योंकि मांग बढ़ गई है ।

श्री जी० पी० सिन्हा: क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर बिहार में सीमेंट की व्यापक कमी है, तथा यदि है तो इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सरकार उत्तर बिहार को सीमेंट प्रदाय करने के लिये अधिकाधिक प्रयत्न कर रही है ।

श्री पी० सी० बोस : बाहर से कितना सीमेंट अभी भी आयात किया जा रहा है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: सामान्य सीमेंट की कोई भी मात्रा आयात नहीं की जा रही है ; केवल हम कुछ ऐसी जगहों से कुछ सीमेंट निर्यात कर रहे हैं जहां कि स्थानीय मांग कुछ कम है ।

श्री पी० सी० बोस: सीमेंट की कौन सी विशेष क़िस्म आयात की जाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: कई क़िस्में हैं जैसे कि विशष प्रयोजनों के लिये रंगदार सीमेंट आदि । यही क़िस्में आयात की जाती हैं ।

श्री लक्ष्मय्या: प्रत्येक राज्य में कितना सीमेंट तैयार होता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: यदि माननीय सदस्य मुझे इसकी पूर्वसूचना देंगे, तो मैं उनका कृतज्ञ हूंगा ।

संसद् भवन

*९२८. **श्री रघुरामय्या** : क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि संसद् भवन को भू-गत जल से खतरा उत्पन्न हुआ है; तथा

(ख) यदि हुआ है, तो सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) तथा (ख) । ऐसा कोई खतरा नहीं । मैं हाल ही में जारी की गई एक प्रेस विज्ञप्ति को सदन पटल पर रख देता हूं जिस में कि स्थिति स्पष्ट की गई है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०**]

श्री रघुरामय्या : क्या मुझे इस सम्बन्ध में आश्वासन मिल सकता है कि इस सदन को भूमिगत लोगों से कोई खतरा नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय: शान्ति, शान्ति । मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं ।

बनारसी माल का निर्यात

*९२९. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या डालर क्षेत्रों को निर्यात किये जाने वाले बनारसी माल की मात्रा एवं क्वालिटी में हाल ही में कोई खराबी आ गई है ; तथा

(ख) १९५२-५३ वर्ष में ऐसे माल के निर्यात से विदेशों से कुल कितना धन कमाया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) माननीय सदस्य सम्भवतः रेशम, जरी तथा गुलूबन्दों की ओर निर्देश कर रहे है । बताया जाता है कि बनारसी रेशम की क्वालिटी में कुछ खराबी आ गई है । परन्तु निर्यात किये गये माल के मूल्य में कोई कमी नहीं हुई है ।

(ख) १९५२-५३ में ४४.५८ लाख रुपये के मूल्य का रेशम, कमख्वाब तथा साड़िया निर्यात की गईं ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार क्वालिटी में यह खराबी आ जाने के कारणों का पता लगा सकी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कई कारण हैं । मुझे पता चला है कि रंगाई के लिये जो रंग प्रयोग में लाये जाते हैं वह पक्के नहीं होते हैं । इसके अलावा दक्षिण से विशेषकर बंगलौर से प्रतियोगिता बढ़ी है । दूसरा कारण यह है कि पश्चिमी पाकिस्तान की मांग के परिणामस्वरूप क्वालिटी को यथावत ठीक रखने के लिये जो प्रलोभन मिलता था, वह अब नहीं रहा है । येही कुछेक कारण हैं ।

श्री झूलन सिन्हा : १९५२-५३ में विदेशों से जितना धन कमाया गया है, वह पूर्व वर्षों के मुक़ाबले में कैसा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुल निर्यात बढ़ता चला जा रहा है । १९५०-५१ में यह १३.५ लाख रुपये का था, १९५१-५२ में यह २५.५ लाख रुपये का था तथा १९५२-५३ में यह ४४.५८ लाख रुपये का था ; अर्थात यह बढ़ता जा रहा है ।

भारत में पुर्तगाली बस्तियों के भारतीय

*९३०. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में पुर्तगाली बस्तियों के भारतीयों के प्रति किये जाने वाले अन्याय, मानव अधिकारों के दमन और अन्य निर्योग्यताओं की समस्या को हल करने के लिये सरकार ने क्या अन्तिम निर्णय किया है ; और

(ख) पुर्तगाल सरकार को अब तक जो विरोध पत्र भेजे गये है, उन का क्या उत्तर मिला ह ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख). भारत सरकार द्वारा पुर्तगाल सरकार को भेजे गये विरोध-पत्रों का अभी तक कोई भी विशेष उत्तर नहीं मिला है, किन्तु उन्होंने यह बताया है कि भारतीयों के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता । इस प्रश्न में अन्य और बड़े प्रश्न शामिल हैं । हम इस सम्बन्ध म जो भी कार्यवाही करेंगे वह सामयिक परिस्थितियों पर निर्भर रहा करेगी, अतः इस प्रकार के मामले में अन्तिम निर्णय का बताया जाना सम्भव नहीं है ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में अभी तक जो कार्यवाही गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने की

है, क्या उसके परिणाम से यह सरकार संतुष्ट है और अगर नहीं तो इसके सम्बन्ध में और क्या कुछ करना चाहती है ?

अध्यक्ष महोदय: क्या सरकार आज तक की गई कार्यवाही, यदि कुछ हुई हो तो, से संतुष्ट है, और वह इस से आगे की क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्री अनिल के० चन्दा: हम ने माल के लाने ले जान पर अधिक पाबन्दी डाल दी है क्यों कि सीमान्त की दूसरी ओर बहुत अधिक मात्रा में चोरी से माल निकाला गया है । यही कारण है कि हम ने सीमान्त की दूसरी ओर के इन चौर्यानियन क्षेत्रों के नियंत्रण को और भी अधिक कड़ा करने की कार्यवाही की है ।

श्री एस० एन० दास: प्रतिवाद के अलावा क्या कभी इस बात का प्रयत्न किया गया है कि ऊंचे दर्जे पर इस के सम्बन्ध में दोनों सरकारों के बीच में वार्तालाप हो और अगर ऐसा किया गया है तो इस का क्या परिणाम हुआ ?

श्री अनिल के० चन्दा: सभी जानते हैं कि हम ने १९५३ में पुर्तगाल सरकार के पास इस प्रकार का एक ज्ञापन भेजा था कि इन प्रदेशों का वस्तुतः हस्तान्तरण किया जाय । इस स्थिति में कोई भी अन्तर नहीं पड़ा है ।

श्री जोकीम आल्वा : माननीय मंत्री ने 'अन्य और बड़े' प्रश्नों की ओर निर्देश किया । क्या माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और यदि वे नहीं दे सकते तो क्या वे प्रधान मंत्री से इस प्रश्न के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिला सकते हैं ? रिपोर्ट मिली है कि गोआ में दस हज़ार असैनिक सेवक हैं जो गोआ के भारत में सम्मिलित होने के मार्ग में बाधा बन रहे हैं और ये ही व्यक्ति गोआ-भारत सम्मिलिन के विरोध में प्रचार कर रहे हैं । क्या माननीय प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे कि उन असैनिक सेवकों का क्या होगा यदि भारत गोआ को अपने साथ मिलाये ?

श्री अनिल के० चन्दा : हम इस ओर बैठे हुये किस प्रकार गोआ की पुर्तगाली बस्ती के असैनिक सेवकों पर प्रशासन चला सकते हैं ?

श्री टी० बी० विट्ठल राव: अनेक बार की हमारी इस प्रार्थना की विफलता को दृष्टि में रखते हुये क्या सरकार उन पुर्तगालियों को "गोआ छोड़ दो" का नोटिस देना चाहती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, इस मामले में हमारा दृष्टिकोण सुप्रसिद्ध है ।

कोयला उत्पादन

***९३१. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या १९५३ में १९५२ की अपेक्षा कोयले का अधिक उत्पादन हुआ है; और

(ख) यदि हुआ है, तो कितना?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री मुनिस्वामी: क्या हम इस समय आवश्यकता से अधिक कोयले का उत्पादन करते हैं ।

श्री आर० जी० दुबे : जी हां, यह तो स्पष्ट है क्यों कि हम निर्यात करते हैं ।

तेल शोधक कारखाने

***९३२. श्री के० पी० सिन्हा :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) ट्राम्बे द्वीप में बनाये जाने वाले तेल शोधक कारख़ानों के निर्माण एवं परिमाप कार्य में आज तक कितनी प्रगति हुई .

है, और वह कार्य सारी परियोजना का कितना प्रतिशत है ; और

(ख) सियोन से सियोन-ट्राम्बे सड़क के संगम तक जो बीच का छोटा रास्ता बनाया जा रहा है उस की क्या प्रगति है ?

उत्पादन मंत्री के सभा-सचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) ट्राम्बे द्वीप में स्थापित किये जा रहे तेल शोधक कारखानों का सर्वेक्षण-कार्य पूरा किया जा चुका है और ७–३–१९५४ को निर्माण, आदि के सम्बन्ध में जो प्रगति हुई थी, उसकी स्थिति इस प्रकार है :

स्टैण्डड वकूम : निर्माण-कार्य का ६३ प्रतिशत पूरा किया जा चुका है और आशा की जाती है कि जलाई, १९५४ में, जैसा समय-विभाग में दिया जा चुका है, यह तेल शोधक कारख़ाना उत्पादन कार्य शुरू करेगा ।

बर्मा-शल : निर्माण-कार्य का २० प्रतिशत पूरा किया जा चुका है । इस दिशा में और भी प्रगति की जा रही है और आशा की जाती है कि यह तेल शोधक कारख़ाना १९५५ के प्रारम्भ के महीनों में उत्पादन कार्य शुरू करेगा ।

(ख) ७-३-५४ को सड़क का ३० प्रतिशत भाग तैयार हो चुका था ।

श्री के० पी० सिन्हा : इन तेल शोधक कारख़ानों में कुल कितना तेल साफ़ किया जा सकता है, और इन के उत्पादन-कार्य शुरू करने पर क्या हम आत्मनिर्भर होंगे ?

श्री आर० जी० दुबे : आशा की जाती है कि बर्मा-शेल २० लाख गैलन तक, स्टैंडर्ड-वकूम आयल कम्पनी १२ लाख गैलन और काल्टेक्स ५ लाख गैलन तेल का निर्माण करेंगे । यह तो तेल निकालने से सम्बन्धित आंकड़े हैं । इन का ९० प्रतिशत साफ़ किया गया तेल होगा ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या यह सच है कि ट्राम्बे में निर्माण-कार्य के लिये एलीफेंटा द्वीप से पत्थर लाये गये, जिस से इस द्वीप की प्रसिद्ध मूर्तियों को क्षति पहुंची ?

अध्यक्ष महोदयः मेरे विचार में इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका था ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, इस विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि मुझे ठीक याद है तो यही उत्तर दिया गया था कि पत्थर फोड़ने का कार्य विशेष सावधानी से किया जा रहा है, और वहां की मूर्तियों को कोई भी क्षति नहीं पहुंचेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : इस विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया था कि क्या अब तक कोई विशेष क्षति पहुंची है ।

श्री आर० जी० दुबे : श्रीमान्, मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

डा० राम सुभग सिंह : यही तो कठिनाई है ।

दामोदर घाटी निगम (कर्मचारीवृन्द)

*९३३. **पंडित डी० एन० तिवारी :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दामोदर घाटी निगम में (राज्य-वार) कितने व्यक्तियों को क्रमशः २५० रुपये और ५०० रुपये से अधिक वेतन मिल रहा है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : एक विवरण जिस में अपेक्षित जानकारी दी हुई है सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ८१]**

पंडित डी० एन० तिवारी : विवरण में पश्चिमी बंगाल के सामने २१७ और बिहार के सामने ६७ और फिर पश्चिमी बंगाल के सामने ९८ औरबिहार के सामने

४० लिखे हुये हैं । क्या वहां नियुक्तियों में कोई भेदभाव किया जाता है ?

श्री हाथी : कोई भेद भाव नहीं किया जा रहा है ।

पंडित डी० एन० तिवरी : क्या सरकार को यह विदित है कि वहां के विभागों के अध्यक्ष बिहारी कर्मचारियों को तंग करते हैं और इसलिये उन में से बहुत से नौकरी छोड़ने वाले हैं ?

श्री हाथी : हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है ।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या सरकार को यह विदित है कि बड़े से बड़े उच्च-अधिकारी से लेकर सामान्य कुली तक राज्य के बाहर से बुलाये जाते हैं ?

श्री हाथी : जी नहीं ।

कारखानों के मज़दूरों के लिये मकानों की योजना

*९३४. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कारख़ानों के मज़दूरों के लिये मकानों की योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष में पंजाब सरकार को कितनी राशि दी गई है ; और

(ख) क्या यह योजना भाखड़ा और नांगल बांध के मजदूरों पर लागू होती है ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) ४.८२ लाख रुपये की मंजूर अर्थसहायता में से अब तक की गई प्रगति के आधार पर हाल ही में २.०२ लाख रुपये के भुगतान का अधिकार दिया गया था । उन्होंने कोई ऋण नहीं मांगा था ।

(ख) नहीं ।

श्री डी० सी० शर्मा : कारख़ानों के मज़दूरों की भलाई के लिये मंजूर की गई यह राशि किन किन स्थानों पर व्यय की जायेगी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : पंजाब सरकार ने अमृतसर, जालन्धर और जमना नगर के लिये नई योजनायें बनाई हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री को भाखड़ा-नंगल बांध के मज़दूरों से पर्याप्त आवासस्थान न होने, क्वार्टरों में बिजली न होने तथा इसी प्रकरा अन्य बातों के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह तो माननीय मंत्री श्री गुलजारी लाल नन्दा को विदित होगा । मुझे कोई अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है ।

श्री डी० सी० शर्मा : यह राशि कैसे व्यय की जाती है ? क्या यह सत्य है कि माननीय मंत्री अनुदान देते हैं तथा कोई और इन्हें व्यय करता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह घर बनाने पर व्यय की जाती है । सामान्यतथा राज्य सरकारें घर बनाती हैं, किन्तु यदि हम किसी कारखाने को सहायता दें तो नियोक्ता कारखाने के मज़दूरों के रहने के लिये घर बनाते हैं ।

कोसा (टसर) उद्योग

*९३५. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के कोसा (टसर) उद्योग को एक हाथकरघा उद्योग के रूप में विकसित करने का विचार कर रही है ; और

(ख) सरकार ने मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के कोसा (टसर) उद्योग द्वारा उत्पादित

रेशम का मानदण्ड निश्चित करने तथा उस के नमूनों को सुधारने के लिये मध्य प्रदेश सरकार के लिये कितनी राशि मंजूर की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने टसर रेशम को कातने और लपेटने के लिये भंडारा, चम्पा और जगदलपुर में तीन केन्द्र खोलने के लिये राज्य सरकार को ५,००० रुपये का अनुदान दिया है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या रेशम बोर्ड के पास मध्य प्रदेश में टसर रेशम के वार्षिक उत्पादन के आंकड़े हैं ?

श्री करमरकर : मुझे ज्ञात हुआ है कि यह लगभग १,४०,००० पौंड है ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या रेशम बोर्ड में मध्य प्रदेश का कोई प्रतिनिधि है ?

श्री करमरकर: हम प्रदेशवार प्रतिनिधि नहीं रखते । मैं यह नहीं कह सकता कि बोर्ड में कोई मध्य प्रदेश का निवासी है या नहीं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या वे उद्योग-वार प्रतिनिधि रखते हैं ?

श्री करमरकर : इस में रेशम के उद्योगवार रखते हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री ने जो अभी कहा कि इस प्रान्त के लिये केन्द्रीय सरकार ने पांच हज़ार रुपया मंजूर किया है, यह ठीक है ?

श्री करमरकर : जी हां, ठीक है ।

सेठ गोविन्द दास : तो क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कुछ लिखा था ? और उस के बावजूद भी क्या सरकार यह समझती है कि यह जो छोटी सी रक़म इस काम के लिये दी गई है, उस से काम चल जायेगा ?

श्री करमरकर : जिस स्कीम के लिये यह रक़म मंजूर की गई है उस पर ख़र्च ज्यादा आता है, उस में से पांच हज़ार का कंट्रिब्यूशन हमारा है ।

श्री जांगड़े : क्या माननीय मंत्री महोदय बतलायेंगे कि भारत सरकार ने कोई ऐसा प्रयत्न किया है या कोई ऐसा प्रयत्न करने वाली है कि जिस से टसर के उत्पादन की शक्ति और गुण की शक्ति बढ़ जाये ?

श्री करमरकर : जी हां, यह जो काम चल रहा है वह सब टसर के बारे में ही चल रहा है ।

श्री जांगड़े : मेरा अभिप्राय अनुसन्धान से था ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ; मैं अगले प्रश्न को ले रहा हूं ।

कपड़ा मिलों में बन्द पड़े करघे

*९३६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सूती कपड़े की मिलों में २,०४,००० करघे हैं जिन म से १७,००० बन्द पड़े हैं ?

(ख) यदि हां, तो उन के बन्द पड़ रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करने के लिये कार्यवाही करेगी कि ये करध जल्दी ही फिर चलने लगें ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सूती कपड़ा मिलों में कुल १,९७,७०० करघे लगे हुये हैं जिन में से १५,७०० बेकार बताये जाते हैं ।

(ख) ३,२०० करघे पुरान और जीर्ण-शीर्ण होने के कारण स्थायी रूप से बन्द पड़े हैं, १२,५०० करघे आर्थिक दशा के ठीक

न होने के कारण, मिलों के बन्द होने के कारण और मशीनरी के टूत-फूट जाने के कारण बन्द पड़ हैं ।

(ग) भाग (ख) के उत्तर में जो परिस्थितियां बताई गई हैं उन्ह ध्यान में रखते हुये सरकार सब करघों को पुन: चलान के लिये कोई कार्यवाही करन में असमर्थ है । जितने करघे बन्द होंगे उन के अनुसार हाथ-करघा उद्योग को अधिकाधिक सूत दिया जा सकता है ।

श्री रघुनाथ सिंह : इन में यू० पी० में जो आइडल लूम्स हैं, क्या मैं उन की तादाद जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास आंकड़े तो बहुत हैं, किन्तु राज्यवार अलग अलग व्यौरा नहीं है ।

श्री के० के० बसु : धोतियों और साड़ियों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगा देने के कारण कितने करघ मुहरबन्द कर दिये गये हैं और यदि ऐसी कोई संख्या है तो पश्चिमी बंगाल में ऐसे करघे कितने हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि माननीय सदस्य की यह धारणा ग़लत है । कोई करघा मुहरबन्द नहीं किया गया ।

श्री मुरारका : जहां कहीं करघे जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं क्या वहां उन्ह बदलने की अनुमति दी जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस का पक्का पता नहीं है कि ३२,००० जीर्ण-शीर्ण करघों को बदलन के लिये कोई आवदन-पत्र आया है या नहीं । किन्तु जो करघे बन्द पड़ व सम्बद्ध मिलों के बन्द हो जान के कारण बन्द हैं ।

श्री सिंहासन सिंह : देश में कुल कितन हथकरघ बन्द पड़ हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह मैं तो क्या कोई भी नहीं बता सकता ।

पूंजीगत वस्तुएं (आयात)

***९३७. श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३–५४ में पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर कितनी राशि व्यय की गई ; और

(ख) यह विगत वर्षों में पूंजीगत वस्तुओं के आयात की तुलना में कैसा उतरता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध सख्या ८२**]

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : अमेरिका से कितने मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया गया और स्टर्लिंग क्षत्र से कितने मूल्य की पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया गया ?

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि मेरे पास इस समय इस का अलग अलग व्यौरा नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या हम जापान से किसी पूंजीगत वस्तु का आयात करते है ?

श्री करमरकर : मेरे विचार में किया तो जाता है, किन्तु मैं ठीक ठीक मात्रा के सम्बन्ध म कोई संख्या नहीं बता सकता ।

केन्द्रीय हथकरघा-वस्त्र विक्रय संगठन

***९३८. श्री झूलन सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय हथकरघा-वस्त्र विक्रय संगठन के स्थापित हो जाने के परिणाम-स्वरूप हथकरघे के कपड़े के विदेशी बाज़ारों में कोई विस्तार हुआ है; और

(ख) इस संगठन पर अब तक कुल कितना आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक व्यय हुआ है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) १९५२ की अपेक्षा १९५३ में हथकरघे के कपड़े के निर्यात में लगभग ९० लाख गज़ की वृद्धि हुई है ।

(ख) १ मार्च, १९५४ तक ८२,१५६ रुपये ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या इस केन्द्रीय संगठन के उपायों के फ़लस्वरूप, भारत में जमा भारी स्टाक में कोई विशेष कमी हुई है तथा क्या इस प्रकार इस उद्योग को कोई विशेष सुविधा पहुंचाई गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत में हथकरघे के कपड़े का कुल अनुमानित उत्पादन १४० करोड़ तथा १५० करोड़ गज़ के बीच में है । निश्चय ही माननीय सदस्य यह आशा न करते होंगे कि मैं कहूं कि ९ करोड़ गज़ कपड़ा बाहर चले जाने से कोई भारी सहायता पहुंचाई गई हैं । फिर भी हम ने अन्य उपाय ऐसे किये हैं जिन से वास्तव में सहायता पहुंची है ।

श्री झूलन सिन्हा : निर्यात किये जाने वाले इस हथकरघे के कपड़े में, क्या कुछ मात्रा खादी की भी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : निर्यात किये जाने वाले इस कपड़े के सम्बन्ध में मेरे पास जो आंकड़े हैं उन में कोई ऐसा ब्यौरा नहीं है कि कितना कपड़ा हाथ के कते सूत का बना है तथा कितना मिल के सूत का बना हें ।

श्री एम० डी० रामस्वामी : विदेशों के लिये विक्रय अधिकारी नियुक्त करते समय क्या हथकरघा कपड़ा व्यापार का अनुभव भी देखा जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : में इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं ?

खजूर गुड़

*९३६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३–५४ में विभिन्न राज्यों में खजूर गुड़ के उत्पादन म कितनी वृद्धि हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या भारत सरकार खजूर गुड़ के उद्योग के विकास के लिये विभिन्न राज्यों को कोई राजकीय सहायता देती है, यदि हां तो इस वर्ष कितना रुपया दिया गया था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हम अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड को अवश्य ही राजकीय सहायता देते है । मेरे पास आंकड़े है नहीं तथा म अंदाज़े से कुछ नहीं कहना चाहता ।

श्री नानादास : क्या खजूर गुड़ के निर्यात में कोई वृद्धि हुई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे यही नहीं पता है कि कोई निर्यात भी होता है ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ दिन पूर्व निर्यात सम्बन्धी इस प्रश्न का उत्तर दिया जा चुका है ।

शोलापुर मिल

*९४०. **श्री एस० एन० दास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान, शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग कम्पनी, लिमिटेड, के संचालकों के बोर्ड के आदेशानुसार, श्री एम० जी० दिवेकर मंत्री बोर्ड के हस्ताक्षरों से प्रकाशित, १५ फ़रवरी, १९५४ की एक सार्वजनिक सूचना की ओर दिलाया गया हैं, जिस में सूचित किया गया है, कि कम्पनी की ओर से संचालकों को, सरकार के साथ, एक विशिष्ट योजना के आधार पर समझौता करने का अधिकार सौंपने वाले प्रस्ताव पर विचार करने के लिये, जिसमें उस योजना का उल्लख किया गया है, ८ मार्च, १९५४ को, उक्त कम्पनी की एक बैठक होगी ;

(ख) क्या सरकार तथा कम्पनी के संचालकों के मध्य ऐसे समझौते की कोई वार्ता की गई है ; तथा

(ग) यदि हां तो अब वह वार्ता किस स्थिति में है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) हां ।

(ख) संचालकों ने बम्बई सरकार के साथ वार्ता चलाई थी । भारत सरकार को बराबर जानकारी भेजी जाती रही ।

(ग) बम्बई सरकार कम्पनी के भागीदारों की बैठक में किये जाने वाले निर्णयों की राह देख रही है ।

श्री एस० एन० दास : किन कारणों से, बम्बई सरकार या भारत सरकार, मैनेजिंग एजेण्ट्स के साथ, समझौता करने के लिये विवश हो गई, जब कि, तथ्य यह है कि सरकार को, उन की क्रियाओं तथा त्रुटियों के कारण ही, इस मिल पर अधिकार करने के लिये विवश होना पड़ा था ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो बहुत सीधी सी बात है । जिस विधान के अन्तर्गत हम ने इस मिल पर अधिकार किया था वह उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है । इस लिये हमारे सामने दो ही रास्ते थे । या तो हम, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार, भागीदारों तथा मैनेजिंग एजेण्ट्स को क्षतिपूर्ति देने का उपबन्ध बनाने के लिये, फिर से एक विधान बनाते, या हम निजी तौर पर मैनेजिंग एजेन्ट्स के साथ कोई संधि करते । यह बात स्पष्ट है कि बम्बई सरकार ने निजी सन्धि चला तरीक़ा ज्यादा अच्छा समझा ।

श्री एस० एन० दास : भारत सरकार तथा बम्बई सरकार द्वारा, कुल कितनी धन-राशि, पेशगी दी गई है, तथा इस प्रकार, पेशगी दिये धन के सम्बन्ध में, भारत सरकार तथा बम्बई सरकार के हितों की रक्षा करने के लिये, सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत सरकार ने कोई भी रुपया सीधे सीधे उधार नहीं दिया है । जो कुछ रुपया उपलब्ध किया गया है वह बम्बई सरकार का है । मुझे विश्वास है कि, निजी सन्धि द्वारा या किसी अन्य उपाय से, बम्बई सरकार चाहे जो निर्णय करे, उस में, अपने हितों की रक्षा करने की सामर्थ्य है ।

श्री एस० एन० दास: इस बात पर ध्यान देते हुये, कि भारत सरकार ने, इस संसद् द्वारा विधान बनाये जाने के बाद ही, इस मिल पर अधिकार किया था, सरकार ने यह उचित क्यों नहीं समझा कि समझौता करने के पूर्व संसद् से परामर्श कर लिया जाये ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बात बिलकुल सीधी है । इस सदन द्वारा स्वीकृत किया गया विधान उच्चतम न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया है । मेरी समझ में नहीं आता कि यदि हम इस विषय को सदन के सामने उपस्थित करते तो क्या उक्त विधान अवैध से वैध हो जाता ।

श्री बसल : क्या भारत सरकार ने, शोलापुर स्पिनिंग तथा वीविंग मिल्स के साथ, किये जाने वाले इस समझौते के सम्बन्ध में, कोई निदेश जारी किये हैं या जारी करने वाली है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : बम्बई सरकार को इस विषय में पूरा अधिकार प्राप्त है । पेशगी दिये गये धन के सम्बन्ध में वित्तीय उत्तरदायित्व बम्बई सरकार का है । मेरी समझ में नहीं आता कि भारत सरकार के लिये निदेश जारी करने का क्या कारण हो सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : अब आज के प्रश्नों की सूची समाप्त हो गई । अब हम अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ लेंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

फिरोजपुर जिले मे एक सीमा घटना

अ०स०प्र० सं० ५. डा० राम सुभगसिंह : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि २२ फ़रवरी, १९५४ को दमवाटा शारी बस्ती (बहावलपुर), का पाकिस्तान गश्ती पुलिस दल, खानपुर ग्राम से एक भारतीय बढ़ई, श्री शिवनाथ, को उठा ले गया ?

(ख) यदि हां तो कितन पाकिस्तानी पुलिसमैनों ने उसको उठा ले जाने के लिये भारतीय प्रदेश में अनधिकार प्रवेश किया ?

(ग) भारतीय सहायता दल उस स्थान पर कब पहुंचा ?

(घ) क्या सहायता दल श्री शिवनाथ को खोजने म सफल हुआ ?

(ङ) यदि नहीं तो उस को खोजने तथा सहायता पहुंचाने के और कौन से उपाय किये जा रहे हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ङ). दो भारतीय नागरिक, श्री शिव राम तथा श्री सुरजा, बहावलपुर-फ़ीरोज़पुर सीमा के निकट, भारतीय प्रदेश के ग्राम खानपुर के निकट, एक खेत में बैठे हुये थे, जब कि २२ फ़रवरी, १९५४ को, लगभग ५ बजे सायंकाल, डाब शर्कीपिकेट (बहावलपुर) के एक पाकिस्तानी पुलिस दल ने भारतीय प्रदेश में अनधिकार प्रवेश किया तब उन लोगों को पास बुलाया । श्री सुरजा गांव की ओर भाग गया परन्तु श्री शिव राम पाकिस्ता नी पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया । पाकिस्तानी पुलिस उसे पकड़ कर पाकिस्तान ले गई । यह ज्ञात नहीं है कि पाकिस्तानी पुलिसमैनों की संख्या कितनी थी ।

२. इस दुस्साहस की घटना का समाचार शीघ्र ही भारतीय अधिकारियों को प्राप्त हुआ । पंजाब सशस्त्र पुलिस का एक दल तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गया । पाकिस्तानी पुलिस दल ने सीमा के उस पार से उन पर गोली चलाई । इसके परिणामस्वरूप, २३ फ़रवरी, १९५४ को, ३ बज कर ३० मिनट प्रात: काल तक, दोनों ओर से गालियां चलती रहीं । इसी बीच भारत के उच्च पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गये तथा उनके प्रयत्नों के फलस्वरूप परिस्थिति क़ाबू में आ गई । जब, अपहरण किये गये, भारतीय नागरिक के लौटाने के लिये, दोनों ओर के पुलिस अधिकारियों में, वार्ता हो रही थी तथा पाकिस्तानी पुलिस को,

भारतीय क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश करने के, प्रमाण दिखाये जा रहे थे, तो सीमा के उस ओर, पाकिस्तानी क्षेत्र में, पचास साठ गज़ की दूरी पर, श्री शिवराम का शरीर पड़ा हुआ पाया गया।

३. भारतीय क्षेत्र में, पाकिस्तानी पुलिस द्वारा, अनधिकार प्रवेश करने तथा भारतीय नागरिक के पकड़ जाने तथा मार डालने के सम्बन्ध म पाकिस्तान सरकार के पास विरोध पत्र भेजा जा रहा है।

डा० राम सुभग सिंह : इस बात पर ध्यान देते हुये, कि पाकिस्तानी पुलिस द्वारा भारतीय सीमा में, अनधिकार प्रवेश तथा अपहरण तथा जान से मारने की सूचनायें बहुधा इस सदन को प्राप्त होती रहती हैं, क्या माननीय मंत्री, इस सदन को आश्वासन दे सकते हैं, कि भविष्य में ऐसी घटनायें नहीं होने दी जायेंगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस प्रकार का आश्वासन देना तो बहुत कठिन है परन्तु जब कभी दुर्भाग्यवश इस प्रकार की घटना घटित हुई है हम ने तत्परता से उसे लेकर पाकिस्तान सरकार से बातचीत की।

डा० राम सुभग सिंह : जिस बातचीत के, सरकार द्वारा तत्परता से, किये जाने का, माननीय मंत्री ने, हवाला दिया है, क्या उस से कभी कोई परिणाम भी निकला है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हां, कभी कभी।

श्री एस० एन० दास : पाकिस्तान सरकार के विरोध पत्रों का शीघ्रता के साथ तथा तत्परता से निपटारा करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ? क्या दोनों ओर के अधिकारियों का कोई सम्मेलन हुआ था ? इस सम्मेलन ने क्या निर्णय किये ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि मैं ने अपने उत्तर में बताया था कि गोली चलने के बाद ही हमारी पुलिस के उच्च अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गये और स्थिति पर क़ाबू कर लिया और उसके बाद पाकिस्तान की पुलिस के अधिकारियों से उन्होंने बातचीत की। ज्यों ही यह सूचना हमें मिली-- बेचारे भारतीय की मृत्यु की सूचना मिलने से पूर्व--भारत स्थित पाकिस्तान के उच्चायुक्त से हमने बातचीत की और उनसे प्रार्थना की कि इन भारतीय बन्दियों को छोड़ देने के लिये वे अपनी सरकार को कराची सूचना दे दें, और ज्यों ही इस अभागे भारतीय की मृत्यु का समाचार हमें मिला हमने कराची स्थित अपने उच्चायुक्त को आदेश दिया कि वह इस सम्बन्ध में वहां की सरकार से उच्च स्तरीय तौर पर बातचीत करें।

श्री एस० एन० दास : क्या इस मृतक व्यक्ति के शव की परीक्षा की गई थी, यदि हां तो इस परीक्षा का क्या परिणाम निकला ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, इसकी शव परीक्षा की गई थी, शरीर के दाहिने भाग में एक, तथा बाय भाग में गोली के दो घाव थे।

श्री सैय्यद अहमद : क्या शिवनाथ की मृत्यु के लिये पाकिस्तान सरकार से कोई मुआवजा मांगा गया था ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि इस स्थिति में हमने मुआवजा मांगा था अथवा नहीं, किन्तु इस बारे में उस सरकार से बातचीत चल रही है।

श्री रघुरामय्या : पाकिस्तान सरकार से विरोध स्वरूप की गई कार्यवाहियों के अतिरिक्त, और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार का इस प्रकार की दुःखद घटनाओं को रोकने के लिये कोई कठोर तथा कड़े

निरोधात्मक उपबन्ध करने का विचार है?

श्री अनिल के० चन्दा : हम केवल एक ही निरोधात्मक उपबन्ध कर सकते हैं और वह यह है कि सीमा पर कार्य करने वाले सशस्त्र सैनिकों के दल को मजबूत बनान और उनकी संख्या में वृद्धि करना; और इस सम्बन्ध म हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० एन० दास : क्या यह सच है कि पाकिस्तानी पुलिस द्वारा सफ़ेद झण्डा दिखाने के बाद ही गोली चलाना बन्द हुई थी?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां : उन्होंने २३ फ़रवरी को प्रातः ८ बजे के लगभग यह सफ़ेद झण्डा दिखाया था।

श्री सिंहासन सिंह : भारत सरकार द्वारा किये गये विरोध का पाकिस्तान सरकार ने क्या उत्तर दिया?

श्री अनिल के० चन्दा : इस मामले के सम्बन्ध में हमारा पत्र ८ मार्च को उच्च आयोग को भेजा गया था, और उस सरकार का निर्णय अभी नहीं जाना जा सकता।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह सच है कि कुछ ऐसे निशान मिले हैं जिनसे प्रकट होता है कि इस मनुष्य को घसीट कर पाकिस्तान सीमा में ले जाया गया था और उन निशानों को हमारे सभी पदाधिकारियों ने देखा था।

श्री अनिल के० चन्दा : निश्चय ही यह बात है। वस्तुतः बात तो यह है कि पाकिस्तान के उस पुलिस अधिकारी ने, जो सर्वप्रथम घटनास्थल पर आया, इस बात को स्वीकार किया था कि पाकिस्तानी पुलिस भारतीय सीमा में आई थी और इस मनुष्य को घसीट कर ले गई किन्तु बाद को ऐसा कहने से उसने इन्कार कर दिया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

बर्मा विद्युत संभरण बोर्ड

***९०४. श्री एम० आर० कृष्ण :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई दिल्ली स्थित बर्मा दूतावास ने बर्मा संघ में विद्युत संभरण बोर्ड के कर्मचारियों के पदों पर कार्य करने के लिये कितन भारतीय व्यक्तियों का चयन किया है?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : ११२ का।

तिब्बत के लिय कपड़े का निर्यात

***९०५. सरदार ए० एस० सहगल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तिब्बत के साथ व्यापार प्रयोजनार्थ कपड़े का निर्यात करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की क्या नीति है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : तिब्बत के लिये ८०० टन कपड़ा प्रति वर्ष निर्यात करने की आज्ञा है। सिक्किम स्थित पोलिटिकल आफ़ीसर अथवा कालिमपोंग स्थित उनके सम्पर्क आफ़ीसर द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों तथा सार्थों को निर्यात अनुज्ञप्तियां दी जाती हैं।

अभ्रक उद्योग

***९११. श्री राघवय्या :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अभ्रक उद्योग की मंदी के बारे में सरकार को ज्ञान है;

(ख) क्या अभ्रक का निर्यात व्यापार कम हो रहा है;

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर हां में है तो इस उद्योग की सहायता करने के लिये सरकार क्या उपबन्ध करेगी;

(घ) क्या अभ्रक के लिये नये बाजारों की सम्भावना के सम्बन्ध में सरकार ने पता लगाया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). अभ्रक उद्योग में वास्तव में ही कोई मंदी आई है इसका कोई प्रमाण नहीं है। १९५१-५२ को छोड़कर जबकि माल जमा करने का समय था और माल के लिये असाधारण मांग थी, शेष समय में निर्यात का स्तर अच्छा रहा है। बाजार म बिकवा-वालियों की कमी हो जाने पर क्रय करने वालों की ओर से निःसंदेह यह मांग रही है कि अधिक ऊंची क़िस्म का माल मिलना चाहिये।

(ग) तथा (घ). इस उद्योग को स्थायित्व देने के लिये सरकार को परामर्श दिया गया है कि अभ्रक की क़िस्मों का निर्धारण करने के सम्बन्ध में एक समान नीति अपना कर निर्यात के लिये इसकी क़िस्म में सुधार करना चाहिये। इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

अन्य सुझावों म ये बातें हैं:

(१) निर्यात सम्बन्धी कार्यवाहियों के लिये एक केन्द्रीय संगठन बनाना ; तथा

(२) देश में अभ्रक के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिये गवेषणा कार्य को बढ़ावा देना।

इन सुझावों की जांच हो रही है और अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। जहां तक सम्भव हो सका है, विदेशों से किये जाने वाले व्यापारिक समझौतों में निर्यात किये जाने वाली मदों में इसे भी सम्मिलित किया गया है।

सरकारी परीक्षणालय अलीपुर

***९१२. श्री तुलसीदास :** क्या **निर्माण, आवास तथा सभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अत्यधिक काम को, तथा फलस्वरूप होने वाले विलम्ब को कम करने के लिये अलीपुर के सरकारी परीक्षणालय में किये जाने वाले प्रयत्नों की पुष्टि के लिये सरकार धनबाद स्थित खानों के भारतीय विद्यालय में प्राप्य परीक्षण सुविधाओं का क्यों नहीं उपयोग कर रही है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : स्तरों की एकरूपता बनाये रखने के लिये यह वांछनीय है कि विशेष नमूनों का परीक्षण एक ही केन्द्रीय परीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया जाये। मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि अलीपुर के परीक्षणालय में उसकी कार्यक्षमता से इतना अधिक कार्य है, कि उसके फलस्वरूप देर भी हो जाती है।

कालीन उद्योग

***९१३. श्री आर० एन० सिंह,** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने भारत में कालीन उद्योग के विकास के लिये कोई योजना बनाई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : कालीन उद्योग को सहायता दने के लिये कुछ राज्य सरकारों द्वारा योजनायें तैयार की गई हैं, और उन्होंने केन्द्रीय सरकार से आर्थिक सहायता मांगी है। यह प्रार्थना विचाराधीन है।

बुनकरों की बस्तियां

***९१४. श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९४६ से सितम्बर १९५३ के अन्त तक बुनकरों की बस्तियां बनाने के लिये पहली मद्रास सरकार को कुल कितना ऋण दिया गया है ; तथा

(ख) क्या यह सच है कि बुनकर संस्था द्वारा राज्य सरकार को ऋण का भुगतान न करने के कारण ऋण की किस्त नियमित रूप से नहीं दी गई हैं?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, इस प्रश्न का उत्तर 'नहीं' में है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

धोतियां तथा साड़ियां

***९१७. श्री रामानन्द दास:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि पश्चिमी बंगाल में धोतियों तथा साड़ियों के मूल्य में अभी हाल ही में वृद्धि हुई है, और जनता को वे उचित मूल्य पर नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; तथा

(ग) पश्चिमी बंगाल में धोतियों तथा साड़ियों के मूल्य को कम करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (ग). पश्चिमी बंगाल सरकार ने भारत सरकार को यह सूचना दी है कि धोतियों तथा साड़ियों के मूल्य में कुछ वृद्धि हो गई है, किन्तु प्रतिवेदन में कहा है कि इसका कारण स्थानीय कमी नहीं कही जा सकती। इसलिए प्रकटतः तो इस वृद्धि का कोई कारण नज़र नहीं आता। इस वृद्धि के कारणों के बारे में जांच की जा रही है।

चाय बगानों को ऋण

***९२३. श्री के० पी० त्रिपाठी:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) सन् १९५२ तथा १९५३ में भारत के चाय बगानों को, राज्यवार, ऋण देने में बैंकों की सम्भावित हानि को पूरा करने के लिये कुल कितनी राशि की प्रत्याभूति दी गई;

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को सन् १९५३ तथा १९५४ में, राज्यवार, कितनी हानि वास्तव में हुई;

(ग) क्या इन बगानों को कर के सम्बन्ध में कोई छूट भी दी गई; और

(घ) यदि हां, तो क्या (राज्यवार तथा वर्षवार)?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) चाय बगानों को अग्रिम धन देने के सम्बन्ध में बैंकों को सरकार की ओर से सीमित प्रत्याभूति देने की योजना १९५३-५४ की चाय ऋतु पर ही लागू होती है। सन् १९५३-५४ की चाय ऋतु ३१ मार्च, १९५४ तक चलेगी, अतः सरकारी प्रत्याभूति की कुल राशि का उस तारीख से पहले हिसाब नहीं लगाया जा सकता।

(ख) अभी तक सरकार को कोई हानि नहीं हुई है।

(ग) तथा (घ). चाय बगानों को सीधी छूट यह दी गई थी कि चाय पर लगाये गये उत्पादन-शुल्क का समायोजन किया गया। १५-४-५३ से चाय पर जो उत्पादन-शुल्क था वह चाय बगानों से निकली हुई खुली चाय पर तीन आने से घटा कर एक आना प्रति पौंड कर दिया गया।

नव भारत का निर्माण' पुस्तिका

***९२४. श्री भीखाभाई:** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि नव भारत का निर्माण नामक पुस्तिका उर्दू में प्रकाशित की गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने यह पुस्तिका अन्य प्रादेशिक भाषाओं में भी निकाली हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां ।

(ख) हां ।

बर्मा में भारतीय

***९२५. श्री बी० एन० मूर्त्ति:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) अभी तक कितने भारतीयों ने बर्मा के नागरिकता-अधिकारों का अर्जन कर लिया है ;

(ख) बर्मा में भारतीयों को यदि कोई राजनैतिक रियायतें, या विशेष अधिकार दिये गये हैं तो वे क्या हैं ; और

(ग) क्या बर्मा में भारतीय कार्मिक संघों को कोई मान्यता दी जाती है ?

वैदेशिक कार्य-उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) से (ग) इन बातों के बारे में भारत सरकार को पूर्ण जानकारी नहीं है। परन्तु बर्मा स्थित भारतीय राजदूतावास के द्वारा सभी प्राप्य जानकारी संकलित करने का प्रयास किया जा रहा है। जब यह जानकारी प्राप्त हो जायेगी तो सदन पटल पर रख दी जायगी ।

साबुन के लिये नीम का तेल

***९२७. श्रीमती जयश्री :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड ने यह सुझाव दिया है कि साबुन के बनाने में नीम के तेल का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि निंबौली से निकाला जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): हां, श्रीमान् ।

टैक्निकल संस्था

१७०. श्री बी० पी० नायर: (क) **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने बिजली के लोहे के खम्भों के अतिरिक्त भागों के लिये टैक्निकल संस्था, फ़रीदाबाद, को आर्डर दिये हैं ?

(ख) कितने खम्भों के लिये आर्डर दिये गये थे ?

(ग) संस्था ने ये कितने दे दिये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) जी हां ।

(ख) २०० ।

(ग) १७६ खम्भों के अतिरिक्त भाग दे दिये गये हैं और शेष मार्च १९५४ की समाप्ति से पूर्व दे दिये जायेंगे ।

बम्बई की सामुदायिक परियोजनायें

१७१. श्री दाभी : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बम्बई राज्य के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के समनुरूप राष्ट्रीय विस्तार सेवा विकास खण्डों तथा प्रकृष्ट विकास खण्डों पर इनके आरम्भ होने से अब तक कितनी राशि व्यय की गई हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८३**] सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के समनुरूप प्रकृष्ट विकास के लिये राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के कोई कार्य आरम्भ नहीं किये गये ।

औद्योगिक कच्चे माल

१७२. श्री एस० सी० सामन्त : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५३ में अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री सम्मेलन ने आयात के लिये भारत को जो महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल आवंटित किये थे उनके नाम क्या हैं ;

(ख) कितना माल आवंटित किया गया था तथा वास्तव में कितना आयात किया गया ; तथा

(ग) उन मालों के नाम क्या हैं जिनका आयात किया जा रहा है किन्तु जो अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री सम्मेलन के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). एक विवरण सम्बद्ध किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४)**

(ग) अब अन्तर्राष्ट्रीय सामग्री सम्मेलन के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत कोई माल नहीं है । यह सम्मेलन ३१ दिसम्बर, १९५३ को खत्म कर दिया गया था ।

कारों का आयात

१७३. श्री राधा रमण : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३–५४ में, उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस देश में आयात की गई कारों की संख्या कितनी है ;

(ख) उसी अवधि में आयात की गई प्रयुक्त कारों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) किन देशों से दोनों प्रकार की कारें आयात की गई थीं ; तथा

(घ) नई तथा पुरानी कारों पर किस दर से प्रशुल्क लगाया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (घ). एक विवरण सम्बद्ध किया जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५**]

सन रस्सी के टुकड़े

***१७४. श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९५३ को, सन रस्सी के टुकड़ों के सम्बन्ध में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर को ध्यान में रख कर यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस में जिन आंकड़ों की चर्चा की गई थी क्या वे अब प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सन रस्सी के टुकड़े कितनी मात्रा में और किस देश को भेजे गये ;

(ग) भारत में कागज़ की मिलों को सन रस्सी के टुकड़ों की कितनी मात्रा चाहिये ; और

(घ) कागज़ मिलें प्रति वर्ष, सन रस्सी के टुकड़ों से कितने टन कागज़ तैयार करती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). दो विवरण सम्बद्ध किये जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८६**]

ऐसा अनुमान है कि भारत में कागज़ की मिलो को सन रस्सी के टुकड़ों की प्रति वर्ष २,५०० टन की आवश्यकता है ।

(घ) यह नहीं बताया जा सकता कि मिलें पुराने सन रस्सी के टकड़ों से कुल कितना टन तैयार करती हैं क्योंकि कागज बनाने के लिये सन रस्सी के ये टुकड़े सेल्युलोज के कच्चे माल के साथ प्रयुक्त किये जाते हैं ।

Par. S. 18. II. 20. 54.
285

अंक २

संख्या २०

बृहस्पतिबार,

११ मार्च, १९५४

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक २ में संख्या १६ से संख्या ३० तक हैं)

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

राज्य-परिषद् से संदेश [पृष्ठ भाग ११९७—११९८]
(अ) (अ)

संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन पटल पर रखा गया [पृष्ठ भाग ११९८]
(अ)

कारखाना (संशोधन) विधेयक—परिषद् द्वारा पारित रूप में सदन-पटल पर रखा गया [पृष्ठ भाग ११९८]
(अ)

प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक—विचार करने तथा परिचालित करने का प्रस्ताव—असमाप्त [पृष्ठ भाग ११९८—१२७४]
(अ) (अ)

संसद सचिवालय, नई दिल्ली।

(मूल्य ६ आने)

7 PSD

बृहस्पतिवार, ११ मार्च, १९५४

सभा एक बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

२-१० म० प०

राज्य परिषद् से संदेश

सचिव : मुझे सदन को यह सूचना देनी है कि :

(१) लोक-सभा द्वारा २७ फरवरी १९५४ को पारित बार्सी लाइट रेलवे कम्पनी (हस्तान्तरित दायित्व) विधेयक, १९५४ को राज्य परिषद् ने बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ;

(२) विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९५४ के बारे में भी राज्य-परिषद को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है;

(३) संघ कार्यों के लिये भूमि का राज्य अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक, १९५४ को राज्य-परिषद ने पारित कर दिया है;

(४) फैक्टरी (संशोधन) विधेयक, १९५३ को राज्य-परिषद् ने पारित कर दिया है ।

---

(१) संघीय प्रयोजनों के लिए भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्य करण) विधेयक

(२) फैक्टरी (संशोधन) विधेयक

सचिव : श्रीमान्, मैं राज्य-परिषद् द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयकों को सदन-पटल पर रखता हूं :

(१) संघीय प्रयोजनों के लिये भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) विधेयक, १९५४ ।

(२) कारखाना (संशोधन) विधेयक, १९५३ ।

प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक--जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सदन डा० काटजू द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगा । इसे डा० काटजू ने कल प्रस्तुत किया था ।

"प्रेस (आपत्तिजनक विषय) संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये"

श्री एम० पी० मिश्र (मुंगेर उत्तर-पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय, कल मैं कह

[श्री एम० पी० मिश्र]

रहा था कि इस कानून को दो वर्ष की और नई जिन्दगी दी जा रही है। ऐसी कार्यवाही करने के लिये हमारे गृह मंत्री ने कल जो भाषण दिया उससे मुझे यह संतोष नहीं हुआ कि उन्होंने एक काफी मसाला अथवा सामग्री इस हाउस के सामने रखी है जिसके औचित्य पर यह कहा जा सके कि इस बिल को, इस कानून को, जो कि जनता के मौलिक अधिकारों से, देश के लोगों के बुनियादी हकों से सरोकार रखता है, दो वर्ष की और नई अवधि दी जाय ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

मुझे इस बात का दुःख है कि इतने बड़े अहम मामले पर एक लोक राज्य के गृह-मंत्री, जो राज जनता की मर्जी पर खड़ा है और जिस राज्य की बुनियाद ही जनतन्त्र है, सदन के सामने आयें, एक ऐसा बिल पेश करें और उसके लिये कोई भी मसाला, सामग्री अथवा कारण सदन के सामने न रक्खें जिससे उस कानून के औचित्य को सिद्ध कर सकें। यह बात सर्वथा अनुचित और खेद पूर्ण है। गृह-मंत्री महोदय ने आखिर जो दो बातें रक्खीं वे कलकत्ते के दो अखबारों से दो कटिंग्स हैं और उसके साथ साथ उन्होंने बतलाया कि कलकत्ते में शिक्षकों की हड़ताल हुई और उसके चलते उपद्रव हुये, फिर लड़कों ने अपनी परीक्षा को छोड़ कर जो उपद्रव किया, खिड़कियों को तोड़ डाला प्रदर्शन किये। ये दो चार बातें उन्होंने बतलायीं। मुझे इस बात का दुःख है कि इन चीजों को लेकर गृह मंत्री इस सदन के सामने आते हैं और कहते हैं कि इस प्रेस एक्ट को जिस का जनता के बुनियादी हकों से सरोकार है— विधान में बोलने, और लिखने की आजादी है, यह उनका बुनियादी अधिकार है और यह प्रेस ऐक्ट बंधन लगाता है—दो वर्ष की नई जिन्दगी दी जाय। मेरी राय है कि गृह-मंत्री ऐसा करके लोक राज्य को कमजोर करेंगे और यह उनकी कार्यवाही उन ताकतों को मजबूत करेगी जो ताकतें इस देश में और इस सदन में बैठी हुई हैं और जो इस देश में लोक राज को कमजोर करके तानाशाही की बुनियाद खड़ी करना चाहती हैं। मैं सोचता था कि कल भी कह रहा था कि आखिर वे क्या चीजें हैं जिसके कारण सरकार को ऐसा विशेष कानून बनाने की जरूरत पड़ती है, जिनके चलते जनता के बुनियादी हकों पर रोक लगाई जाती है। मैं समझता था कि सरकार या हमारे गृह-मंत्री आकर बतायेंगे कि इस देश में कुछ पार्टियां हैं और हर कोई जानता है कि इस देश में एक नहीं कई पार्टियां हैं, जिनका विश्वास लोक राज में नहीं है, जिनका विश्वास जन तन्त्र में नहीं है। वे पार्टियां खुले आम इस देश की सरकार को, जो जनता की राय से कायम हुई है, जो २५ वर्षों की आजादी की लड़ाई के बाद, बहुत कुर्बानी के बाद बनी है, उस सरकार को ही नहीं, राज्य को, राज्य और सरकार में अन्तर है, उस राज्य को ही उखाड़ फेंकना चाहती हैं और उसकी जगह तानाशाही राज्य कायम करना चाहती हैं। अब आप देखिये, एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी है, दूसरी तरफ जन संघ है, आर० एस० एस० है, राष्ट्रीय स्वयम् सेवक संघ से निकली हुई दूसरी चीजें हैं।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) सब से बड़े मूजी को तो मत भूलिये।

श्री एम० पी० मिश्र : जी हां, मैं आपको नहीं भूलता हूं।

मैं कहना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि कल मुझे बड़ी हंसी आई।

कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग बड़े तैश में आकर इस सभा मे, उपाध्यक्ष पर छींटाकशी करते हुये, बाहर चले गये। आखिर वे क्या चाहते हैं? वे देश को बताना चाहते हैं कि नागरिक अधिकारों के हिमायती वही हैं। लेकिन वे नागरिक अधिकारों के हिमायती नहीं हैं। आप जानते हैं कि वह नागरिक अधिकारों के दुश्मन नम्बर एक हैं। नागरिक अधिकारों की जरूरत उन्हें सिर्फ इस लिये है कि इस देश को, इस देश की आजादी को खत्म करने के लिये, इस राज्य को खत्म करने के लिये वह इन अधिकारों से अनुचित अन्दर फायदा उठायें। जब वह फायदा वे ले लेंगे, जब वह अपना राज्य बना लेंगे, तो उसकी तस्वीर कुछ दूसरी होगी। उन के जो अपने देश हैं, रूस और चीन, जरा वहां के बारे में देखिये जिनकी बुनियाद पर ये लोग यहां सरकार बनायेंगे, अगर इनकी विजय हुई तो। वहां क्या नागरिक अधिकार हैं? वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी बन सकती है, दूसरी नहीं। वह है कम्यूनिस्ट पार्टी। चीन भी कम्यूनिस्टों का देश है।

श्री वी० जी० देशपांडे (गुना) : आप की सरकार ने तो उसे रिकग्नाइज़ किया है।

श्री एम० पी० मिश्र : वह दूसरी बात है, उसको समझाने में मुझे कुछ वक्त लगेगा।

रूस और चीन में क्या हुआ? वहां पर कौन सी जनतंत्रात्मक आइडियालोजी या आदर्श है? वहां कोई लोक राज्य भी है? वहां कोई नागरिक अधिकार हैं? एक ही पार्टी वहां कायम हो सकती है और वह है कम्यूनिस्ट पार्टी। कोई भी आदमी वहां स्वाधीन अखबार नहीं रख सकता है, वहां पर सब अखबार सरकार के हैं। वहां पर बाप बेटे से अपने दिल की बात नहीं कह सकता, पति पत्नी से अपने दिल की बात नहीं कह सकता। उन देशों में बाप को डर रहता है कि कहीं बेटा सरकार की खुफिया पुलिस में तो नहीं है, या पति डरता है कि उसकी पत्नी कहीं सरकार की खुफिया पुलिस में तो नहीं है और कहीं दिल की बात कहने का नतीजा यह न हो कि दूसरे दिन सुबह उसे अपने घर से निकाल कर साइबेरिया की बर्फानी हवा खाने के लिये भेज दिया जाय।

डा० एन० बी० खरे : तो फिर बच्चे कैसे पैदा होते हैं?

श्री एम० पी० मिश्र : ये लोग सदन में आकर प्रजा की स्वाधीनता की बात करते हैं और दुनिया को बतलाना चाहते हैं कि वे नागरिक अधिकारों के बड़े भारी समर्थक हैं। उन देशों मे कम्यूनिस्ट पार्टी क्या करती है? क्या ये लोग उसी लोकतन्त्रात्मक तरीके से इस देश में राज्य करना चाहते हैं और अपने आदर्शों और उद्देश्यों को हासिल करना चाहते हैं?

जो लोग कम्यूनिस्ट विचार धारा से अवगत हैं उन्हें मालूम होगा कि कम्यूनिस्टों को लोकतंत्र में, कम्यूनिस्टों को विधान सभाओं में और पार्लियामेंट में कोई विश्वास नहीं है। वे आये हैं सिर्फ इसका फायदा उठाने के लिये। इससे उनको अपने प्रचार का फायदा होगा। इस प्रकार से वे अपने आदर्शों का इस देश में प्रचार करेंगे। और यहां आकर वह पार्लियामेंट का मज़ाक भी उड़ाना चाहते हैं। दो वर्षों से मैं देख रहा हूं कि कम्यूनिस्ट इस सदन को तमाशा बनाये हुए हैं, इतने बड़े सदन का जो कि ३६ करोड़ हिन्दुस्तानियों की राय से बना है, वे हर दिन मज़ाक उड़ाते हैं। मैं तो चाहता हूं कि सरकार के लोग इस बात को सोचें और इस सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस बात को सोचें, सदस्यगण सोचें कि जो लोग इस सदन की दिन दहाड़े

(श्री एम० पी० मिश्र)

तौहीन करते हैं उन के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाय। कम्यूनिस्ट पार्टी इस देश में कैसे लोकतंत्र में विश्वास करती है, यह इसी से जाहिर है।

मैं सोचता था कि कल हमारे गृह मंत्री जब इतना बड़ा कानून बनाने आये हैं, उसे दो वर्ष की जिन्दगी देने आये हैं, तो वह बतायेंगे कि इस देश की आजादी को, इस देश के लोकराज्य को किन से खतरा है? इन्डीसेन्ट और स्कालिर्ज़ लेख लिखने वालों से भद्दी और अश्लील साहित्य रचने वालों से यह खतरा नहीं है। और अगर उन से यह खतरा है तो इस कानून के बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सरकार के पास इस प्रकार के लेखकों पर रोक लगाने के लिये काफी कानून हैं।

कम्यूनिस्ट पार्टी की अभी मदुरा में एक कान्फरेन्स हुई। पार्लियामेंट के कुछ मेम्बरों ने और कुछ मेरे दोस्तों ने मुझ से कहा कि कम्यूनिस्ट पार्टी ने अब अपना तरीका बदल दिया है। वह गांधीवादी हिन्दुस्तान में जीना चाहती है। अभी उस पार्टी के भीतर जो बातें छिपे तौर पर हुई हैं वह प्रकाश में आई हैं। देशों के कुछ अखबारों में भी वह छपी हैं। अभी एक पुस्तिका मेरे हाथ में आई है जिसे बम्बई के एक प्रकाशक ने प्रकाशित किया है और वह पुस्तिका "Communist Conspiracy in Madurai" (मदुराई में साम्यवादियों का षड्यंत्र) के नाम से छपी है, और उसमें बताया है कि कम्यूनिस्ट पार्टी की वास्तविक नीति क्या है।

उसमें बताया हुआ है कि कम्यूनिस्ट लोग वैधानिक तरीके में विश्वास करते हैं या और किसी तरीके में। यह कम्यूनिस्टों के डाक्यूमेंट से है उन के ही अपने गुप्त कागज़ों से है। मैं उस में से कुछ अंश सुनाना चाहता हूं।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : यह जाल है।

श्री एम० पी० मिश्र : न्यायालय में प्रमाणित कीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उद्धरण सुनें और पुस्तक विक्रेता के खिलाफ कार्रवाई करें।

श्री एम० पी० मिश्र : इस में कहा गया है कि केवल संवैधानिक ढंग से ही हम देश को नहीं बदल सकते। हमें और भी रास्ते ढूंढने चाहियें। यह है १९५१ का उनका घोषणा-पत्र जो कि कम्यूनिस्ट पार्टी ने अपनी नीति का निकाला था और जो इस समय छपा हुआ मिलता है और जिस को श्री रविनारायण रेडी उस दिन झंडे की तरह इस सदन में फहरा रहे थे। उनका रास्ता पार्लियामेंट और विधान सभाओं से और शान्तिमय तरीके से अलग कहीं दूसरी जगह है। और वह कहां है यह भी इसी किताब में लिखा हुआ है और वह उन्हीं के अपने कागज़ात में से है। इस में लिखा हुआ है कि यह उद्देश्य केवल क्रांति द्वारा, केवल वर्तमान भारतीय राज्य को गिराने से ही प्राप्त हो सकता है, शान्तिपूर्ण संवैधानिक तरीके से नहीं। और उनका रेवोल्यूशन क्या है, उसकी क्रांति क्या है वह भी इस में दिया हुआ है। यह स्पष्ट ही कहा गया है कि भारत में सच्चा लोकतंत्र स्थापित करने के लिये साम्यवादी दल केवल वैधानिक तथा संवैधानिक ढंग से ही संघर्ष नहीं करना चाहता, अपितु सशस्त्र लोक क्रान्ति में विश्वास रखता है। यह कम्यूनिस्ट पार्टी का उद्देश्य है। इतना ही नहीं, इस के बाद उन्होंने उसमें लिखा है कि

हम को पार्टिजन आर्मी बनाना है जो कि उन्होंने पूर्वी योरप के देशों में और फिर चीन में बनाया था । वे यहां पर भी एक छोटा मोटा राज्य बनाना चाहते हैं और सशस्त्र क्रान्ति से साजिश और खूंरेज़ी से इन चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं और उन रास्तों से इस देश की सरकार को ही नहीं, राज्य को ही नहीं, राष्ट्र को भी उखाड़ फेंकना चाहते हैं ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : क्या यह साम्यवाद पर भाषण दे रहे हैं ?

श्री बंसल (झज्जर–रिवाड़ी) : आप क्यों घबरा रहे हैं ? धैर्य से काम लीजिये ।

श्री एम० पी० मिश्र : और अब देखा जाय कि क्षेत्र उनका क्या होगा ? इस में बताया गया है कि श्रमिक वर्ग में एकता स्थापित करके एक प्रबल अंडरग्राउंड शक्ति रखी जाय । उन को मालूम है कि कम्यूनिस्ट पार्टी ऐसी हालत में है जब कि उनको सारे कानूनी अधिकार काम करने के मिले हुये हैं, लेकिन फिर भी वह अपनी एक अन्डरग्राउन्ड शक्ति रखते हैं । और वह भी यहां दिया हुआ है । वह क्या है ? वह कहते हैं कि हमारा काम है सारे कानूनी उपायों का उपयोग करके दल के गैर कानूनी संगठन को अत्यधिक शक्तिशाली बनाना । यानी उन की अभी भी, मौजूदा वक्त में भी, जब कि उन के लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, जब देश में इतने नागरिक अधिकार हैं, जब उनकी पार्टी कानूनी है, तब भी उन्होंने कबूल किया है कि उनसे अपनी पार्टी का एक गैरकानूनी अंग कायम कर रखा है और उसे और भी मजबूत करना चाहते हैं ।

श्री टी० बी० विट्ठलराव (खम्मम) : क्या हम जान सकते हैं कि वह साम्यवादी दल के किस प्रकाशन से यह उद्धरण पढ़ रहे हैं ? वह तो कह रहे हैं कि यह साम्यवादी दल की नीति सम्बन्धी विवरण है और वह एक पुस्तक से उद्धरण दे रहे हैं । हमें यह पूछने का अधिकार है कि यह कौन सा साम्यवादी दल का प्रकाशन है जिस में से यह उद्धरण दिया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को अधिकार है कि दूसरी पुस्तक ला कर उस में से उद्धरण दें । अर्थात् वह इन उद्धरणों को गलत बता सकते हैं तथा गलत सिद्ध कर सकते हैं ।

श्री एम० पी० मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतनी गम्भीर बात है कि मैं चाहता था कि हमारे गृह मंत्री नालियों में फेंके जाने योग्य जो वस्तु है उसको यहां ले आये हैं, उसके बजाय ऐसी चीज़ों को देखने की कोशिश करते । मैं चाहता हूं कि सरकार इन चीज़ों को देखे कि यह विष कितना खतरनाक है, जो ३६ करोड़ लोगों की आज़ादी को और उन के भविष्य को खतरे में डालने वाला है । मैं कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि इस ओर कदम उठाया जाय, कार्रवाई की जाय । मैं समझता था कि हमारे गृह मंत्री इन चीज़ों को लेकर हाउस के सामने आवेंगे और कहेंगे कि इस नाज़ुक समय में जब कि दुनिया एक लड़ाई के आमने सामने खड़ी है, और अपने देश में ऐसे दल हैं कि जो इस खतरनाक तरीक़े से देश का नुक़सान पहुंचाने वाले हैं, हमारे पास यह कारण है कि हम कुछ विशेषाधिकार चाहते हैं । लेकिन गृह मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं बतलाया, इस से हमको बहुत ताज्जुब होता है । शायद हमारे गृह मंत्री और हमारी सरकार कम्यूनिस्टों से भी मीठे मीठे सम्बन्ध रखना चाहती हैं ।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : ---- का भरोसा है ।

श्री एम० पी० मिश्र : शायद यह इसलिये हो कि कश्मीर के, जिस से हमारा अपनेपन का सम्बन्ध है, मंत्रिमंडल में कुछ कम्यूनिस्ट हैं और वहां उन के साथ हम मिल कर काम करते हैं। हम कहना चाहते हैं कि यह बहुत ख़तरनाक चीज है । कम्यूनिस्टों से हमारा इस चीज़ में कोई गठबन्धन नहीं हो सकता और समय आ गया है कि इस सरकार को बचाने के लिये, बल्कि देश के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिये, इन चीज़ों की ओर सरकार गम्भीर ध्यान दे । किन्तु गृह मंत्री ने ऐसी कुछ चीज़ हमारे सामने नहीं रखी कि इस कानून की जिन्दगी बढ़ाई जा सके । अगर गृह मंत्री अपने जवाब में भी ऐसी ही चीज़ों के लिये कहेंगे जो कि उन्होंने पहले बताईं, जिन के लिये कि वह यह प्रेस कानून बनाते हैं, या इसको दो वर्ष की नयी जिन्दगी देना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि यह एक्सटेंशन बिल्कुल ज़रूरी नहीं है । देश के साधारण कानून इन चीज़ों का मुक़ाबला करने के लिये काफी हैं और मैं उन से कहूंगा कि आप अपने इस बिल को रद्दी की टोकरी में फेंक दीजिये । लेकिन जिस चीज़ की तरफ में ने सदन का ध्यान खींचा है उसका मुक़ाबिला आपको करना है, कम्यूनिज्म का आपको मुक़ाबिला करना है । मैं जानता हूं कि कम्यूनिज्म का मुक़ाबिला सिर्फ़ कानून से आप नहीं कर सकते । मैं कम्यूनिस्ट पार्टी के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने, या उसको ग़ैरकानूनी पार्टी करार देने की भी बात नहीं करता, अगर मैं जानता कि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है । वह कितनी भी गुमराह होती लेकिन अगर इस देश की होती तो मैं कहता कि उसको भी सारे अधिकार दिये जायें । लेकिन हर कोई जानता है और यह बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि यह राष्ट्रीय पार्टी नहीं है । इस पार्टी के पीछे दो दो कम्यूनिस्ट साम्राज्यों की शक्ति और ताक़तें हैं, जो दुनिया में शान्ति खत्म करके दुनिया में एक कम्यूनिस्ट साम्राज्य कायम करना चाहती हैं । तो इतनी ख़तरनाक चीज़ों के होते हुये इस देश को सोचना होगा और इस सरकार को सोचना होगा कि इस पार्टी के मुताल्लिक़ उसकी क्या नीति होनी चाहिये । इसी सिलसिले में मैं, उपाध्यक्ष महोदय, एक राय और रखना चाहता हूं ।

डा० रामा राव : श्रीमान्, एक औचित्य का प्रश्न उठता है। यदि मुझे समझने में गलती न हुई हो, माननीय सदस्य ने कहा है कि साम्यवादी दल एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है और विदेशी पार्टियों की एजेंट है । यह बात साम्यवादी दल के लिये, जिसका मैं सदस्य हूं, अपमान है । क्या आप ऐसा कहने की अनुमति देंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या ऐसा कहा गया ?

श्री एम० पी० मिश्र : मैं ने कहा कि उन के पीछे दो साम्राज्यों की शक्ति है ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर तो कोई औचित्य का प्रश्न नहीं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : उन्होंने कहा कि साम्यवादी दल एक राष्ट्रीय दल नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने नहीं ध्यान दिया कि क्या कहा गया है । यदि ऐसी बात कही गई हो तो वह उचित नहीं है ।

श्री एम० पी० मिश्र : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मेरे दोस्त मुझे शान्ति से बोलने देंगे, उन को भी बोलने का मौका मिलेगा, वह बड़े गुस्से से कहते हैं कि बाहर की पार्टियों को, बाहर के राज्यों का उन के ऊपर कोई असर नहीं है । अभी मदुरा में ही उनकी कानफ़रेन्स हुई थी और ब्रिटिश कम्यूनिस्ट

पार्टी के प्रधान मंत्री हैरी पालिट साहब छड़ी घुमाते हुये उस कानफरेन्स में तशरीफ लाये थे। वह सात दिन तक वहां रहे और उनका भाषण भी हुआ। वह भाषण भी इस किताब में छपा हुआ है।

मेरे पास एक किताब और है। यह डगलस हाइड नाम के व्यक्ति की लिखी हुई है। यह कम्यूनिस्ट सज्जन और उनकी पत्नी बीस वर्ष तक ब्रिटिश कम्यूनिस्ट पार्टी की सेवा करते रहे। वह उस ब्रिटिश पार्टी के "डेली वर्कर" के न्यूज़ एडीटर भी कई वर्षों तक रहे। उन्होंने जब कम्यूनिस्ट पार्टी से अपना सम्बन्ध तोड़ा तब यह किताब लिखी। बीस वर्ष तक जो आदमी कम्यूनिस्ट पार्टी में रहा, मैं उसकी राय, बग़ैर अपनी राय मिलाते हुये, आपके सामने रखता हूं।

मैं पौन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित और डगलस हाइड द्वारा लिखित 'आई बिलीवड' पुस्तक का उद्धरण देता हूं।

इस में कहा है कि ब्रिटेन के साम्यवादी दल में ४,००० जासूस हैं जो रूस के लिये काम करते हैं और रूस के ऐसे ही लाखों जासूस विश्व में बिखरे हुये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अपनी सरकार से यह शिकायत है कि ऐसी ख़तरनाक चीज़ों को बिल्कुल नजरअन्दाज़ करते हुये हमारे गृह मंत्री यहां दो कटिंग्स ले आते हैं, एक अपने कल्याणी जाने के बारे में और एक अफसरों की कोई शिकायत है उसके बारे में और कहते हैं कि प्रेस बिल बनाने का और दो वर्ष इसकी मियाद बढ़ाने का हमको हक़ दो। मैं कहता हूं कि अगर इस परिस्थिति का मुक़ाबिला करना है, तो यह प्रेस बिल कोई चीज़ नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मैं इस देश के प्रेस को, यहां के समाचार-पत्रों को बहुत नज़दीक से जानता हूं। उनको कम्यूनिस्ट पार्टी जैसी पार्टियों से मिलाना, जो देश की आज़ादी की दुश्मन हैं, बहुत ग़लत चीज़ होगी। इस देश के अख़बारों का, इस देश के समाचार पत्रों का एक शानदार इतिहास है। हिन्दुस्तान की आज़ादी के लिये उन्होंने जो कुछ किया, कांग्रेस संस्था के सिवाय कोई दूसरा उनका मुक़ाबिला नहीं कर सकता। दूसरे देशों के अख़बारों को वह गौरव और शान प्राप्त नहीं है जो हिन्दुस्तान के अख़बारों ने तीस वर्ष तक विदेशी सरकार से लड़ कर प्राप्त की है। यह सरकार नाहक उनकी दुश्मनी मोल ले रही है। ऐसा कानून बना कर देश की आज़ादी के दोस्त जो समाचार-पत्र हैं उन पर बन्धन लगाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि इस तरह सरकार देश के असली दुश्मनों का मुक़ाबिला नहीं कर सकती।

हमारे गृह मंत्री महोदय ने बतलाया कि इस प्रेस ऐक्ट के अधीन अब तक कुल ८६ मुकदमे चले हैं जिन में से ६० से ज्यादा मुक़दमे सिर्फ़ भद्दी और अश्लील लेखों के लिये चले हैं। ऐसा मालूम पड़ता है मानो सरकार ने पंडितों, मुल्लाओं, पादरियों और पुरोहितों का काम अपने ऊपर ले लिया है कि वह देखे कि कौन चीज़ अश्लील है और कौन चीज़ अश्लील नहीं है, यह काम तो लोकमत का है न कि सरकार का। पादरियों, पंडितों और मुल्लाओं के हाथ से भी अब यह काम छीन लिया गया है। इस अश्लीलता के सम्बन्ध में मैं आपको बतलाऊं कि हैबलक़ ऐलिस को जो सेक्स साइन्स का बहुत बड़ा विद्वान माना जाता है, और जिसको इस पर शास्त्र लिखने के लिये आज संसार पूजता है इसी अश्लीलता के नाम पर जेल भेज दिया गया था। मैडम बावेरी के लेखक के ऊपर मुक़दमा चलाया गया था, और आज उसकी वह रचना एक बहुत बड़ी कलाकृति मानी जाती है। सरकार को अश्लीलता से बहुत चिढ़ है तो वह जगन्नाथ मन्दिर के चारों तरफ लोहे की एक दीवार

[श्री एम० पी० मिश्र]

लगा दें जिसमें नंगे चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। और चिकित्सा की तमाम किताबें जला दी जानी चाहियें। मैं फिर कहता हूं यह सरकार का काम नहीं है, यह काम लोकमत का है कि वह इस को ठीक करे। और मेरा निवेदन है कि अगर इसी अश्लीलता को रोकने के लिये प्रेस ऐक्ट रखना है तो इस ऐक्ट को पास करने के बजाय रद्दी की टोकरी में फेंक देना चाहिये।

मंत्री महोदय का कहना है कि देश के साधारण कानून इस परिस्थिति का मुक़ाबला नहीं कर सकते और कहते हैं कि लिखे हुये शब्द बोले हुये शब्द से ज्यादा ख़तरनाक होते हैं। लेकिन मैं उनको बतलाऊं कि आज के युग में विज्ञान इतनी उन्नति कर गया है और रेडियो यंत्र का जगह जगह प्रचार है कि कही हुई बात, एक व्यक्ति उस पर बोलता है और लाखों लोग उसको सुनते हैं, अख़बार तो उतने लोग पढ़ भी नहीं पाते बोली हुई बात भी उतनी ही, बल्कि उस से ज्यादा ख़तरनाक हो सकती है। संविधान में जनता को और सबको बोलने और लिखने की आज़ादी दी गई है। उसको भी आप रोक देना चाहते हैं। मैं अपनी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि लोक राज्य की जड़ इस से मज़बूत नहीं होगी और यह प्रजातांत्रिक तरीका नहीं है। जिस राज्य पर कोई नियंत्रण न रहे जिस के विरुद्ध उठने वाली आवाज़ें बन्द कर दी जायें उसके जुल्मी और अत्याचारी होने का डर रहता है। आज के जमाने में राज्य के पास अशेष ताक़त है। उसके विरुद्ध जनता के पास अपने बचाव के लिये नागरिक अधिकारों के सिवाय और क्या अधिकार हैं। और इसीलिये उनकी इतनी कीमत है।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि तानाशाही से लड़ना है और उसे इस देश से ख़त्म करना है तो उसके लिये एक ही ताक़त हमारे पास है और वह ताक़त लोक राज्य की है, जनतंत्र की है। इस में हमारी आस्था और विश्वास चाहिये। जनतंत्र में इतनी ताक़त है कि पहली लड़ाई के बाद उसने नाज़ी हिटलर और फासिस्ट मुसोलिनी की ताक़तों का मुक़ाबला किया और उनका उसने नाश किया। दूसरी लड़ाई के बाद आज जो दुनिया में कम्यूनिज्म का ख़तरा खड़ा हुआ है, उस से भी जनतंत्र मुक़ाबला कर रहा है और मेरा विश्वास है कि अन्तिम जीत उस की होगी। यहां भी हम जीतेंगे लेकिन उस के लिये जनतंत्र में हमारा विश्वास होना चाहिये, विश्वास के बिना जनतंत्र और लोक राज्य की ताक़त बिल्कुल नहीं है इसलिये हम गृह मंत्री, अपनी सरकार और उन तमाम लोगों से जो लोक राज्य में विश्वास करते हैं कहना चाहते हैं कि उसमें हमारा अटूट विश्वास और भरोसा होना चाहिये और एक लोक राज्य का आधार है उसके नागरिक अधिकार समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और उन की रक्षा। जनता को बोलने, लिखने और सभा करने की आज़ादी और अधिकार हमें भी देना चाहिये, उसको छीनना नहीं चाहिये। वालटेयर के शब्दों में, जो उसने अपने विरोधियों को सम्बोधित करते हुये कहे थे, हम भी अपने विरोधियों से कहें, कम्यूनिस्टों से नहीं, कि: "I disagree with every word you say, but I will defend with my life your right to say it."

[मुझे आपके प्रत्येक शब्द से मतभेद है परन्तु मैं आपकी यह शब्द कहने की स्वतंत्रता को बनाये रखने के लिये लड़ने को तैयार हूं।]

इसलिये मैं अब अधिक और न कह कर अपने गृह मंत्री जी से कहूंगा कि देश की आज़ादी पर जो

ख़तरा है और अगर उसका मुक़ाबला करना है तो कोई दूसरा कानून बनाइये । यह क्या कि अगर किसी अखबार ने किसी सरकारी अफसर को गाली दी या भला बुरा कहा, तो उस अखबार को पकड़ लिया और उसको बन्द कर दिया। मेरे पास मिसालें मौजूद हैं लेकिन समय न होने के कारण पेश नहीं कर सकता कि एक अखबार पर सिर्फ़ इसलिये कार्यवाही की गई है कि उसने किसी अफसर पर टीका टिप्पणी की थी। मैं तो मानता हूं कि अखबारों को टीका टिप्पणी करने का अधिकार होना चाहिये । और यहां पर में इस बात की अपनी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस दिन अखबारों से यह अधिकार छीन लिया जायेगा, साधारण लोगों से यह अधिकार छीन लिये जायेंगे तो लोगों को शह मिलेगी कि वह इस सरकार को और भी तरीकों से हटाने की कोशिश करे । इसलिये मैं समझता हूं कि प्रेस कमीशन के फैसले तक इस कानून को मुल्तवी रखा जाये और मेरी राय में जो देश का साधारण कानून है वह काफी है और उन के द्वारा ही प्रेस का नियंत्रण हो सकता है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : हम इस विधेयक का पूर्णतः विरोध करते हैं । इस से देश के नागरिक अधिकारों पर आघात करने की तैयारी की जा रही है । कांग्रेस के शासनकाल में नागरिक अधिकार वैसे ही कम हो चुके हैं और जो कुछ रह गये हैं उन को इस विधेयक द्वारा छीनने का प्रयत्न किया जा रहा है । क्योंकि मेरा पालन-पोषण एक ऐसे घराने में हुआ है जिस का सम्बन्ध सदा से पत्रकारिता से रहा है इसलिये मैं इस विषय में विशेष दिलचस्पी रखता हूं ।

हम चाहते हैं कि सरकार इस विधेयक को त्याग दे क्योंकि देश की प्रेस ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिस के लिये उस को इस प्रकार दंडित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । चाहे एंग्लो-इण्डियन समाचार-पत्र "स्टेट्समैन" हो और चाहे पूंजीपतियों का साप्ताहिक 'इस्टर्न इकानोमिस्ट"—सभी इस विधेयक का विरोध करते हैं। वर्तमान सरकार कल्याणकारी राज्य बनाने का दावा करने के साथ ही यह भी चाहती है कि अपने आप को सत्तारूढ़ बनाये रखने के लिये उस के पास इस प्रकार के कानून मौजूद रहें । सरकार आज उस प्रेस को दबाने का प्रयत्न कर रही है जिस ने स्वतंत्रता की लड़ाई से मुंह नहीं मोड़ा । यह वही प्रेस है जिसने देश के लिये अंग्रेज़ों के अत्याचार सहे थे । आप प्रेस के ऊपर शान्ति काल में भी संविधान के अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगा सकते हैं यदि उस से देश की सुरक्षा को खतरा हो । जब संविधान में संशोधन किया जा रहा था तो यह बात साफ साफ कह दी गई थी कि प्रेस के विरुद्ध इस प्रकार का कोई कड़ा कानून नहीं बनाया जायेगा । फिर भी ऐसा कानून बनाया गया और वह हमारे सामने है ।

जब यह कानून पहली बार काम चलाऊ संसद के सामने रखा गया था तब भी लोगों ने इस का कड़ा विरोध किया था । प्रवर समिति की रिपोर्ट में भी लोगों ने अपनी विमति प्रगट की थी। १९५१ में सरकार ने तेलंगाना के 'उपद्रव' की आड़ में न जाने क्या किया था। परन्तु इतना होते हुए भी वह ऐसा कोई ठोस दलील न दे सकी थी जिस के आधार पर इस प्रकार के कानून बनाने की आवश्यकता होती ।

डा० काटजू ने उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में बतलाया है कि इस कानून को दो वर्ष तक बढ़ाने की इसलिये आवश्यकता है कि प्रेस आयोग ने अभी तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत

[श्री एच० एन० मुकर्जी]

नहीं की है। कुछ समय पूर्व यह भी बात उठी थी कि श्रमजीवी पत्रकार श्रमिकों की परिभाषा में आते हैं या नहीं। गृह-कार्य मंत्री से कहा गया था कि वह इस विषय पर प्रेस आयोग से अन्तरिम रिपोर्ट ले लें। लेकिन उन्हों ने ऐसा नहीं किया।

१९४८ में सरकार ने प्रेस कानून जांच कमेटी नियुक्त की थी और उस ने अपनी रिपोर्ट भी दी। लेकिन डा० काटजू का कहना है कि क्योंकि समस्त राज्य सरकारें और अधिकारी यही चाहते हैं कि प्रेस कानून और कड़े बनाये जायें इसलिये ऐसा किया जा रहा है। मैं पूछता हूं कि क्या हम इस नौकरशाही के गुलाम हैं, जो वह जिस तरह चाहती है हमें हुक्म दे देती है? आखिरकार हम कब तक इन के कहने पर चलते रहेंगे? आप इस नौकरशाही को जितने अधिकार देते जायेंगे उतना ही यह उन का दुरुपयोग करेगी। मैं पूछता हूं आप इन कानूनों का किस के विरुद्ध प्रयोग करेंगे? क्या उस श्रमजीवी पत्रकार के विरुद्ध जो आप की पोल खोलता है, आप के काले करनामे लोगों के सामने रखता है? मैं जानता हूं इन का प्रयोग आप प्रेस के पूंजीपतियों के विरुद्ध नहीं करेंगे। इस कानून के सम्बन्ध में पहली बहस के समय श्री शिवा राव ने कहा था कि सरकार अवांच्छनीय वक्तव्य छापने वालों को दंड देना चाहती है। मैं पूछता हूं तब आप अश्लील और भद्दी किस्म की चीज़ें छापने वालों को दंड क्यों नहीं देते? अश्लील चलचित्रों को बन्द क्यों नहीं करते? यदि आप को अश्लीलता और भद्दी चीज़ें दूर करनी हैं तो और दिशाओं में नज़र दौड़ाइये। लेकिन बुराइयों को सामने लाने वाले को तो दंड न दीजिये। यदि पत्रकार आप के प्रशासन की बुराइयों को सामने लाते हैं तो कोई बुरा काम नहीं करते। वे तो आप में जागरूकता लाना चाहते हैं जो कि आप में नहीं है।

मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि ऐसी क्या बात हो गई है जिससे कि आप इस प्रकार से प्रेस को दबाना चाहते हैं? हमारे यहां के समाचार-पत्र काफ़ी जिम्मेदार हैं और फिर गन्दे समाचार-पत्र कहां नहीं होते। इंग्लैंड में भी तो ऐसे अख़बार हैं जिनकी अश्लीलता का आप अनुमान ही नहीं लगा सकते; परन्तु वहां के गृह-मंत्री अपनी संसद् में इस प्रकार का कोई क़ानून ले कर नहीं आये। हमारे यहां का प्रेस तो काफ़ी उत्तरदायी है लेकिन फिर भी डा० काटजू यह कानून बना रहे हैं:

कल डा० काटजू ने "आनन्द बाज़ार पत्रिका" में छपे एक लेख का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि इस अख़बार ने पुलिस वालों के लिये "जारज सन्तान" शब्दों का प्रयोग किया और अन्य बहुत सी बातें कहीं। जैसा आप जानते हैं कलकत्ते में उस ज़माने में पुलिस वालों ने प्रेस के लोगों के साथ जिस निर्दयता का व्यवहार किया था, वह एक बहुत लज्जाजनक बात थी और उस पर क्रोध आना कोई अस्वाभाविक चीज़ नहीं थी। फिर यह तो एक कांग्रेसी अख़बार है; साम्यवादी भी नहीं है। जब यह अख़बार ऐसा लिख सकता है तब तो डा० काटजू को यह कहना चाहिये था कि वास्तव में मामला बहुत बड़ा है और मुझे स्वयं वहां जाकर ठीक ठीक बात का पता लगाना चाहिये। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसके अलावा, 'जारज सन्तान' का इस स्थान पर अलंकारिक रूप में प्रयोग किया था। इस तरह का प्रयोग तो हम सब यहां कई विषयों के संबंध में किया करते हैं। परन्तु इसके कारण आपका इतना कठोर क़ानून बनाना सर्वथा अनुचित है।

३ म० प०

मेरे माननीय मित्र ने कुछेक ऐसी बातें कहीं जिन्हें सुन कर मुझे बड़ा खेद हुआ। उन्होंने कहा कि साम्यवादी संसद् के वास्तविक सदस्य नहीं हैं बल्कि ये लोग किसी बाहरी देश के एजेन्ट हैं। मुझे कांग्रेस के लोगों के राजनैतिक अज्ञान पर बहुत अफ़सोस होता है। मैं इस अवसर पर उनकी बातों का जवाब देना नहीं चाहता। यदि आप साम्यवादियों के विचारों को जानना चाहते हैं तो साम्यवादी सिद्धान्तों के साहित्य को पढ़िये। साम्यवाद दुनिया के नक्शे को बदल कर रहेगा। इससे एक नया जीवन और एक नया वातावरण उत्पन्न होगा जिसमें ऊंच और नीच, अमीर और ग़रीब तथा छोटे और बड़े का भेद समाप्त हो जायेगा। यही कारण है कि लोगों को साम्यवाद से ही सारी आशा है और इसे ही वे अपनी उन्नति और कल्याण का उपाय समझते हैं। यह सच है कि हम लोग संसद् को उचित महत्व देते हैं और उसका अपना एक विशेष स्थान है, परन्तु हम यह भी समझते हैं कि हमारा काम इस भवन की चार दीवारों तक ही सीमित नहीं है, हमारा काम तो इसके बाहर है और उन लाखों और करोड़ों लोगों से है जो दिन भर मेहनत करके किसी तरह अपना पेट पालते हैं।

हमसे कहा गया कि हम लोगों में देशभक्ति की भावना नहीं; हम किसी बाहरी देश के इशारों पर ही चलते हैं। मैं खुले रूप से यह चुनौती देता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं वे इसे साबित करें। हमें भारत के एक एक कण से प्रेम है और हम अपने देश के कल्याण के लिये सब कुछ करने के लिये तैयार हैं। हम भारत माता की केवल पूजा करना ही देश भक्ति नहीं समझते हैं, हम यहां के बच्चे-बच्चे की दशा को सुधारने का प्रयत्न करना सच्ची देश भक्ति समझते हैं। ख़ैर, मैं इन बातों पर ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं जानता हूं कि उस ओर बैठे माननीय मित्रों के दिमाग़ में यह चीज़ें बहुत कठिनाई के बाद ही घुसेंगी।

मुझे पता चला है कि माननीय गृह मंत्री ने प्रेस आयोग को एक ज्ञापन भेजा है परन्तु उन्होंने हम लोगों के पास उसे नहीं भेजा। यह बड़े अफ़सोस की बात है हमारे पास ज़रूरी सूचना भी नहीं भेजी जाती जिससे हम इतने गंभीर विषय पर ठीक प्रकार से विचार कर सकें। लोक-वाणी को दबाने के लिये सरकार ने जो तरीक़े अपनाये हैं उनमें से यह भी एक है। सरकार ऐसा इसलिये करती है क्योंकि उसे यह डर होने लगा है कि वास्तव में वह जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यही वजह है कि वह प्रेस को इस तरह से दबाना चाहती है।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं।

श्री एस० एन० अग्रवाल (वर्धा) : सामान्य रूप से हमारे यहां का प्रेस अन्य देशों के मुक़ाबले में किसी प्रकार कम नहीं है। मैं अपने यहां के समाचार-पत्रों की प्रशंसा किये बिना नहीं रह सकता। हमारे स्वतंत्रता-संग्राम में इन समाचार पत्रों ने देश के प्रति बहुत कुछ सेवायें की हैं और आज भी वे देश में प्रजातंत्रात्मक भावना उत्पन्न करने और एकता स्थापित करने के लिये प्रयत्न कर रहे हैं। मैंने "सामान्य रूप से" इसलिये कहा क्योंकि कुछ ऐसे गन्दे और सस्ते अख़बार हैं जो सारे प्रेसों को बदनाम कर रहे हैं। एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर देती है। वहीं

[श्री एस० एन० अग्रवाल]

हाल इन अखबारों का है । मुझे बड़ी खुशी है कि अखिल-भारतीय समाचार-पत्र सम्पादक सम्मेलन और यूनेस्को का सूचना तथा प्रेस संबंधी उप-आयोग इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं जिससे पत्रकार एक विशेष नैतिक स्तर से नीचे न गिरें और अश्लीलता तथा गन्दगी से दूर रहें । यह क़ानून इन्हीं गन्दे और सस्ते अखबारों को दबाने के लिये बनाया जा रहा है ।

मैं आपके सामने कुछ पत्रों के उद्धरण रख सकता हूं जिनसे आप जान सकेंगे कि वे कितनी अश्लीलता और ग़ैर-ज़िम्मेवारी से काम लेते हैं । 'ब्लिट्ज़', 'नागपुर टाइम्स,' उर्दू का 'प्रभात' और 'प्रताप' इन अखबारों में से कुछ हैं । उदाहरण के लिये 'प्रभात' ने मास्टर तारा सिंह के भाषण को उद्धृत करते हुए एक जगह ऐसी चीज़ लिखी है जिसका मतलब यह है कि यदि हमें सफलता नहीं मिलेगी तो फिर हम तलवार से काम लेंगे । इसी तरह "प्रताप" ने १७ मार्च १९५३ को लिखा था कि अब समय आ गया है जब हमें चरखा संघ की जगह एक लट्ठ संघ स्थापित करना चाहिये क्योंकि इसी से हम परिवर्त्तन कर सकते हैं । इसी प्रकार बम्बई का 'फ़िल्म इंडिया' और बाबू राव पटेल संसद् और विधान सभा के सदस्यों के लिये मनमानी बातें लिखा करते हैं ।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने कहा है कि कोई भी राजनैतिक दल यह नहीं कह सकता कि केवल संसद् ही वह स्थान है जहां सारा काम हो सकता है । कांग्रेस भी यह स्वीकार करती है कि संसद् से बाहर भी रचनात्मक कार्य किया जा सकता है । मेरे माननीय मित्र ने एक पुस्तक में से कुछ पढ़ कर सुनाया था । मैं ने भी यह पुस्तक पढ़ी है और मैं समझता हूं कि हमें तथ्य देखने चाहियें । लोगों को सदा बुद्धू नहीं बनाया जा सकता । केवल शोर मचाने से किसी बात को जाल या कपट नहीं कहा जा सकता । यह बात एक पुस्तक में छपी है जो कि एक ऐसे पुस्तक विक्रेता द्वारा प्रकाशित की गई है जो छिपा नहीं है । यदि साम्यवादी दल इस पुस्तक को जाल और कपट समझता है तो वह पुस्तक विक्रेता तथा प्रकाशक पर मुकदमा क्यों नहीं चलाता । जब तक वह ऐसा नहीं करता हम इस को जाल या कपट नहीं मान सकते । सरकार को चाहिये कि साम्यवादी दल से पूछे कि यह सच है अथवा नहीं । और यदि वह इसकी असत्यता प्रमाणित न कर सके तो कुछ कार्यवाही अवश्य की जानी चाहिये ।

सर्वाधिकारवादी देशों में क्या हो रहा है ? साम्यवादी जो प्रेस की स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में इतना कहते हैं उनकी अपनी धारणा क्या है ? श्री विशिंस्की ने अपने एक भाषण में कहा है कि समाजवाद के शत्रुओं को वाक्-स्वातन्त्र्य देना और उन के प्रेस को स्वतन्त्रता देना एक धोखा है । हमारा भी यही उत्तर है कि हम लोकतन्त्र के शत्रुओं को प्रेस की स्वतन्त्रता कैसे दे सकते हैं । हम उन लोगों को कैसे खुली छुट्टी द सकते हैं जो देश में अवैध दलों को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं और देश में गुरीला युद्ध जैसा वर्ग युद्ध छेड़ना चाहते हैं ।

हमें भारतीय प्रेस पर गर्व है, परन्तु अब ऐसा समय है कि हमें लोकतन्त्र के शत्रुओं का मुकाबला करना होगा । जब प्रजा परिषद आदि के आंदोलन चल रहे थे तो भारत सरकार ने अनुभव किया कि वह कुछ नहीं कर सकती । हम सामान्यतः प्रेस की स्वतन्त्रता नहीं छीनना चाहते । परन्तु यदि हमने शासन करना है तो हमें प्रभावी शासन करना होगा । यह लोकतन्त्र

का देश है और जो लोग शान्तिपूर्ण क्रान्ति करना चाहते हैं हम उन का स्वागत करते हैं। मैं ने अन्य देशों के बहुत से समाचारपत्र देखे हैं। वहां अन्य दलों को इतनी स्वतन्त्रता नहीं दी जाती जितनी इस देश में दी गई है। निर्वाचन सम्बंधी भाषणों को देखिये। उन में कितना झूट बोला जाता है, परन्तु सरकार कुछ नहीं कर सकती। मृत्यु शुल्क के सम्बन्ध में ही यह कहा गया है कि यह शुल्क फकीरों और भिखमंगों पर लगाया गया है और वे मृत शरीर को तब तक नहीं ले जा सकते जब तक मृत्यु शुल्क न दें। इस ढंग से अपनी विधियों को लोगों की नज़रों में गिराया जा रहा है!

इस लिए मैं इस विधान का समर्थन करते हुए कहता हूं कि देश में अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतन्त्रता का समर्थन करते हुए भी हमें निश्चय ही अहिंसा और खून खराबे का मुकाबला करना है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): मैं इस विधेयक का सर्वथा विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं।

विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में एक आश्चर्यजनक तर्क प्रस्तुत किया गया है। उसमें कहा गया है कि क्योंकि प्रेस आयोग वर्तमान प्रेस अधिनियम की सम्पूर्ण जांच करने के पश्चात् सिपारिश भेजेगा इस लिए उन सिपारिशों के आने तक इस विषय से सम्बन्धित मामलों की विस्तृत जांच करने का प्रश्न न उठाया जाय। इस से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस अधिनियम की अवधि दो वर्ष के लिये बढ़ाई जानी चाहिये। इस विवरण में ही इस विधान का विरोध सन्निहित है। सरकार प्रेस आयोग के प्रतिवेदन की प्रतीक्षा काल में यह करना चाहती है कि इस अधिनियम की आयु दो वर्ष के लिए बढ़ा दी जाय। क्या यह सद्भावनापूर्ण तर्क है? सरकार यदि विधान को प्रस्तुत करते हुए यह कहती कि प्रतिवेदन के आने तक अर्थात और छः महीने के लिए अधिनियम की कालावधि बढ़ा दी जाये तो मैं समझती कि सरकार की इच्छा सद्भावनापूर्ण है।

जब मूल अधिनियम पारित किया गया था तो कांग्रेस के प्रसिद्ध सदस्यों ने इस आधार पर विधेयक का विरोध किया था कि इस के लिए उपयुक्त कारण नहीं बताये गये थे। श्री राजगोपालाचार्य जैसे योग्य अधिवक्ता ने विधेयक के समर्थन में केवल यही तर्क प्रस्तुत किया था कि यह एक निवारक विधान है और यह लागू नहीं होगा।

महत्वपूर्ण प्रश्नों की जांच के लिए सरकार प्रायः समितियां नियुक्त किया करती है। प्रेस विधि जांच समिति ने इस विधान के सम्बन्ध में यही परामर्श दिया है कि देश की साधारण विधि ही पर्याप्त है। आप उस विशेषज्ञ समिति के मत की भी अवहेलना कर रहे हैं।

प्रेस अधिनियम के इतिहास को लीजिये। यह अधिनियम इस देश में १९०८ में लाया गया जब कि देश भर में संघर्ष चल रहा था। हम अंग्रेजी राज्य को उलटने के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक क्रान्तिकारी आंदोलन चल रहा था। देश-भक्त समाचार-पत्र आंदोलन की सहायता कर रहे थे। उस समय इस अधिनियम को देश के प्रतिनिधियों ने नहीं वरन् साम्राज्यवादी सत्ता ने पारित किया था। १९२० में एक समिति नियुक्त की गई और इस अधिनियम को विकसित किया गया। उस समय अंग्रेज़ भी इसे विधि-पुस्तक में रखे रहने के लिए कोई तर्क प्रस्तुत नहीं कर सके थे। फिर जब १९३१ में हम अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ रहे थे तो हमें दबाने के लिए यह अधिनियम

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

फिर से पारित किया गया । अंग्रेजों ने भी उस समय कहा था कि यह एक आपात काल का विधान है ।

साम्राज्यवादी अंग्रेजों में भी लोकतन्त्रात्मक परम्परा के प्रति स्नेह था । वे प्रेस की स्वतन्त्रता के सिद्धान्त से विमुख नहीं हुए । आज भारत स्वतन्त्र है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता इस का नेतृत्व कर रहे हैं । परन्तु साम्राज्यवादी प्रेस विधि समिति ने अपने प्रतिवेदन में जो कहा था वह हमारी वर्तमान सरकार के विरुद्ध जाता है । यह लज्जा की बात है । जब प्रेस पर प्रतिबंध लगाये जा रहे थे तो सर चार्लेस मेटकाफ ने कहा था कि प्रेस की स्वतन्त्रता से जितना लाभ है इससे कहीं कम हानि है । मैकाले को हम कट्टर साम्राज्यवादी समझते हैं । उस ने भी कहा है कि सरकार के लिए यह सर्वथा पागलपन होगा कि वह अकारण ही अपनी लोक प्रियता को नष्ट करे । प्रेस स्वतन्त्रता के सम्बंध में उन का विचार है कि स्वतन्त्रता ही सामान्य नियम होना चाहिये और प्रतिबंध अस्थायी तौर पर कभी कभी लगाया जाना चाहिये । इस प्रकार अंग्रेज़ भी इस विधान को न्यायोचित नहीं ठहरा सके ।

१९५१ में हमारे उन ही नेताओं ने प्रेस अधिनियम बनाया, जो प्रेस की स्वतन्त्रता के लिए लड़ रहे थे । १९३१ के अधिनियम की धाराओं को ज्यों का त्यों इस अधिनियम में लाया गया परन्तु इसके समर्थन के लिए कारण प्रस्तुत नहीं किये गये ।

अब हमें कहा जा रहा है कि पुराने अधिनियम के खण्डों पर चर्चा न कीजिये और अधिनियम की कालावधि बढ़ाई जा रही है । इतना ही नहीं, अपितु चालाकी से मामूली संशोधनों के नाम पर प्रतिक्रियात्मक संशोधन किये जा रहे हैं ।

माननीय मंत्री ने विधेयक के समर्थन में तर्क देते हुए अपने एक निजी मामले का उल्लेख किया है निस्संदेह उनकी आत्म-सम्मान पर आघात करने वाले प्रेस को नष्ट कर देना चाहिये । हम और विरोधी पक्ष के सब सदस्य इस के लिए सहमत हैं । माननीय मंत्री अपमान-लेख से सम्बंधित साधारण विधि के अधीन उस समाचारपत्र पर अभियोग चला सकते थे ।

मुझे संदेह है कि सरकार इस अधिनियम की कालावधि दो वर्ष के लिए बढ़ा कर प्रेस आयोग द्वारा की जाने वाली सिपारिशों से बच निकलना चाहती है । अन्यथा वह इस के लिए इतनी उतावली क्यों है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी ने ठीक कहा है कि यदि गृह मंत्री प्रेस के सुधार के लिए सद्भावना रखते हैं तो हम उन के साथ हैं । इस के लिए उचित यह होगा कि आयोग का एक अन्तरिम प्रतिवेदन मंगवाया जाय । यदि सरकार लोकमत का आदर करती और सदन को विश्वास दिलाना चाहती है तो उसे अधिनियम के प्रवर्तन के सम्बंध में प्रतिवेदन देना चाहिये था । परन्तु ऐसा नहीं किया गया ।

प्रेस पर किस रूप से नियंत्रण रखा जा रहा है ? प्रतिभूति मांगी जाती है ।

ज़मानत लेने की प्रणाली उचित नहीं है और यह किसी भी सभ्य देश में प्रचलित नहीं है । प्रेस जांच समिति ने भी इसका विरोध किया है । जब हम प्रेस छीन लेते हैं तो यह निरोधात्मक उपाय न होकर दण्ड देने वाला हो जाता है । सरकार यह

गर्व के साथ कहती है कि वह अविशोधन को समाप्त कर रही है । किन्तु वास्तविकता यह है कि वह और भी नियंत्रण लगा रही है । प्रगतिशील पत्रकारिता का एक मूल उद्देश्य यह है कि सम्पादकों को स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिये । यदि ज़मानत की प्रणाली को लागू किया जाता है तो इस का अर्थ सम्पादक को मालिक की इच्छानुसार कार्य करवाना होगा क्योंकि ज़मानत पत्र के मालिक को ही जमा करनी पड़ेगी ।

एक उदाहरण देखिये कि १९४२ के आन्दोलन में नेशनल हैरल्ड के सम्पादक श्री रामा राव, जो ख्यातिप्राप्त पत्रकार हैं, वह भी गान्धी जी के एक वक्तव्य को प्रकाशित करने में हिचकने लगे थे, केवल धन के कारण ही । अतः जब कि ऐसे प्रमुख राष्ट्रीय पत्र को जिसका सम्पादक चोटी का पत्रकार था, केवल धन के कारण झुकना पड़ा, तो इससे सम्पादक की स्वतन्त्रता के दब जाने का अनुमान बड़ी सरलता से लगाया जा सकता है । अत: मैं इस विधेयक के सर्वथा विरोध में हूं ।

चूंकि में अन्डरग्राउण्ड काम कर चुकी हूं अत : मैं जानती हूं कि प्रेस से कार्यकर्त्ताओं को क्या सहायता मिल सकती है । सरकार द्वारा प्रेस के ज़ब्त कर लिये जाने का भय छोड़कर पुस्तिका प्रकाशित की गई । ऐसा केवल इस कारण किया गया कि वह भारतीय प्रेस था । उनमें भी देशभक्ति की भावना थी । वे भी देश स्वातन्त्र्य संग्राम में हाथ बटाना चाहते थे । अब सरकार स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के पश्चात् इन प्रेसों पर प्रतिबन्ध लगाकर उनकी स्वतन्त्रता छीनना चाहती है ।

इस प्रकार के प्रतिबन्ध लगा कर हम लिखित शब्दों तथा बोले जाने वाले शब्दों के बीच विभेद स्थापित करना चाहते हैं जो संविधान के अनुच्छेद १९. (१) के विपरीत है तत्पश्चात् 'आपत्तिजनक सामग्री' की परिभाषा आदि के विषय में पंडित ठाकुर दास भार्गव तथा अन्य लोगों ने बड़े अधिकार पूर्ण शब्दों में कहा है। वास्तव में यदि देखा जाय तो 'अश्लील' शब्द बड़ा व्यापक अर्थ रखता है और विधि में इसका कोई निश्चित अर्थ नहीं है । अतः इस विधेयक को पारित करने से पूर्व इस पर पूर्णरूपेण विचार कर लेना चाहिये । कुछ कांग्रेसी सदस्यों का मत है कि दण्ड संहिता के समान ही यदि कुछ व्यापक अर्थ वाले शब्द इसमें आ जाते हैं तो कुछ बात नहीं किन्तु मैं उनको यह स्मरण कराना चाहूंगी कि कोई भी न्यायायल कुछ विशेष अपराधों के अतिरिक्त अन्य क्षुद्र अपराधों पर कानूनी कार्यवाही नहीं कर सकता किन्तु इस अधिनियम में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री एस० एन० अग्रवाल द्वारा उठाये गए विषय के सम्बन्ध में मैं डा० काटजू को आश्वासन देना चाहती हूं कि पत्रों से भद्दी चीजें तथा अश्लीलता बिल्कुल ही दूर कर दी जाय । दो वर्षों से यह अधिनियम लागू है किन्तु खराब पत्रों को दबाने में हमें सफलता नहीं मिली है । दण्ड संहिता भी विद्यमान है फिर भी कुछ नहीं किया जा सका । आखिर क्यों ? इसलिये कि प्रशासन अपना कार्य उचित ढंग से नहीं कर रहा है । एक तो यह प्रभावरहित है और दूसरे ईमानदारी नहीं है । श्रीमान् जी ने एक पत्र विशेष का उदाहरण दिया है । इस पत्र को कांग्रेस के मुख्य मंत्रियों का संरक्षण प्राप्त है । इसका सम्पादक उस राज्य का एक सम्मानित सरकारी मेहमान है । नागपुर टाइम्स पत्र के सम्बन्ध में मुझे सूचना मिली है कि श्री रविशंकर शुक्ल

संचालकों में से एक हैं अथवा जिनका पत्र के प्रबन्धकों से घनिष्ट सम्बन्ध था ।

श्री एस० एन० अग्रवाल : ऐसा बहुत समय पूर्व था ।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहती हूं कि इसी प्रकार की पत्रकारिता फलती-फूलती है क्योंकि शासन करने वाले दल में अपने दल के प्रति भावना बनी रहती है । इसी प्रकार ऐसे पत्र चल रहे हैं किन्तु मैं ईमानदारी तथा सच्चाई के साथ कहती हूं कि इस अधिनियम के द्वारा हम इस प्रकार की पत्रकारिता को दबा नहीं सकते ।

आपात काल में आप प्रेस के अधिकारों को कम कर सकते हैं । हम आप को इस काम में सहायता देंगे । अश्लीलता और अशिष्टता को दबाने में भी हम आप की सहायता करेंगे । किन्तु बुरे प्रेस को दबाने के लिये आप जो तरीका अपना रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है । आप ने यह विधेयक अशिष्ट या अश्लील प्रेस को दबाने के लिए नहीं, अपितु विरोधी प्रेस के विकास को रोकने के लिए प्रस्तुत किया है ।

मैं केवल दो या तीन खंडों की ओर निर्देश करूंगी । खंड ३ में एक नया शब्द "समाचार-पत्रिका" (न्यूज़-शीट) रखा गया है । कुछ राज्यों में ऐसे पत्र मुद्रक के नाम के बिना छापे जाते हैं । जहां तक बिना नाम के प्रेस का सम्बन्ध है, इस के लिए प्रेस पंजीयन अधिनियम में दंड की व्यवस्था है और मैं समझती हूं कि यह दंड इस प्रकार के प्रेस के लिए पर्याप्त है । आप अब इसे जब्त करने की व्यवस्था क्यों करना चाहते हैं ? इससे प्रेस वालों को केवल संदेह के आधार पर बहुत परेशान किया जायेगा ।

पहले विधेयक में प्रेस के लिए एक छोटी सी रियायत थी कि किसी मुकदमे में दंड का निर्णय करने के लिए पत्रकारों की एक ज्यूरी बनाई जायेगी । अब यह रियायत हटाई जा रही है ।

खंड ५ के सम्बन्ध में, पहले अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि यदि ज्यूरी और न्यायाधीश सहमत न हों तो मुकदमे में अपील की जा सकती थी किन्तु अब यह व्यवस्था है कि यदि इन दोनों में कोई मतभेद न हो और पक्ष को बरी कर दिया जाये, तब भी कार्यपालिका मामले को उच्च-न्यायालय में ले जा सकती है । मेरे विचार में यह उपबन्ध बिल्कुल अनुचित और प्रतिगामी प्रकार का है । इन संशोधनों का केवल यह प्रभाव पड़ेगा कि प्रेस का विकास रुक जायेगा ।

अतः मेरा अनुरोध है कि आप जनता पर, जनता के प्रतिनिधियों अर्थात् पत्रकारों पर अविश्वास न करें । प्रजातंत्र को बढ़ाने के लिए सुसंगठित लोकमत आवश्यक है । यदि आप प्रेस को दबायेंगे, तो प्रजातन्त्र जो कि हम ने बड़ी कठिनाई से देश में स्थापित किया है, खतरे में पड़ जायेगा । मैं आप से कहूंगी कि आप इस विधेयक की अवधि को न बढ़ाये परन्तु प्रेस आयोग की रिपोर्ट की प्रतिक्षा करें । इस रिपोर्ट के बाद, आप जो कार्यवाही आवश्यक समझें कर सकते हैं ।

श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशित—आंग्ल-भारतीय): मैं ने गृहकार्य मंत्री के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है किन्तु इसे सुन कर मुझे बहुत निराशा हुई है । मुझे खेद से कहना

पड़ता है कि इस अप्रीतिकर विधेयक की प्रशंसा करते हुए उन्होंने वही तर्क और शब्द प्रयोग किये हैं जो कि उन्होंने अधिक अप्रीतिकर निवारक निरोध अधिनियम की प्रशंसा करते हुए प्रयोग किय थे ।

इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत करते हुए अंग्रेज भी नम्रता से यह कहा करते थे कि यह एक आपातिक, असाधारण विधेयक है, जिस का उद्देश्य एक असाधारण स्थिति का मुकाबला करना है । किन्तु गृहमंत्री जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही । उन्हों ने तो इस विधेयक को हानि रहित आवश्यक और प्रेस और जनता के लिए दयालु तथा लाभप्रद बतलाया है । उन्हों ने विरोधी पक्ष और देश के सही सूझ-बूझ रखने वाले लोगों के विरोध की बिल्कुल परवा नहीं की ।

जैसे कि गृह मंत्री महोदय ने निवारक निरोध अधिनियम के सम्बन्ध में किया था, वैसे ही उन्हों ने अब भी हमें भयभीत करने की चेष्टा की है और हमारे सामने कई प्रकार के कल्पनात्मक चित्र खींचे हैं और कहा है कि वर्तमान प्रेस एक भयंकर और भीषण प्रकार की वस्तु है । किन्तु उन्होंने इस का बिल्कुल कोई प्रमाण नहीं दिया ।

कलकत्ता के समाचारपत्रों के बारे में उन्होंने दो उदाहरण दिये थे जिन्हें सुन कर हंसी आती है । न तो उन्हों ने उस पत्र का नाम ही बताया है और न ही पूरा लेख उद्धृत किया है, केवल एक शब्द 'हरामी' को ले कर उन्होंने सदन को उत्तेजित करने की चेष्टा की है । किन्तु जैसा कि श्री मुकर्जी ने बताया है, अंग्रेजी भाषा में यदि 'हरामी' शब्द का मुहावरे के रूप में उचित स्थान पर प्रयोग किया जाये तो यह आपत्तिजनक नहीं रहता । इस लेख में कुछ लोगों के बारे में कहा गया था कि वे एक विशिष्ट शासन काल की जारज

सन्तान हैं । इस का अर्थ केवल यह है कि वे उस शासन काल की अप्राकृतिक, अवैध उत्पत्ति हैं । इस में इतनी आपत्तिजनक बात क्या है । मेरे कहने का मतलब यह है कि 'हरामी' शब्द के प्रयोग से इतनी विपत्ति उत्पन्न नहीं हो जाती जिस के कारण इस प्रकार का असाधारण अवैध विधेयक प्रस्तुत किया जाये ।

उन्हों ने जो दूसरा उदाहरण दिया है, वह उन के अपने बारे में है । समाचार पत्रों ने लिखा था कि वे कलकत्ता इसलिए गये थे क्योंकि उन्हें कलयानी में एक विशेष सुविधा जो कि वे चाहते थे, प्राप्त नहीं थी । संभवतः संकेत यह था कि वे स्काच विस्की पीने के लिए वहां गये थे । मैं नहीं समझ सकता कि यदि वे गये थे, तो इस में क्या बुराई है ? मंत्रियों से भी अधिक महान् व्यक्ति स्काच विस्की पीने के लिए नगरों में जाते हैं और उन्हें सब लोग अच्छा कहते हैं । कुछ भी हो, समाचारपत्रों के लिए ऐसा लिखना इतनी दंडनीय बात नहीं जिस के कारण इस प्रकार के प्रेस अधिनियम की अवधि बढ़ाई जाये । जैसा कि, मैं ने कहा है, माननीय मंत्री हमें कोई प्रमाण नहीं दे सके । माननीय गृह मंत्री ने इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं बताये । उन्हों ने केवल इतना ही कहा कि हमारा देश बड़ा है और इस में लाखों समाचार-पत्र निकलते हैं । यह बात ठीक है । उन को यह बताना चाहिये था कि देश में समाचार पत्रों की संख्या कितनी है । इतने अधिक समाचार पत्रों में से इस प्रेस (आपत्तिजनक विषय) अधिनियम के अन्तर्गत कितनों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया ?

एक माननीय सदस्य : छिहासी के विरुद्ध ।

श्री फ्रैंक एंथनी : किन्तु उन्हों ने इस से अधिक कुछ नहीं कहा । इन छिहासी में केवल दो मामले ही ऐसे थे जो स्थिर रहे, बाकी

[श्री फ्रैंक एंथनी]

छोड़ दिये गये थे। उन्हों ने किसी कमजोरी को ही समझ कर ये आंकड़े नहीं बताये। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री हमें यह बतायें कि लाखों समाचार पत्रों में कितनों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमा चलाया गया और इन छिहासी मामलों में से कितनों से वास्तव में जमानत मांगी गई।

श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा श्री मुकर्जी ने पूछा है कि क्या सरकार का विचार कामोद्दीपक लेखों या चित्रों तथा अश्लील साहित्य को रोकने का है या सरकार अपने लिये ऐसे अधिकार प्राप्त करना चाहती है जिस से वह सरकार की नीति का विरोध करने वाले समाचार पत्रों का दमन कर सकें। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री दिल्ली-स्टेशन पर जा कर वहां के बुक-स्टॉल को देखें। वहां उन्हें अश्लील साहित्य वाली बहुत पुस्तकें मिल सकती हैं। यह बुक स्टाल आंशिक रूप से सरकार के नियंत्रण में है और सरकार को इस से आय होती है। मुझे यह देख कर दुःख होता है कि हमारे स्कूलों और कालिजों के विद्यार्थी उन भद्दी पुस्तकों और चित्रों को बड़े शौक से देखते हैं। आप अश्लील साहित्य को रोकना चाहते हैं तो आप इस प्रकार की बातों को क्यों नहीं रोकते।

मैं गृह मंत्री से नम्रतापूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी सरकार में असहिष्णुता तथा सत्ता का मद बढ़ता जा रहा है और कानून के प्रति उपेक्षा की भावना आ रही है। इस विधेयक पर मेरी सब से बड़ी आपत्ति यही है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने वकील होने के नाते इस विधेयक की आलोचना की है। वकील होने के कारण वह जानते हैं कि इस प्रयोजन के लिये भारतीय दण्ड-विधान में पर्याप्त उपबन्ध हैं। जब इस मामले में सामान्य कानून से काम चल सकता है तो आप एक ऐसा अति विशेष अधिनियम क्यों बनाते हैं जो सामान्य कानून को अधितिष्ट करता है और यही मेरी इस पर बड़ी आपत्ति है।

मुझे खेदपूर्वक यह कहना पड़ता है कि गृह-मंत्री ने इस समस्या पर भिन्न दृष्टिकोण से विचार किया है। इसे बड़ा अच्छा विधेयक समझा जाता है क्योंकि सामान्य रूप से किसी व्यक्ति को जेल जाना पड़ता है किन्तु इस के कारण उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा और उसे केवल ज़मानत देनी पड़ेगी। मैं समझता हूं कि यह एक विपरीत तर्क है। गृह मंत्री लोगों को जेल जाने से बचाना चाहते हैं किन्तु मेरे विचार में यह विधान अनैतिक है।

श्री जी० एच० देशपांडे : एक औचित्य प्रश्न है। शराबबन्दी संविधान में एक निदेशात्मक सिद्धान्त के रूप में निहित है। शराबबंदी की हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति देश के संविधान की हंसी उड़ाता है। शराब बन्दी के बारे में एक व्यक्ति मतभेद रख सकता है किन्तु शराबबन्दी की हंसी उड़ाने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

श्री फ्रैंक एंथनी : मैं ने कहा था कि माननीय मंत्री यह बताने का प्रयत्न कर रहे थे कि यह उपबन्ध बहुत दयालुतापूर्ण तथा अत्यधिक उदारतापूर्ण है और साधारण दंड विधि की सम्पूर्ण प्रक्रियाओं से एक मनुष्य की रक्षा करता है। किन्तु मेरा विचार तो कुछ दूसरा ही है। मुझे तो यह उतना उदार दिखाई नहीं पड़ता। यह एक असाधारण तथा विधि के विपरीत उपबन्ध है, और इस प्रकार यह सामान्य विधि पर हावी हो जाता है। मैं कहता हूं कि यह उपबन्ध निर्दयतापूर्ण है क्यों कि यह उन व्यक्तियों को दंड देने के लिए काम में लाया जायेगा जो साधारण विधि के अधीन नहीं आते। जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा है कि

हमारे उन अधिकारों का बड़ी तेज़ी के साथ निराकरण हो रहा है जिन को कि हम ने एक बार बनाया था और जिन को हम समझते थे कि छपकर अब उन को अंतिम रूप मिल गया है। अनुच्छेद १९(२) का निराकरण आप के सामने है। संशोधन के द्वारा अनुच्छेद का मूल प्रयोजन बदल गया है ।

आप कहते हैं कि 'अश्लील' शब्द मान हानिकारक है किन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा कहना सरकार की अति भावुकता और तानाशाही दृष्टिकोण का द्योतक है। मेरे विचार से यह शब्द उचित आलोचना की सीमा के अन्तर्गत आ जाता है। प्रारम्भ में यह जूरियों के आंशिक बचाव के लिए किया गया था किन्तु अब जूरियों के अधिकार कम हो गये हैं अतः इस प्रस्तावित संशोधन के अधीन अब उन्हें केवल यह तै करना होता है कि क्या यह 'आपत्तिजनक' है अथवा नहीं और शेष बातें फिर न्यायाधीश पर छोड़ दी जाती हैं। धारा २३ के अन्तर्गत उस व्यक्ति को अपील करने का अधिकार है जिस के विरुद्ध आदेश दिया गया है, किन्तु अब सरकार को भी यह अधिकार देने का हम विचार कर रहे हैं। मैं ने सदैव ही यह कहा है कि मुक्त किये गये व्यक्ति के विरुद्ध अपील करना अप्रजा-तन्त्रीय तथा असभ्य विधान है और साथ ही दंड प्रक्रिया संहिता के लिए निन्दनीय है। यह उपबन्ध प्रतिगामी है। किसी भी सभ्य देश में मुक्त व्यक्ति के विरुद्ध अपील करने का कोई उपबन्ध नहीं है।

माननीय मंत्री का कहना है कि चूंकि प्रेस आयोग ने अभी अपना प्रतिवेदन नहीं दिया है अतः इस विधि को बढ़ा दिया जाय। मेरा निवेदन है कि इस विधान की अभी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती विशेष रूप से जब कि प्रेस आयोग अपनी सिफारिशें छै महीने में देने वाला है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस विधान की अवधि इस लिए बढ़ाना चाहती है कि उस को यह आशंका है कि कदाचित प्रेस आयोग की एक स्पष्ट सिफारिश यह होगी कि इस प्रकार का विधान विधि के विपरीत है। अवधि का इस प्रकार दो वर्ष के लिए बढ़ाया जाना प्रजातंत्र और विधि सिद्धान्त की मूल भावना के सर्वथा विपरीत है जिसे कोई भी सदस्य स्वीकार नहीं कर सकता।

गृहकार्य उपमंत्री (श्री दातार) : इस विधेयक के सम्बन्ध में जो तर्क वितर्क रखे गये हैं यदि उन पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो चार बातें ऐसी हैं जिन को ले कर आपत्तियां उठाई गई हैं। पहली बात तो यह कही गई है कि इस विधेयक के उपबंध संविधान के प्रतिकूल हैं। दूसरी बात यह कि इस विधेयक के द्वारा जनता के मूलभूत अधिकार छीन लिये गये हैं। तीसरी बात यह है कि अधिनियम का प्रयोग अनुचित रूप से किया गया है। अन्तिम बात यह कि इस अधिनियम की अवधि में विस्तार करने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद १९(१) (क) में वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्र्य का उल्लेख किया गया है। परन्तु इसी अनुच्छेद के दूसरे खण्ड में कहा गया है कि कुछ निश्चित आधारों पर "यथोचित प्रतिबन्ध" लगाये जा सकते हैं। इस का अर्थ है कि जिस स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। वह कोई अनि-यंत्रित स्वतंत्रता नहीं है यथोचित प्रतिबन्ध के जो सुधार संविधान में दिये गये हैं वही संशोधन में रखे गये हैं। इसलिये स्वातन्त्र्य अधिकार की रक्षा उसी समय तक की जायेगी जब तक वह ऐसे मूलभूत आधारों पर आघात नहीं करेगी जिन पर समाज अवलम्बित है।

कल विरोधी पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस अधिनियम की

[श्री दातार]

धारा ३ में 'अश्लील' तथा, इसी प्रकार के, जो अन्य वाक्य आये हैं वे, संविधान के विपरीत हैं। अनुच्छेद १९(२) में सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार तथा सदाचार का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जिन का उल्लंघन होने पर 'यथोचित प्रतिबन्ध' लगाये जा सकते हैं। इसलिये 'आपत्तिजनक विषय' की परिभाषा तो सर्वथा संविधान के उपबन्धों के अनुकूल है। हम यहां स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि वर्तमान विधेयक का अभिप्राय व्यापक रूप से प्रेस का दमन करना नहीं है क्योंकि प्रेस का अधिकांश-भाग तो न्यायोचित ढंग से तथा राष्ट्र के उच्चतम हितों के अनुकूल व्यवहार कर रहा है, परन्तु कुछ समाचार पत्र ऐसे हैं जो मिथ्या प्रचार करते हैं। इसलिये यह विधेयक केवल ऐसे समाचार पत्रों का ही दमन करने के लिये बनाया गया है, साधारण पत्रों के लिये नहीं। इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात पर भी गौर किया जाना जरूरी है : क्या मूल अधिनियम को, जो सन् १९५१ में पास किया गया था, राजनीतिक विरोध का दमन करने के लिए प्रयुक्त किया गया है ? जिस प्रकार ग़लत तरीके से सारी चीज़ को प्रस्तुत किया जा रहा है उस से मुझे बड़ा दुख और आश्चर्य होता है। यदि आप मूल अधिनियम को देखें तो विदित होगा कि उस में इतने प्रतिबन्ध उपबन्धित हैं कि कार्यपालिका उसे निरंकुश तरीके से प्रयुक्त नहीं कर सकती। यह उन बहुत थोड़े अधिनियमों में से एक है जिन में सरकार के अधिकारों को बहुत अधिक नियंत्रित कर दिया गया है। जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, आप स्वयं अधिनियम से देखेंगे कि प्रत्येक मामले में सक्षम प्राधिकारी को सेशंस जज अथवा मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है। पहले, अंग्रेजी काल के अधिनियम में, आप देखेंगे कि मजिस्ट्रेट को तत्काल जमानत भरने का, आदेश देने का अधिकार था और यदि जमानत नहीं भरी जा सकती थी यथाविधि दण्ड मिल जाता था। अब यह चीज़ नहीं रही। मैं सदन से निवेदन करूंगा कि वह उन विशिष्ट परिस्थितियों पर गौर कर के देखे जिनमें कि हम ने इस अधिनियम के उपबन्ध बनाये हैं तथा एक परिष्कृत एवं प्रजातंत्री तरीके से रखे हैं। दो या तीन मामलों में सक्षम प्राधिकारी को सेशंस जज के पास जाने का अधिकार है। एक तो तब जब कि कुछ लेखों द्वारा सार्वजनिक रुचि को विकृत किया जा रहा हो। उस समय कार्यपाली प्राधिकारी द्वारा तत्काल ज़मानत की मांग नहीं की जा सकती है। उसे सेशंस जज के पास पहुंचना पड़ता है। आप देखेंगे कि जो भी कार्यवाही की जाती है वह कार्यपाली कार्यवाही द्वारा नहीं अपितु न्यायिक कार्यवाही द्वारा की जाती है क्योंकि सेशंस जज दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय देता है। कुछ मामलों में मजिस्ट्रेट के पास भी जाना पड़ता है। सब उपबन्ध इस प्रकार रखे गये हैं कि न्याय के आधारभूत सिद्धान्तों का पूर्णतया प्रतिपालन हो।

फिर, यह कहा गया कि इस अधिनियम का गत तीन वर्षों में दुरुपयोग किया गया है। किन्तु यद्यपि मैं कल से बड़े ध्यान के साथ विरोधी दल के सदस्यों का भाषण सुन रहा हूं एक भी ऐसा विशिष्ट उदाहरण मुझे नहीं मिला जिस से इस अधिनियम के दुरुपयोग किये जाने की बात सिद्ध होती हो। एक भी दृष्टांत ऐसा नहीं है जिस में कि इस अधिनियम के सम्बन्ध में की गयी कार्यपाली कार्यवाही पर मजिस्ट्रेट अथवा सेशंस जज द्वारा आपत्ति की गयी हो।

मैं यह भी बतलाना चाहता हूं कि समाज के हित में अपेक्षित कार्यवाही करने के मामले में सरकार ने अत्यधिक सावधानी से काम लिया है। कल माननीय गृह-मंत्री ने कुछ आंकड़े दिये थे। इस अधिनियम का तात्पर्य

समाज की सुरक्षा के लिए केवल ऐसे प्रयत्नों को रोकना है जो कि लोगों की नैतिकता को विकृत करते हों । मैं भी कुछ आंकड़े देना चाहता हूं । इस अधिनियम के अन्तर्गत जो कार्यवाही की गयी थी वह मुख्यत: धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत की गयी थी जिस के अनुसार :

> "ऐसे लेख जो बहुत अभद्र हैं, अथवा दुर्वचनयुक्त या अश्लील हैं अथवा धमकी देने की मंशा से लिखे गये है ।"

सब से अधिक मामले, लगभग ४६ या ५० इसी आधार पर थे । मुझे आशा है कि विरोधी दल इस बात से सहमत होगा कि उसे अश्लील लेखों पर कार्यवाही की जाने में कोई आपत्ति नहीं है और इस प्रकार अधिकतम मामलों में राजनीतिक लेखों पर कार्यवाही नहीं की गयी थी । यह कहना कि इस अधिनियम का प्रयोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विरोध का दमन करना है, वस्तुस्थिति की अवहेलना करना है । जो भी कार्यवाही की गयी थी, समाज के सर्वोपरि हित में की गयी थी । विरोधी दल द्वारा एक भी ऐसा उदारण नहीं दिया गया है जहां कि किन्हीं अधिकारों को जनमत दबाने के लिए प्रयुक्त किया गया हो अथवा अन्य प्रकार से दुरुपयुक्त किया गया हो । इस से यही निदान निकलता है कि इस का उचित प्रयोग हुआ है; और कार्यपाली प्राधिकारी पर भी इतने प्रतिबन्ध लगा दिये गये हैं । वास्तव में, मैं सदन को बतला दूं कि राज्य सरकारों की तो राय यह है कि इस अधिनियम के उपबन्ध उस प्रयोजन के लिए काफी नहीं हैं जिस के लिये कि यह बनाया गया है ।

हमें एक और तथ्य को ध्यान में रखना है । प्रेस जनता में कोई राय—अच्छी या बुरी—फैलाने का सब से शक्तिशाली शस्त्र है और सब से बड़ी गलतफहमी फैलाने का मतलब है धमकी, बदनामी देना । संविधि पुस्त में इस अधिनियम रहने मात्र से ऐसी प्रवृत्ति पर अंकुश लगता है । कल विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने कहा कि चूंकि ऐसे मामले बहुत कम थे जिनमें कि जमानत मांगी गई हो अथवा जब्त कर ली गयी हो अतएव इस बुराई की जड़ इतनी गहरी नहीं है तथा इसलिए इस अधिनियम की कोई आवश्यकता नहीं है । इस का उत्तर बहुत साधारण है । चूंकि ऐसा अधिनियम मौजूद है इसलिए दुर्वचन-युक्त अथवा अश्लील भाषा लिखने वाला यह जानता है कि उस का लेख इस अधिनियम की ज़द में आ जायेगा और उसे ज़मानत खोनी पड़ेगी, इसलिए वह ऐसी भाषा लिखने में आगा-पीछा विचारता है ।

एक ओर प्रेस के मालिक और दूसरी ओर प्रेस के प्रबन्धक अथवा प्रकाशक में भेद करने का प्रबन्ध किया गया था । आप देखेंगे कि इस भेद में कोई सार नहीं है क्योंकि प्रेस के कर्मचारियों को जमानत नहीं देनी पड़ती । किसी लेख को जब्त किये जाने पर कर्मचारियों पर प्रभाव नहीं पड़ता । प्रेस रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अंतर्गत सरकार का प्रेस मालिकों से कोई सम्बन्ध नहीं रहता; उसे प्रेस के प्रबन्धक अथवा प्रकाशक के विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ती है, और कुछ मामलों में सम्पादकों के विरुद्ध । ये ही लोग प्रकाशन करते हैं और इसलिए इन लोगों को दण्ड देना मालिकों को ही दण्ड देना है । इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि इस अधिनियम का आशय बेचारे प्रबन्धक अथवा प्रकाशक को ही दण्ड देना है तथा मालिक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

एक बात यह उठाई गयी है कि इस अधिनियम की आवश्यकता ही क्या है । दूसरे शब्दों में, इस की अवधि बढ़ाने की क्या आवश्यकता है ? मैं सदन को बतला चुका

[श्री दातार]

हूं कि कुछ मामले ऐसे हैं। भारत के कुछ भागों में ऐसे प्रेस हैं जो बहुधा ही दुर्वचन-युक्त भाषा का प्रयोग किया करते हैं और जब सरकार देखती है कि सहनशीलता की सीमा समाप्त हो चुकी है, तो वह कार्यवाही करती है। ऐसे लेखों के लिए यह अधिनियम आवश्यक है।

इस बात पर आपत्ति की गई थी कि हम ने प्रेस आयोग नियुक्त किया जो अपना कार्य कर रहा था तथा आशा थी कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी कुछ मासों में प्रस्तुत कर देगा। यह भी सुझाव दिया गया था कि हम एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त कर के कुछ कार्यवाही कर सकते थे। हम ने जो कार्यवाही की है वह अन्तरिम प्रकार की है। यह सदन को अवश्य समझाना चाहिये। प्रस्तुत होने वाले प्रतिवेदन के आधार पर हम सम्पूर्ण प्रश्न की जांच करना चाहते हैं।

प्रेस आयोग अपना कार्य कर रहा है। इस का प्रेस पर ही नहीं अपितु देश पर भी गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। इस में सन्देह नहीं कि आयोग का प्रतिवेदन आगामी कुछ मासों में प्रस्तुत होगा, परन्तु आप इस बात से सहमत होंगे कि केवल प्रतिवेदन के प्रस्तुत करने का अर्थ संसदीय अधिनियम पारित करना नहीं है। हमें बहुत सी आवश्यक कार्यवाही करनी है, तथा आवश्यक कार्यवाहियों में से एक यह है कि हमें केवल राज्य सरकारों के ही नहीं अपितु जनसाधारण के विचारों का भी निश्चित रूप से पता लगाना है। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने में कुछ समय अवश्य लगेगा क्योंकि प्रतिवेदन में बहुत से विषयों का वर्णन होगा और वे गम्भीर महत्व वाले होंगे। ऐसी प्रक्रिया को विलंबकारी नहीं कहा जा सकता है। यह बड़ी आवश्यक प्रक्रिया है क्योंकि हमें नया विधान सोच समझ कर बनाना है। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार के लिये यह सम्भव नहीं हुआ होता कि वह एक अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त कर के कार्यवाही करती।

सदन को यह बात भी समझनी है कि केवल उन्हीं बातों पर विचार करना जिन के लिये वर्तमान अधिनियम पारित किया गया है, प्रेस आयोग के लिये भी कठिन हो सकता था। इस का कारण यह है कि सारे प्रश्नों का एक दूसरे से सम्बन्ध है। अतः सम्भव है कि प्रेस आयोग कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर पाता।

सरकार सम्पूर्ण प्रश्न पर थोड़ा थोड़ा कर के नहीं, अपितु एक साथ विचार करना चाहती है। फिर सरकार आयोग की सिफ़ारिशों के सम्बन्ध में वह कार्यवाही करेगी जो भारत के हित में आवश्यक होगी। राज्य सरकारों से परामर्श करने, जनसाधारण का मत जानने, बहुत सी प्रेस संस्थाओं से परामर्श करने तथा फिर विधेयक पुरःस्थापित करने में सरकार को कम से कम एक वर्ष लगेगा। विरोधी-दल के माननीय सदस्य उस विधेयक की भी आलोचना करेंगे, तथा विधेयक के पारित होने में भी कुछ समय लगेगा। इन्हीं पूर्णतया प्रामाणिक तथा समर्थनीय कारणों से सरकार का विचार था कि स्थिति को ज्यों का त्यों बनाया रखा जाये, क्योंकि इस स्थिति को बनाये रखना राष्ट्र के हित में है।

पत्रों अथवा लेखों के सम्बन्ध में भारत सरकार को राज्य सरकारों के मतानुसार कार्यवाही करनी पड़नी है। यदि राज्य सरकारें चाहती हैं, और हम देखते हैं कि वे न्यायतः चाहती हैं, कि यह अधिनियम दो वर्ष तक लागू रहे, तो संसद् तथा भारत सरकार का कर्तव्य है कि वे राज्य सरकारों को ऐसा अधिकार दें जिस की उन्हें आवश्यकता है तथा जिसका उन्हों ने तनिक भी दुरुपयोग नहीं किया है।

अन्त में, यह आपत्ति की गई थी कि यह अधिकार देने के अतिरिक्त, कुछ नये उपबन्ध, जो इस महत्व के नहीं हैं, बनाये गये हैं। मैं नम्रतापूर्वक सदन को बताता हूं कि ये संशोधन केवल छोटे-छोटे उपबन्धों के सम्बन्ध में हैं। एक संशोधन में केवल अनधिकृत लेख का उल्लेख किया गया है। यह देखकर मुझे बड़ा अचम्भा हुआ कि श्रीमती सुचेता कृपलानी नें अनधिकृत लेखों के पक्ष में तर्क दिया है। उन्हों ने हमें बताया था कि इस मामले पर विधेयक के कुछ अन्य उपबन्ध लागू हो सकते हैं। हो सकता है कि ये तनिक भी लागू न हों। आखिर न्यायालय में तो सब प्रकार का वैधानिक विरोध किया जाता है। अतः जहां तक इन धाराओं में से एक धारा का सम्बन्ध है, सरकार को यह विशेष संशोधन प्रस्तुत करना चाहिये।

फिर दो कारण और हैं। एक यह है कि विधि के प्रश्न के मामले में जूरी का अधिकार छीन लिया गया है। जहां तक जूरी के बड़े प्रश्न का सम्बन्ध है, संसद् इस पर उस समय विचार करेगी जब दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक सदन में रखा जायेगा। परन्तु सदन को मैं यह बता दूं कि ऐसे लेखों के सम्बन्ध में हम जिस प्रकार की जूरी चुनते हैं उस में वे व्यक्ति होते हैं जिन्हें पत्रकारिता का या प्रेस चलाने का अनुभव हो या होना चाहिये। अतः हम सत्र-न्यायाधीश की सहायता के लिये ऐसी जूरी बुलाते हैं जो यह जानते हैं कि किस बात का निर्णय करना है। परन्तु इस सब के होते हुए भी यह मानना पड़ता है कि विधि के प्रश्न का निर्णय करने के लिये, पर्याप्त प्रमाणों का होना, तथ्य का प्रश्न नहीं है, और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत, जब कभी भी किसी फौजदारी के मुकद्दमे की सुनवाई होती है उस में तथ्य का निर्णय जूरी करती है तथा अन्त में न्यायाधीश निर्णय देता है तथा अभियुक्त को दण्ड देता है या अभियुक्त को मुक्त कर देता है। अतः उसी भेद का जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार सामान्य फौजदारी न्यायालयों में विद्यमान है, ऐसा भेद जो पूर्णतया दोषरहित है, ऐसे आधार पर विरोध किया गया है जिसे समझने में मैं असमर्थ हूं।

श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) : परन्तु दण्ड प्रक्रिया तथा उस की सारी प्रणाली संहिता होते हुए भी यह विधान बनाया गया तथा इस में सर्वसत्ताधारी जूरी के लिये विशेष उपबन्ध रखे गये।

श्री दातार : उस समय विशेष उपबन्ध बनाये गये होंगे क्योंकि अधिनियम प्रथम बार पारित होना था। अब हमें अनुभव हो गया है तथा मैं एक अभियोग का दृष्टांत दे रहा था कि उस में जूरी ने कहा था कि कुछ विशेष लेख, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई थी, बहुत से उप-खण्डों के अन्तर्गत पूर्णतया आपत्तिजनक थे। फिर द्वितीय खण्ड में आप देखेंगे कि उन्होंने कहा था कि ज़मानत लेने के लिये, या संहिता के अन्तर्गत कोई आदेश निकालने के लिये यह पर्याप्ति नहीं है।

इस प्रश्न का निर्णय कोई अनजान व्यक्ति नहीं कर सकता है और न ही कभी इस का उस से निर्णय कराने की अनुमति दी जा सकती है। फिर भी, उन के पत्रकारिता के अनुभव का यथोचित आदर करते हुए, किसी विशिष्ट आधार की पर्याप्तता के सम्बन्ध में जिस बात की आवश्यकता है वह यह नहीं है कि लेख-विशेष आपत्ति-जनक है अपितु आवश्यकता इस की है कि ज़मानत लेने के लिये या ज़ब्त करने के लिये पर्याप्त आधार हैं या नहीं। आधार की पर्याप्तता का यह प्रश्न वह प्रश्न है जिस का निर्णय सत्र-न्यायाधीश को करना है, ऐसे न्यायाधीश को निर्णय करना है जो जानता है कि न्यायोचित निर्णय

[श्री दातार]

कैसे किया जाता है। इस मामले का निर्णय ऐसे न्यायाधीश पर छोड़ देना चाहिये। केवल इस उद्देश्य के लिये ही, अर्थात् इसे देश की साधारण विधि के अनुकूल बनाने के लिये, इस अधिनियम में यह विशेष भेद रखा गया है।

एक आपत्ति उठाई गई थी कि नये विधान के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी या सरकार को अपील करने का अधिकार दे दिया गया है। अपील करने का अर्थ यह नहीं है कि किसी विशेष समाचार पत्र, लेखक, मुद्रणालय-प्रबन्धक या प्रकाशक का तिरस्कार किया जाता है। सब मामलों में हमें विदित है कि न्याय-शास्त्र की विधि के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार जब कभी कोई निर्णय हुआ है, वह अपील के लिये खुला रहना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : न्याय-शास्त्र के वे सामान्य सिद्धान्त कहां हैं जो विमुक्त के विरुद्ध अपील करने की पुष्टि करते हैं? संसार भर में, भारत को छोड़ कर ऐसा कोई सिद्धान्त नहीं है।

श्री दातार : यह मानना पूर्णतया ग़लत है कि जब भी कोई विरुद्ध निर्णय हो, उस की अपील करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। मैं इस प्रश्न पर सर्वथा दृढ़ हूं। जहां तक मेरे माननीय मित्र द्वारा उठाये गये विमुक्ति के प्रश्न का सम्बन्ध है, हम यह जानते हैं तथा हमारे लिये बड़ी लज्जा का विषय है कि कुछ मामलों में विमुक्तियां अवैध न होने पर भी ग़लत होती हैं। अभी मैं इस प्रश्न की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक के साथ साथ यह भी सदन के समक्ष आयेगा। परन्तु यह स्पष्ट रूप से समझना है कि कुछ ऐसे मामले हैं जिन में विधि में कुछ कठिनाइयां होने के कारण, तांत्रिक सिद्धान्तों के कारण तथा अन्य बातों के कारण न्यायाधीश को निर्णय देना पड़ता है तथा उसे विमुक्ति का निष्कर्ष निकालना पड़ता है। अतः ऐसी विमुक्तियों के विरुद्ध, न्यायाधीश का यह मत होने पर भी कि नैतिक दृष्टि से अपराधी ने अपराध किया है, अन्त में सामाजिक हित की दृष्टि से अपील करनी पड़ती है। इसलिये मेरे मित्र का यह कहना गलत है कि विमुक्ति के विरुद्ध कोई अपील नहीं होनी चाहिये। यह एक अत्यन्त सरल मामला है। ऐसे कुछ लेख हो सकते हैं, जिस के बारे में सत्र-न्यायाधीश को यह निर्णय देना पड़ता है कि ये आपत्तिजनक लेख नहीं हैं। इन परिस्थितियों में क्या सरकार को, जिन समाज के हित का ध्यान रखना तथा उस की रक्षा करनी है, यह अधिकार होना चाहिये या नहीं कि वह मामले को राज्य में उच्चतम न्याय सम्बन्धी अधिकरण में ले जाये? यह मूल अधिकारों में से एक है। सरकार को समाज की रक्षा करने का भी मूल अधिकार प्राप्त होना चाहिये। अन्त में, उच्च न्यायालय मामले का निर्णय करता है। इस अन्तिम निर्णय पर आपत्ति क्यों होनी चाहिये तथा मुद्रकों व प्रकाशकों को विरुद्ध निर्णय के डर से अति अधिक चिन्तित क्यों होना चाहिये? जब कि मामला सत्र-न्यायाधीश के पास है, यह स्वाभाविक है कि, साधारणतया, वे अपील करेंगे तथा उन्हें उच्च न्यायालय का निर्णय पाने का, चाहे वह कुछ भी हो, अवसर अवश्य प्राप्त होना चाहिये। अतः सरकार चाहती है कि, उचित मामलों में, उन्हें यह अधिकार होना चाहिये कि वे उस आदेश के विरुद्ध अपील कर सकें जो सरकार के विरुद्ध हो, जहां सत्र-न्यायाधीश ने निर्णय दिया हो कि ज़मानत लेना आवश्यक नहीं है या ज़ब्त करना आवश्यक नहीं है। इन्हीं कारणों से यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया है। इस में तनिक भी दुराशय नहीं है तथा कोई अधिकार नहीं छीने गये हैं।

श्रीमान्, मैं फिर नम्रतापूर्वक दोहराता हूं कि यह सर्वथा हानिरहित विधान है तथा उठाई गई सारी आपत्तियां निराधार हैं।

श्री एम० एस० गुरूपादस्वामी (मैसूर) : अभी उप मंत्री ने अपने भाषण में वही बातें कहीं जो डा० काटजू ने कल कही थीं। एक कहावत है कि यदि आप यह जानना चाहते हों कि कोई देश सभ्य और प्रजातंत्रात्मक है तो आप उस देश के कानूनों को देखिये। देश को स्वतन्त्रता मिलने के सात या आठ वर्ष बाद भी वाक् स्वतन्त्रता के लिये आन्दोलन हो रहा है। यह खेदजनक बात है कि जो लोग प्रेस की स्वतंत्रता के लिये लड़े थे वे अब प्रेस की स्वतंत्रता का दमन करने वाला विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह विधेयक हमारे संविधान तथा प्रजातंत्रात्मक स्वतंत्रता पर कुठाराघात है। कुछ सदस्यों ने कहा कि इस अधिनियम में चार अच्छाइयां हैं। पहिली यह है कि इस अधिनियम के कारण पूर्व-विवेचन हटा दिया गया। दूसरी यह है कि इस के कारण सब से जमानत नहीं मांगी जायगी। तीसरी यह है कि इस के अनुसार अब कार्यपालिका के स्थान पर न्यायपालिका ज़मानत मांगेगी और इस की चौथी अच्छाई यह है कि मुकद्दमे में जूरी प्रणाली से काम लिया जा सकता है। किन्तु यदि हम १९३१ के अधिनियम, १९१० के प्रेस अधिनियम तथा १९०८ के प्रेस अधिनियम को देखें तो हमें पता लगेगा कि उन में पूर्व-विवेचन का उपबन्ध नहीं था। इस अधिनियम से हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती जो हमें संविधान से नहीं मिलती।

प्रस से ज़मानत के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि प्रेस से ज़मानत मांगना लज्जास्पद कार्य है। कार्यपालिका के स्थान पर न्यायपालिका द्वारा जमानत मांगने से भी इस अधिनियम में कोई सुधार नहीं हुआ। देश के समाचार पत्र इस प्रकार के किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार की मांग नहीं करते जो अन्य नागरिकों को प्राप्त नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता समाचार पत्रों का ही विशेषाधिकार नहीं है अपितु सभी नागरिकों का अधिकार है। समाचार पत्र कोई विशेषाधिकार नहीं चाहते। यदि इस विधेयक पर जनता की राय ली जाय तो कोई भी इस का समर्थन नहीं करेगा। यह विधेयक हमारे संविधान तथा प्रजातंत्र पर धब्बा है इसलिये इस विधेयक को छोड़ दिया जाय।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : गृह-कार्य उपमंत्री ने भारतीय प्रेस की प्रशंसा की और उन के कहने का अभिप्राय यह था कि प्रेस भी इस विधेयक को अच्छा समझता है। किन्तु अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन ने भी इस की निन्दा की। गृह मंत्री ने कहा कि उन की कल्यानी कलकता यात्रा सम्बन्धी बातों को भी समचार पत्रों में अजीब प्रकार से छापा गया था। किन्तु समाचार पत्र तो सभी प्रकार के व्यक्तियों के विषय में समाचार छापते हैं और इस में कोई विशेष बात नहीं है। प्रजातंत्रात्मक देशों में स्वतंत्र तथा निर्भीक प्रेस अनुपम वस्तु मानी जाती है। किन्तु हमारे देश में प्रेस को उतनी स्वतंत्रता नहीं है। इसलिये हमारे प्रेस की हालत भी बिगड़ गई है।

अंग्रेजी शासन काल में हमारे प्रेस ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया था। उस समय इस के सामने स्वतंत्रता का ध्येय था और इस से जनता को प्रेरणा मिलती थी। किन्तु स्वतन्त्रता मिलने के बाद प्रेस यह चाहता है कि सरकार उसे अपने विज्ञापन दे तथा उस के साथ विशेषता पूर्ण व्यवहार करे और इसलिये इस की वह ख्याति समाप्त हो गई है। हमारे देश में दो प्रकार के प्रेस हैं। एक तो ऐसे प्रेस हैं जो कांग्रेस तथा सरकार की

[डा० एन० बी० खरे]

नीति की प्रशंसा करते हैं और दूसरे वे प्रेस हैं ज स्वतंत्र नीति का अनुसरण करते हैं।

मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि किसी भी सभ्य देश की संविधि पुस्तक में इस प्रकार का अधिनियम है? अमेरिका और इंग्लैण्ड जैसे सभ्य देशों में ऐसा कोई अधिनियम नहीं है जिस से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अपहरण होता हो इसलिये इसे बहुत ही बुरा विधेयक कहा जा सकता है। प्रजातंत्रात्मक देश में पूर्ण वाक् स्वातंत्र्य होना चाहिये और लेख लिखने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। इसी लिये मैं इस विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध करता हूं। और आशा करता हूं कि सरकार इस के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्य नहीं करेगी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस विधेयक में कुछ ऐसी बातें हैं जिन के बारे में दोनों पक्ष सहमत थे। मैं ने मूल विधेयक का विरोध किया था। मैं समझता हूं कि मूल विधेयक संविधान के विरुद्ध था। मैं ने उस विधेयक के तृतीय वाचन के समय यह कहा था कि नई संसद् इस विधेयक में संशोधन करेगी और मैं अब भी यही समझता हूं कि हमारे प्रेस की पूर्ण रूप से रक्षा नहीं होती और इस से वाक् स्वतंत्रता का अपहरण होता है। मैं इस विधेयक को दो भागों में बांटूंगा। इस का एक भाग तो इस की अवधि में वृद्धि करने से सम्बन्धित है और दूसरे भाग में इस में किये जाने वाले मामूली संशोधन हैं। इन मामूली संशोधनों के बारे में मेरी आपत्ति यह है कि प्रेस से सम्बन्धित सभी कानूनों को हम ने प्रेस आयोग को निर्दिष्ट किया है इसलिये ये संशोधन भी उस आयोग को भेज दिये जाने चाहियें। मैं श्री वेंकटारमन् की इस बात का समर्थन करता हूं कि यह अधिक अच्छा होगा कि सरकार इन उपबन्धों को पारित किये बिना ही इन्हें उस आयोग को भेज दें।

[**श्री पाटस्कर** पीठासीन हुए]

मैं इन संशोधनों को छोटे संशोधन न मान कर बड़े संशोधन मानता हूं। सब से पहिले मैं अपील कर के प्रश्न को लेता हूं। मुझे इस पर यह आपत्ति है कि दुनिया के किसी भी सभ्य देश में सरकार द्वारा अपील करने के उपबन्ध नहीं हैं। यदि हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां हों जिनके कारण सरकार के लिये इस प्रकार की अपील करने के अधिकार प्राप्त करना आवश्यक हो तो मैं उस बात को तुरन्त मान लूंगा। जब आप जूरी और सत्र न्यायाधीश नियुक्त करते हैं तो यह वास्तविक रूप से एक मुकदमा होना चाहिये। किन्तु वास्तविकता की दृष्टि से इस में कोई शिकायत तो प्रस्तुत नहीं की जाती। शिकायत तो किसी व्यक्ति द्वारा अपराध किये जाते समय की जाती है।

श्री दातार : स्वयं अधिनियम में इसे शिकायत कहा गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यदि अधिनियम में इसे शिकायत कहा गया है तो अधिनियम ही ग़लत है। यदि कोई अपराध ही नहीं किया जाता तो शिकायत करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हो सकता। यह तो एक निवारक विधान है। इस का उद्देश्य केवल यह है कि अपराध की पुनरावृत्ति न हो। इसे मुकदमा चलाना नहीं कहा जा सकता और जब यह मुकदमा ही नहीं तो इस में बरी करने का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

प्रेस सम्बन्धी किसी भी पुराने अधिनियम में ऐसा कोई भी उपबन्ध नहीं है। ऐसे विवादग्रस्त उपबन्ध को मामूली सा संशोधन नहीं कहा जा सकता। जहां तक जूरी के अधिकार सम्बन्धी संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं यह कहूंगा कि यह कहना ठीक नहीं है कि

इस जैसे विषय में तथ्य का प्रश्न जूरी तय करे और विधि का प्रश्न सत्र न्यायाधीश तय करे। मैं यह जानना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति को जमानत देने का आदेश देने का प्रश्न तथ्य का प्रश्न है या विधि का।

जब यह अधिनियम पहली बार बनाया गया था तो इस का एक निश्चित उद्देश्य था। उस समय कहा गया था कि यह केवल दो वर्ष तक रहेगा, इस से अधिक नहीं। हम ने इसे इसलिए स्वीकार कर लिया था क्योंकि श्री राजगोपालाचार्य ने कहा था कि यह एक प्रयोगात्मक अधिनियम है और इसे देश की स्थायी विधियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। चूंकि यह विधान समझौते की दृष्टि से केवल दो वर्ष के लिए बनाया गया था, इस लिए मुझे यह देख कर दुख होता है कि इस की अवधि बढ़ाई जा रही है।

नये छोटे छोटे संशोधनों के बारे में मेरा निवेदन यह है कि इस विधेयक को किसी ऐसे विषय के सम्बन्ध में लागू नहीं करना चाहिए, जो कि मूल विधेयक में न दिया गया हो। उदाहरणतया 'समाचार पत्रिका' (न्यूज-शीट) की परिभाषा में वृद्धि करना बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं कि इस प्रकार के संशोधनों का क्या प्रभाव पड़ेगा? इस उपबन्ध का परिणाम यह होगा कि सम्बन्धित व्यक्ति का सारा मुद्रणालय, जो कि उस की जीविका का साधन है, जब्त कर लिया जायेगा। इस प्रकार का उपबन्ध किसी अन्य देश के विधान में नहीं मिलेगा।

मैं कह सकता हूं कि मूल विधेयक को प्रस्तुत करते समय श्री राजाजी को जो आशा थी, वह पूरी नहीं हुई और यदि स्थिति ऐसी रही तो कभी पूरी नहीं होगी किन्तु मैं श्री दातार को इस बात पर बधाई देता हूं कि उन्हों ने विरोधी पक्ष की एक बात का बहुत अच्छा उत्तर दिया है। उन्हों ने कहा है कि विरोधी पक्ष एक भी ऐसा उदाहरण नहीं दे सका, जिस में अन्याय किया गया हो या जिस में एक अधिनियम का दुरुपयोग किया गया हो। मैं जानता हूं कि जब तक पंडित जी और डा० काटजू यहां हैं, देश में दमन की नीति का अनुसरण नहीं किया जायेगा। मैं जानता हूं कि कांग्रेस सरकार दमन की नीति नहीं अपनायेगी किन्तु यह जानते हुए भी मैं यह अधिनियम नहीं देखना चाहता। यह अधिनियम केवल आपात काल में स्थिति का मुकाबला करने के लिये बनाया गया था। किन्तु इन दो वर्षों में जब कि यह अधिनियम लागू रहा है किसी प्रकार की आपातिक स्थिति पैदा नहीं हुई और न ही विरोधी पक्ष के दमन का कोई उदाहरण दिया जा सका है। किन्तु इस प्रकार का उदाहरण न होने के कारण हम इस अधिनियम को बढ़ाना न्यायोचित नहीं ठहरा सकते।

श्री दातार ने यह कहा कि इस प्रकार के अधिनियम के बनाने से ही कुछ लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है कि अपना पक्ष कमजोर कर लिया है। यही बात इस विधेयक के सम्बन्ध में आपत्तिजनक है, क्योंकि इस से विश्वास की बजाय लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न होती है कि वे सुरक्षित नही हैं।

डा० काटजू ने अपने वक्तव्य में दो कारण दिये थे। पहला यह कि एक आयोग नियुक्त कर दिया गया है और दूसरा यह कि इस विधेयक का समाप्त कर देना वांछनीय नहीं होगा। जहां तक आयोग का सम्बन्ध है, श्री दातार ने कहा है कि रिपोर्ट को दो मास और लगेंगे और सरकार कुछ समय बाद एक और विधेयक प्रस्तुत करेगी। इसलिये हमें इस विधेयक को पारित कर देना चाहिए और हमें सरकार को एक वर्ष की या जितनी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

अवधि आवश्यक हो दे देनी चाहिए । मैं इस से सहमत हूं ।

प्रेस विधि के सम्बन्ध में सब से पहली चीज़ जो सरकार को करनी चाहिए यह है कि वह एक नया विधेयक प्रस्तुत करे, जिस में राजद्रोह के सम्बन्ध में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५३-क और १२४-क को संयोजित किया जाये । इस समय स्थिति यह है कि सदन में कोई भी नहीं जानता कि राजद्रोह क्या है, क्योंकि इन दो धाराओं को संयोजित नहीं किया गया । सरकार को इस नये विधेयक में राजद्रोह की व्याख्या करनी चाहिए ताकि लोग यह जान सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिये । जहां तक गन्दे प्रेस का सम्बन्ध है, जहां तक अश्लीलता का सम्बन्ध है, सदन के सब सदस्य उपखण्ड ६ के पक्ष में हैं और इस का समर्थन करते हैं । हम सब चाहते हैं कि अश्लीलता और अशिष्टता को बन्द किया जाये ।

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : जो थोड़ा सा समय मेरे पास है, उस के अन्दर मैं एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करूंगा, जिस का किसी माननीय सदस्य ने अभी तक उल्लेख नहीं किया ।

मूल अधिनियम और इस विधेयक के समर्थक बार बार यह तर्क देते हैं कि मूल अधिनियम या इस विधेयक से प्रेस की स्वतंत्रता को जो भय होगा उस के विरुद्ध मूल अधिनियम में दी हुई न्यायायिक प्रक्रिया के द्वारा पर्याप्त संरक्षण दिये हुए हैं । यदि यह मान भी लिया जाये, तो क्या प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के भय के विरुद्ध पर्याप्त संरक्षण है ? मैं आप को बतलाना चाहता हूं कि इस विधेयक और मूल अधिनियम में बहुत से ऐसे उपबन्ध हैं जिन में बिल्कुल कोई न्यायिक संरक्षण नहीं है । उदाहरणतया धारा ११ को लीजिये । इस के अन्तर्गत सरकार को अधिकार दिया गया है कि वह केवल माहधिवक्ता का प्रमाण-पत्र लेकर और सरकारी गज़ट में अधिसूचित कर के किसी प्रकाशन को जब्त कर सकती है । इस तरह कोई भी प्रकाशक जिस ने अपने प्रकाशन पर अपना सारा धन लगा दिया है, बरबाद किया जा सकता है, चाहे उस के प्रकाशन में कोई भी आपत्तिजनक बात न हो । यह सब कुछ प्रकाशक को अपनी सफ़ाई का कोई अवसर दिये बिना किया जा सकता है और हमें कहा जाता है कि हम इस विधेयक को जारी रखें ।

धारा १२ और १३ के अधीन डाक के अधिकारी विदेशी डाक में हस्तक्षेप कर सकते हैं । धारा १२ के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जा सकता है और धारा १३ के अन्तर्गत डाक अधिकारियों द्वारा हस्तक्षेप के मामले में राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार की भी व्यवस्था नहीं है । धारा १४ के अधीन किसी भी पुलिस अधिकारी या इस विषय में राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्राप्त कोई भी व्यक्ति किसी अनधिकृत समाचार पत्र पर अधिकार कर सकता है और उस के अधिकार करने के पश्चात ही वह किसी प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट, ज़िला मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के पास जाता है । पहले प्रकाशन पर अधिकार कर लिया जाता है और हानि पहुंच जाती है । मामला उस के बाद न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाता है । प्रेस अधिनियम में इस प्रकार के उपबन्ध हैं । इन के होते हुए भी यह कहा जाता है कि हमें प्रेस की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप के विरुद्ध संरक्षण मिले हुए हैं । यदि यही न्यायिक प्रक्रिया है तो मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया है ।

अब हम यह देखते हैं कि यह न्यायिक प्रक्रिया क्या है । पहले यह प्रश्न उठता है कि

हम किस प्रकार की प्रेस स्वतंत्रता चाहते हैं। सब यह मानते हैं कि प्रजातंत्र को अच्छी प्रकार चलाने के लिए, इसे तानाशाही बनने से रोकने के लिए, यह आवश्यक है कि प्रेस सरकार की आलोचना कर सके और बिना भय के लोकहित सम्बन्धी सभी बातों के विषय में टिप्पणी कर सकें। यदि भय पैदा हो जाये तो उस के परिणाम अच्छे नहीं होंगे और वह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए घातक होगा।

इस विधेयक के द्वारा केवल उन समाचार पत्रों को छोड़कर, जो हर प्रकार से सरकार की आलोचना करने के लिये उद्यत हैं, जिन बातों पर सरकार तथा जनता के बीच घोर विवाद है, अन्य साधारण पत्रों का साहस टूट जायगा। इस प्रकार की स्वतन्त्रता से तो जनतंत्रात्मक सरकार को ही नष्ट कर देना होगा। इस प्रकार तो जनता की आवाज़ दब जायगी और सरकार की बात ही मान्य समझी जायगी।

इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है कि जब जज अथवा जूरी द्वारा न्याय किये जाने की व्यवस्था है, तो ज़मानत ज़ब्त हो जाने का भय पत्रों को क्यों रहता है। हो सकता है कि हमारे तथा जज के सोचने में अन्तर पड़ जाय। हो सकता है कि जज की धारणा यह बन जाय कि इस प्रकार का लिखना आपत्तिजनक सामग्री को प्रोत्साहित करने वाला हो। यह प्रेस (आपत्तिजनक सामग्री) अधिनियम की धारा ३ की व्याख्या २ से स्पष्ट हो जाता है कि यह जानने के लिये कि कोई सामग्री आपत्तिजनक है अथवा नहीं शब्दों तथा चिन्हों आदि पर विचार किया जायगा, समाचार पत्र के मालिक अथवा प्रकाशक के अभिप्राय पर नहीं। प्रकाशक कभी भी आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना नहीं चाहेगा। और यदि सेशन जज की सम्मति से उसने कुछ ऐसा कार्य किया भी है तो उसकी निन्दा की जाती है। उदाहरण स्वरूप कलकत्ता की पत्रिका ने किसी देश के सम्राट तथा मंत्रियों के लिये यह प्रकाशित कर दिया था कि वे विदेशी सत्ता के पिट्ठू हैं—समाचार-पत्र ने और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें दीं भी तो यथोचित नहीं थीं किन्तु इसी को ज़मानत मांगने का आभार मान लिया गया था। क्या इस का तात्पर्य यह नहीं है कि इस अधिनियम में समाचार पत्र की स्वतन्त्रता को कितना भय है?

समाचार पत्र में जो कुछ छपता है उस सबसे परिचित होने की आशा उसके मालिक से नहीं की जा सकती। डा० काटजू ने कुछ ऐसे उदाहरण दिये हैं जिनमें भद्दी सामग्री प्रकाशित की गई थी। मुझे विश्वास है कि किसी छोटे पत्र में यह चीज़ छपी होगी और प्रेस के मालिक को इसकी जानकारी नहीं होगी तो फिर इसका उत्तर-दायी वह क्यों ठहराया जाय?

यदि किसी समाचार पत्र के मालिक अथवा उसके प्रकाशक की आत्मा शुद्ध है और वह अपने को निर्दोश सिद्ध कर देता है तो भी सरकार उस पर अभियोग चलाती ही है। डा० काटजू ने कहा कि आपको न्यायालय में जज के सम्मुख जो कुछ भी कहना हो कह देना चाहिये किन्तु उसके लिये तो हज़ारों रुपये की आवश्यकता होती है। हो सकता है कि वह आलोचना पूर्णतः उचित हो फिर भला व्यर्थ ही में क्यों कठिनाई उठानी पड़ती है? मान लीजिये सेशन कोर्ट से मुक्ति भी मिल जाती है और अभियोग समाप्त हो जाता है तो वह बिल्कुल ही धनहीन हो जायगा। फिर भला ऐसी परिस्थिति में ऐसा कौन होगा जो विधि विरुद्ध अथवा अधिकारियों के विरुद्ध कुछ लिखना चाहेगा और अपनी दुर्गति कराने को तैयार होगा?

[श्री साधन गुप्त]

अतः इस विधेयक के लागू हो जाने से खतरा यह होगा कि वह बड़े बड़े समाचार पत्रों के मालिकों के मामले में लागू न होकर छोटे-छोटे लोगों को नष्ट कर डालेगा, जो बेचारे थोड़ी सी पूंजी से किसी प्रकार अपना काम चला रहे हैं।

इस अधिनियम का कार्यकाल दो वर्ष के लिये और बढ़ा देने के लिये हमसे कहा गया है। जब कभी अरोचक व्यवस्था की जाती है तो वह पहले तो अस्थायी रहती है और बाद को धीरे-धीरे उसे स्थायी स्वरूप दे दिया जाता है। ठीक यही निवारक निरोध अधिनियम के साथ भी हुआ है कि उसका समय बढ़ा दिया गया है। मैं समझता हूं कि यही इस विधेयक के साथ भी होगा।

दूसरी बात मुझे अपने दल को विदेशी सहायता मिलने के सम्बन्ध में कहनी है कि केवल किसी सभा विशेष में किसी विदेशी व्यक्ति की उपस्थिति से कोई दल विदेशी सहायता प्राप्त करने वाला नहीं कहा जा सकता। मेरी समझ में नहीं आता कि वह लोग जिन्होंने अमरीकी लोगों को कूटनीतिक सुविधायें दी हैं, हमारे देशभक्त दल पर यह आरोप लगाते हैं कि वह विदेशियों से सहायता चाहता है।

मैं विनम्रतापूर्वक उन सदस्यों से निवेदन करता हूं कि जो लोग यह कहते हैं कि चीन में नागरिक स्वतन्त्रता नहीं है, उन्हें चाहिये कि वे किसी ऐसे व्यक्ति से परामर्श करें, जो वहां हो आये हों, तो उन्हें ज्ञात हो जायगा कि रूस तथा चीन में प्रत्येक ईमानदार व्यक्ति को स्वतन्त्रता प्राप्त है। प्रत्येक महान व्यक्ति चीन तथा रूस की वैयक्तिक स्वतन्त्रता की प्रशंसा करता है।

पंडित के० सी० शर्मा (जिला मेरठ-दाक्षण) : संसद् ने जो कानून बना दिया है वही ठीक है। अब पुनः पीछे लौट कर यह नहीं कहा जा सकता कि जो सिद्धान्त स्वीकार कर लिये गये हैं वे गलत हैं। प्रमुख बात निश्चित करने की यह है कि इस कानून की कालावधि बढ़ाई जानी चाहिये अथवा नहीं।

इस प्रश्न का निर्धारण करने में दो बातों पर ध्यान देना होगा कि क्या यह कानून अनावश्यक है और दूसरी बात यह कि क्या इस कानून का इतना दुरुपयोग किया गया है कि समाचार पत्रों का कार्य चलना असम्भव हो रहा है। प्रथम के लिये यह देखना होगा कि क्या कार्यवाही की गई है; विमुक्तियों की संख्या कितनी है और दोष सिद्धि की अवस्था में सफल अपीलों की संख्या क्या है। दिये हुए तथ्यों से यह नहीं जान पड़ता है कि कानून अनावश्यक है। व्यर्थ की बातों को रखने तथा कटुता उत्पन्न करने से किसी का कोई लाभ नहीं होता। अब दूसरी बात के विषय में हमें यह जानना होगा कि कितनों पर अभियोग चलाया गया, कितने मामलों में लोग छोड़े गए और दण्ड दिये जाने वालों के विरुद्ध कितनी अपीलें स्वीकार की गई थीं। बहुत सी बातें इस विषय में कहीं गई थीं कि व्यक्ति की स्वतन्त्रता में कमी की जा रही है। राष्ट्र को बनाने में कुछ काट-छांट करनी पड़ती है, जिसका तात्पर्य होता है गलत चीज़ों को समाप्त करना। जब तक ऐसा नहीं होगा राष्ट्र रूपी भवन का निर्माण नहीं हो सकेगा। मेरा तो निवेदन यह है कि सम्पूर्ण स्वतन्त्रता हमको नहीं मिल सकती क्योंकि न तो हम एकान्त वन में रहते हैं और न मानवता के सर्वोच्च विकास की अवस्था में। अतः कुछ न कुछ प्रतिबन्ध सामान्य जीवन में रहेंगे ही, इसलिये नहीं कि प्रतिबन्ध बुरा होता है वरन्,

इसलिये कि हम एक दृढ़ राज्य तथा स्वस्थ जीवन का निर्माण करना चाहते हैं ।

श्री मुकर्जी ने कहा है कि वह सम्पूर्ण विश्व को बदलना चाहते हैं । ऐसा करने से पूर्व उसको जानना भी आवश्यक है । किसी भी वस्तु को तोड़ डालने से अच्छा उसमें सुधार करना है । अतः यदि उनमें सुधार हो सके तो अधिक अच्छा है । मनुष्य को स्वभाव से ही पहले वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, तत्पश्चात् उन पर चिन्तन करना और अन्त में कार्य करना चाहिये । श्री एंथनी ने बिना सोचे-समझे न जाने क्या-क्या कह डाला । उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिये था :

"कानून रहित कानून" के विषय में भी कहा गया था । अच्छा कानून देश का कानून होता है । जब प्रतिरक्षा का अधिकार है, गवाहों को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है, तो फिर इसमें कानून रहित कानून की क्या बात है ? आप इसे अनावश्यक कानून कह सकते हैं किन्तु कानून रहित कानून कहना उचित नहीं । चूंकि संविधि-पुस्तक कानूनी पुस्तक है अतः सिद्धान्त तो स्वीकार किया ही जा चुका है । अब इसके कालावधि को बढ़ाने का प्रश्न है । कहा गया है कि जूरी के अधिकारों में कटौती कर दी गई है किन्तु जूरी को तथ्यों का पता लगाने का अधिकार प्राप्त है । आपत्तिजनक विषय क्या होता है यह तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है । क्या दण्ड दिया जाय यह जज पर निर्भर करता है । अत : इसमें कोई त्रुटि नहीं है ।

श्री जी० एच० देशपांडे (नासिक—मध्य): मैं कम्यूनिस्ट दल के माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि रूस तथा चीन में स्वतन्त्र समाचार पत्रों की संख्या कितनी है और कितने लोगों को कम्यूनिस्ट दल के नेताओं की आलोचना करने की अनुमति है ? और यदि कोई ऐसा करता है तो इसका क्या मूल्य उसे चुकाना पड़ता है ? कहा यह गया था कि इस कानून से समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता कम हो जायगी किन्तु एक भी उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सका । आज समय बहुत कुछ बदल चुका है और उसके साथ ही मनोवृत्तियां तथा विचार धारायें भी । आज एशिया तथा अन्य देशों में चारों ओर महान परिवर्तन हो रहे हैं । कुछ ऐसे देश भी हैं जो जनतन्त्रवाद में विश्वास नहीं करते हैं । वे सारी शक्ति हड़पने की खोज में हैं । इससे संसार को हानि पहुंचने की ही सम्भावना है । हमने स्वतन्त्रता का महंगा मूल्य चुकाया है । इस समय परिस्थिति ऐसी है कि पता नहीं किस समय क्या हो जाय । हमारे देश में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जनतन्त्र में विश्वास नहीं करते हैं और अलग-अलग संगठन बनाते हैं किन्तु स्वतन्त्रता पूरी चाहते हैं । ऐसे लोगों को क्या स्वतन्त्रता दी जाय जिनको जनतन्त्र में विश्वास ही नहीं है ?

इन सभी बातों पर विचार करना है । हमें समाचार पत्रों की स्वतन्त्रता तथा जनतन्त्र की रक्षा करनी है जिसके लिये शक्तिशाली विधान बनाना होगा । हमारे जनतन्त्र की अभी शैशवावस्था है । अतः हमें इस प्रकार कार्य करना है कि जिससे उसको आघात न पहुंचे । हमें अपने समाचार पत्रों से भय नहीं है और न हमने उसकी स्वतन्त्रता को कम किया है । वे बड़ी भली प्रकार कार्य कर रहे हैं किन्तु अन्य देशों में कम्यूनिस्ट दल ने जो भय उत्पन्न कर दिया है उस पर भी हमें ध्यान देना है ।

मैं इस विधान का स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि कुछ वर्षों तक यह चलता रहे । यदि किसी भी व्यक्ति को स्वतन्त्रता

[श्री जी० एच० देशपाण्डे]

से प्रेम होगा तो वह निश्चय ही इससे सहमत होगा। आर० एस० एस० अथवा अन्य किसी भी दल के सदस्य के लिए अपने दल को एक दम छोड़ना सरल कार्य नहीं है। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि इसका उचित उपयोग किया जाय। कम्यूनिस्टों तथा साम्प्रदायिकतावादियों को सभी लोग भली प्रकार समझते हैं। जनतन्त्रवाद को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किसी को भी नहीं करने देना है। और इसीलिये मैं इसका समर्थन करता हूं।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करूंगा जिसे किसी माननीय सदस्य द्वारा उत्तेजित शब्द से विशेषित किया जा सके, यद्यपि स्वयं मुझे पर्याप्त रूप से, उत्तेजित होना पड़ा है। बहस अत्यंत शिक्षाप्रद रही है और मुझे विश्वास है कि सदन में जो कुछ कहा गया है उस पर माननीय सदस्य ध्यान देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि साम्यवादी दल के उपनेता की बातों पर देश विशेष रूप से विचार करेगा। उनका स्वर स्पष्ट था। उनके उद्‌गार थे: 'संसद् में हमारा एक उद्देश्य है, और संसद् के बाहर दूसरा उद्देश्य।'

एक माननीय सदस्य : यह भ्रामक है।

श्री ए० के० गोपालन : जो कुछ उन्होंने कहा वह भ्रमपूर्ण है। (अन्तर्बाधा) मैं फिर कहता हूं .... (अविरत अन्तर्बाधा)

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति। किसी भी दल के सदस्यों का इस तरह सदन में चिल्लाना वस्तुतः अनुचित है। मंत्री महोदय को कहने दीजिये। मैं सदन के प्रत्येक दल के सदस्यों से अपील करूंगा कि वह प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुने भले ही वह उसका समर्थन करें अथवा नहीं। यदि किसी सदस्य का यह विचार है कि उनकी बात गलत रूप में कही गई है तो मैं उन्हें अपनी बात सुनाने का अवसर दूंगा।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

डा० काटजू : मैंने साम्यवादी दल के उपनेता को यह **कहते** हुए सुना है कि उनका कार्य केवल संसद् में ही नहीं संसद् के बाहर भी है तथा वह जिस दर्शन में लीन ह उसमें अत्यधिक काम करने की आवश्यकता है। और उस दर्शन में,—नवीन विश्व की स्थापना में कुछ समय तक—उन्होंने समय की सीमा प्रकट नहीं की—दमन होगा, स्वतन्त्रता का आंशिक दमन। मैं आपको यह बता दूं कि जब उनका दर्शन साकार बनेगा तब प्रजातंत्र नहीं रहेगा। एक दूसरी ही सरकार होगी और कदाचित् उनकी दृष्टि से यह आश्चर्य-जनक, आत्मिकतायुक्त लोकहितकारी सरकार होगी। लेकिन जब इस सरकार की स्थापना होगी तब समाचार पत्रों का आंशिक दमन होगा। इस आंशिक दमन में लाखों व्यक्ति मौत के घाट उतार दिये जायेंगे, हमें यह बात साफ तौर पर जान लेनी चाहिये। (अन्तर्बाधा)

विरोधी दल के सदस्यों द्वारा इस विधेयक का विरोध करने पर मुझे आश्चर्य नहीं है। उन्होंने अपने दर्शन की भलीभांति विवेचना कर दी है। मैं ने अपने मित्रों से अनेक बार कहा है कि यह मुझे साम्यवादी दल का सदस्य समझें क्योंकि मैं ने इस विषय के विपुल साहित्य का अध्ययन किया है: सन् १९३३ में मैं ने इसकी विचारधारा की अनेक पुस्तकें पढ़ी हैं। इसलिये मैं जानता हूं उनका दिमाग़ किस तरह काम करता है। वह बड़े नमनशील और अदृढ़ हैं वह किसी

भी व्यक्ति के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हैं । राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, प्रजा-समाजवादी दल और प्रत्येक स्थान में जहां कहीं भी उन्हें अवसर मिलते हैं, ये साम्यवादी घुसना चाहते हैं । वह संसद् में भी घुस आए हैं । उनके कार्य की सीमा रेखा निश्चित है । संसद् में शायद वह अपना ढोल नहीं पीट सकते हैं । मेरा विचार है कि लापरवाही-वश माननीय मित्र ने यह कह दिया था कि साम्यवादी दल के विजयी होने पर देश के समक्ष कैसी स्थिति होगी; अन्यथा देश में प्रजातंत्र, प्रजातंत्र की सुरक्षा सदा विद्यमान है ।

उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश एक माननीय मित्र का सदन में भाषण सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गया । मैं उनका अभिप्राय नहीं समझ सका । उन्होंने कभी. . . . . (अन्तर्बाधा), मैं आपकी ओर देखूंगा । श्रीमान्, उनकी ओर नहीं । उन्होंने विधेयक के उपबंधों की ओर अपना दिमाग नहीं लगाया ।

यह एक गलत बात है । मेरे पास समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के विषय में सौष्ठवयुक्त बातचीत कर गर्वित होने का समय नहीं है । आपकी स्तुति के लिये समाचार पत्र हैं । इसके बाद आप सम्पादकों और पत्रकारों के कार्य के सम्बंध में बातचीत करते हैं । मेरे माननीय मित्र साम्यवादी दल के उपनेता ने कहा कि वह पत्रकारिता के वातावरण में ही पल्लवित एवं पुष्पित हुए हैं और उन्होंने कहा कि इस विधेयक के पारित हो जाने पर बेचारे श्रमजीवी पत्रकार को भूखों मरना पड़ेगा । उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों द्वारा संचालित पत्रों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा । श्रमजीवी पत्रकार की आजीविका छिन जाने से ही वह दिखावटी आंसू बहा रहे हैं । वह कुशल वक्ता ह । इस दिशा में मैं उनकी नकल नहीं कर सकता ।

हम सामान्य विधि और असामान्य विधियों के बारे में बातचीत कर रहे हैं । विधि जीवी और नागरिक की दृष्टि से मैं इस संसद् द्वारा पारित प्रत्येक विधि को सामान्य विधि की परिभाषा देता हूं । (अन्तर्बाधा) देश की विधि का निलम्बन करने वाला, कार्यपालिका सरकार का प्रत्येक कार्य असामान्य विधि है । आपात होने पर इंग्लैण्ड में बन्दी प्रत्यक्षीकरण का निलम्बन कर दिया जाता है । उसी तरह मान लीजिये कि यह संसद् कहती है कि कार्यपालिका सरकार लोगों को जेल भेज दे और दो वर्ष तक संसद् की बैठक न होने दे तो ऐसी अवस्था में कार्यपालिका प्रमुख बन जाती है और विधान मंडल तिरोहित हो जाता है, यह एक असामान्य स्थिति है ।

श्री एस० एस० मोरे : त्रावनकोर-कोचीन में क्या हुआ ?

डा० काटजू : माननीय मित्र संभवतः अनुभव करेंगे कि यह एक बहुत ही संगत प्रश्न है । मुझे प्रश्न की गंभीरता पर विचार करने के लिये २० मिनिट चाहिये ।

हम यहां क्या कर रहे हैं ? हम एक सामान्य विधि की रचना कर रहे हैं । यह संसद् द्वारा दो वर्ष के लिये पारित किया गया था । अब अगले दो वर्षों के लिये उस सामान्य विधि का विस्तार करने के लिये संसद् का आह्वान किया गया है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : कुछ संशोधनों के साथ :

डा० काटजू : इसे पारित करना अथवा न करना आपके निर्णय पर निर्भर

[डा० काटजू]

है । यह देश की ऐसी सामान्य विधि नहीं है कि जिसके खिलाफ पण्डित ठाकुर दास भार्गव की आत्मा रात्रि में रुदन कर उठे और सो न सके । इस तरह की कोई बात नहीं है । फिर इसमें क्या कठिनाई है ? समाचार पत्रों के पूर्व अधिनियमों में कार्य-पालिका प्रमुख बन गई और उसे सत्ता मिल गई । मुझे एक मामला स्मरण हो उठा है । यह एक विख्यात मामला है । मैंने अदालतों में प्रेक्टिस आरम्भ ही की थी । मेरा विश्वास है कि श्री मोहम्मद अली के मामले में श्री लारेंस जेंकिन्स और दो अन्य न्यायाधीशों के निर्णय से श्री एन० सी० चटर्जी परिचित होंगे । यह कार्यपालिका की कार्यवाही थी । कार्यपालिका प्रतिभूति मांगती है, वह प्रतिभूति ज़ब्त कर लेती है । न्यायालय अलग रख दिए जाते हैं । यह एक विशद अन्तर है । इस अधिनियम में, जो मेरे पूर्वाधिकारी द्वारा सन् १९५१ में पारित किया गया था, क्या परियोजना है ? श्री एन० सी० चटर्जी ने कभी इसकी ओर निर्देश नहीं किया । यह कार्यपालिका जन्म कार्यवाही है अथवा न्यायिक कार्यवाही?

हमने यहां प्रजातंत्र के क्रियात्मक रूप के विषय में सुना है; प्रजातंत्र की कुर्बानी नहीं करना चाहिये । प्रजातंत्र अभी अपने शैशव काल में है । उसका पोषण किया जाना चाहिये ताकि वह सबल बन सके । जब यह विधि पारित की गई थी तो कहा गया था कि यह पाशविक विधि है, अवैध विधि है । किसी ने कहा कि अन्तर्कालीन संसद् प्रतिनिधि संसद् नहीं है और जब जनता के प्रतिनिधि यहां आयेंगे तो वह इस पाशविक विधि को एक ओर रख देंगे । इसमें कौन सी पाशविकता है ? जब आप कहते हैं कि यह प्रजातंत्र है तो क्या आपका यह अभिप्राय है कि हमारे इस प्रजातंत्र में निर्बाध स्वतंत्रता होनी चाहिये । जनता को मंच पर अथवा समाचार पत्रों में कुछ भी कहने की स्वतंत्रता होनी चाहिये । यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है । क्या आप चाहते हैं कि प्रत्येक बात की स्वच्छंदता होनी चाहिये ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं ।

डा० काटजू : अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य, समाचार पत्र की स्वतंत्रता । आप कहेंगे नहीं, नहीं । मैं यह प्रश्न उन मित्रों के समक्ष रखूंगा जो बहुत ही संवेदनशील हैं, जो प्रजातंत्र के सम्बन्ध में इतने आतुर हैं । जहां तक मुझे मालूम है दंड संहिता के अधीन, जो भी व्यक्ति हत्याकार्य में उत्तेजना देता है वह मृत्यु दण्ड का भागी बन जाता है । (अन्तर्बाधा) वह आजीवन कारावास पाता है । यह एक आपत्तिजनक विषय है ।

एक माननीय सदस्य : आप समाचार पत्रों के प्रति इतने उदार क्यों है ?

डा० काटजू : यदि आप इस स्वतंत्रता का हरण कर लेंगे तो परिणाम यह होगा कि प्रजातंत्र कुचल दिया जायेगा और आप किसी पाशविक कार्य का सहारा लेंगे ।

तृतीय, खाद्य अथवा दूसरी सारभूत वस्तुओं के सम्भरण और वितरण या सारभूत सेवाओं में हस्तक्षेप करने के लिये किसी व्यक्ति को उत्तेजित या प्रोत्साहित करना ।

चतुर्थ, संघ की सशस्त्र सेना अथवा पुलिस के किसी सदस्य को अपने निष्ठापूर्ण कार्य अथवा कर्त्तव्य से शीलभ्रष्ट करना ।

क्या आप चाहते हैं कि समाचार पत्रों अथवा किसी भी व्यक्ति द्वारा इस तरह के कार्य बे रोकटोक किये जायें । मुझे मालूम है ऐसे काम किये जा रहे हैं और

माननीय सदस्य इस तथ्य से पूरी तरह परिचित नहीं हैं कि चुनाव भाषणों की पृष्ठभूमि में क्या हो रहा है । क्या यही समाचार पत्रों की स्वतंत्रता है ?

इसके बाद भारत की जनता के विभिन्न वर्गों में शत्रुता, अथवा घृणा उत्पन्न करने वाली बातें हैं । मैं हिन्दू-मुसलमान प्रश्न अथवा हिन्दू-सिख या हिन्दू-क्रिश्चियन प्रश्न की ओर निर्देश नहीं कर रहा हूं । विभिन्न वर्गों में परस्पर शत्रुता अथवा घृणा को बढ़ावा देने वाले कार्य प्रजातंत्र के लिये घातक हैं । माननीय मित्र श्री चटर्जी से मेरा आग्रह है कि वह उर्दू अथवा हिन्दी भाषा में निकलने वाले हिन्दू समाचार पत्रों को पढ़ें और हैदराबाद में छपने वाले मुसलमान समाचार पत्रों को भी पढ़ें तो उन्हें मालूम होगा कि देश में क्या हो रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जान बूझकर उन पत्रों का नाम नहीं लेना चाहता हूं । दूसरे मेरा विचार है कि मैं उनका विज्ञापन नहीं करना चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । सदन के समक्ष विधेयक रख कर यह कहने में क्या लाभ है कि मेरे पास समस्त सामग्री है ? वह सब सामग्री माननीय सदस्यों में परिचारित होनी चाहिये । माननीय मंत्री इस सदन के सम्मुख ही नहीं अपितु समस्त विश्व के प्रमुख बोल रहे हैं । यदि माननीय मंत्री सदन के सामने समस्त सामग्री प्रस्तुत करना चाहते हैं तो मैं किसी भी समय तक बैठने के लिये तैयार हूं । प्रारम्भ में यह विधेयक दो वर्ष के लिये ही रखा गया था लेकिन जब वह इस अवधि को और दो वर्ष के लिये बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें सदन को यह बताना चाहिये कि यह विधेयक कैसा चला ।

डा० काटजू : वह अपने समाचार पत्रों 'सर्चलाइट', 'स्पाटलाइट' तथा 'ब्लिट्ज़', को पढ़ लें । निस्सन्देह उनका रवैया ऐसा रहता है जैसे वह कुछ जानते ही नहीं हैं । उन्हें इस तरह की विचारधारा को पढ़ लेना चाहिये । संख्या (६) का सम्बन्ध ऐसे लेखों से है जो कि 'अत्यन्त ही अशिष्ट, अथवा अपमानजनक अथवा अश्लील अथवा किसी को बदनाम करने के लिये हों'।

पहली बात जो मैं सदन से पूछना चाहता हूं यह है कि क्या किसी व्यक्ति की राय में लोकतंत्र के विकास के लिए इस तरह के लेख आदि लिखने की अनुमति दी जानी चाहिये ? मेरे माननीय मित्रों ने बार बार कहा कि यह कांग्रेस सरकार है ; तरह तरह की बातों में इसका अपना हाथ रहता है ; इसका कथन एक तथा इरादा दूसरा होता है; इस विधेयक की कालावधि बढ़ाने का प्रयोजन शान्ति तथा व्यवस्था स्थापित नहीं करना है अपितु राजनीतिक दलों अथवा राजनीतिक विरोधियों को दबाना है । मैं माननीय सदस्यों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं : चूंकि यह आपत्तिजनक लेख है, क्या इसका किसी राजनीतिक दल से कोई सम्बन्ध है ? सैनिकों की निष्ठा में दरार डालना हिंसा को प्रोत्साहन देना, आवश्यक सम्भरण में हस्तक्षेप करना, विभिन्न पार्टियों में शत्रुता पैदा करना—इन सभी बातों में, आखिर राजनीतिक दलों का प्रश्न कहां आता है ? यह एक महत्वपूर्ण बात है । आप कार्यपालिका को इस सम्बन्ध में कोई पूर्ण अधिकार नहीं दे रहे हैं कि यदि राष्ट्रपति अथवा सरकार किसी लेख को आपत्तिजनक ठहरायेगी तो यह पर्याप्त होगा तथा कोई व्यक्ति उसे चुनौती नहीं दे सकेगा । यह विशिष्ट मामले हैं जिनका सम्बन्ध हिंसा का प्रचार रोकने की कोशिशों से है, जिनका सम्बन्ध सेनाओं की निष्ठा को यथावत रखने तथा विभिन्न

[डा० काटजू]

जातियों में मेल मिलाप तथा मित्रता रखने और ग़ैर-ज़िम्मेदार समाचार पत्रों को रोकने से है । राजनीतिक दलों का प्रश्न कहां आ जाता है ? क्या कहीं ऐसी कोई घटना हुई है जिसका कि हमें दृष्टांत दिया गया है । मेरे मित्र श्री दातार ने सदन से ऐसा कोई उदाहरण देने के लिए कहा, किन्तु ऐसी कोई घटना हमारे समक्ष नहीं रखी गई जहां कि कांग्रेसियों ने इस के सहारे से अपनी राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध कार्यवाही की हो । श्री चटर्जी एक अच्छे वक्ता हैं । मुझे उन से प्रेम है तथा मैं उनकी प्रशंसा करता हूं । एक वकील अथवा जज की हैसियत से उन्हें ब्रिटिश शासन काल में पास किए गए कानून तथा १५९१ में संसद् में पास किए गए कानून में अन्तर जान लेना चाहिये था, पंडित भार्गव ने स्वर्गीय श्री सपरू तथा श्री एस० पी० सिन्हा का ज़िक्र किया । पहिला प्रेस अधिनियम श्री एस० पी० सिन्हा के कार्यकाल में पास किया गया था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : उन्होंने इस मामले पर स्तीफा दिया था ।

डा० काटजू : वह तो बिल्कुल एक दूसरी बात है । उन्होंने पहले कार्यपालिका को पूर्ण अधिकार दिया फिर उन्होंने उच्च न्यायालय में प्रार्थना करने की रियायत दी जो कि एक गौण बात थी । मुहम्मद अली के मामले में सर लारैंस जेन्किन ने जो फैसला दिया था, वह आपके सामने है तथा उस में आप देख पायेंगे कि पूर्णतः निरर्थक था । संसद् ने १९५१ में क्या किया ? किसी प्रकाशन के मामले में न्यायिक कार्यवाही होगी-–क्या राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार उसे ज़ब्त कर सकती है ? मेरे पास एक ख़रीता है जिस में कहा गया है कि प्रेस ज़ब्त किया जायगा, परन्तु क्या वह इसे ज़ब्त कर सकते हैं ? कृपया एक बात याद रखिये—–कोई एक लेख लिखने पर ऐसा नहीं होगा । सरकार को इस बात का संतोष होना चाहिये कि किसी निषिद्ध बात को करने के लिए निरन्तर रूप से कोशिश की जा रही है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक टैक्निकल सवाल उठाया । उन्होंने कहा कि 'complaint' ["फरियाद"] शब्द की दंड प्रक्रिया संहिता में परिभाषा दी गई है । परन्तु यहां शब्द 'complaint' ['फरियाद]' को रखा गया है । सरकार क्या करती है ? वह सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में फरियाद दायर करती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इसका यहां गलत प्रयोग हुआ है ?

डा० काटजू : चाहे इसे गलत प्रयोग किया गया है अथवा सही, यह यहां दिया गया है । फरियाद दायर की जाती है-– किसी दंडाधीश के समक्ष नहीं अपितु सत्र न्यायाधीश के समक्ष । सत्र न्यायाधीश इसे दाखिल करता है । तथा इसे दाखिल करने के पश्चात् वह दूसरे पक्ष के नाम नोटिस जारी करता है । साक्ष्य दी जाती है । सर लारैंस जेन्किस ने मुहम्मद अली के मुकदमे में शिकायत की कि 'हमारे पास कोई तथ्य नहीं है-–हमें मालूम नहीं कि क्या क्या सरकार का कहना सही है अथवा गलत । यहां यह एक नियमित फौजदारी मुकदमा है' ।

मेरे पास आंकड़े हैं—मैं इन्हें सदन के समक्ष रख दूंगा—–कि कानूनी कार्यवाही कई सप्ताहों तथा महीनों तक जारी रहती है । कई राज्य सरकारों का कहना है कि प्रक्रिया

इतनी दीर्घसूत्री है कि वह ऐसे मामलों को छोड़ ही देना चाहते हैं। किन्तु इसके बावजूद वह फरियाद दायर करते हैं। कहने का उद्देश्य यह है कि यह कार्यपालिका के हाथ में नहीं है। यह काम न्यायिक कार्यवाही से शुरू होता है।

किसी माननीय सदस्य ने—मेरे विचार में श्री साधन गुप्त ने—कहा कि पैसा खर्च किया जा रहा है। परन्तु किया क्या जाये? समाचार पत्रों में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हत्या के लिए प्रेरणा अथवा उत्तेजना होती है। साक्ष्य क्या है? क्या आप चाहते हैं कि लेखक अथवा प्रकाशक पर हत्या-उत्तेजना का, जिसके लिए आजीवन कारावास का दंड है, अभियोग चलाया जाये? मैं यह कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं।

कुछ माननीय सदस्य : क्यों नहीं। (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं ने सभी पक्षों को बोलने का अवसर दिया। क्या यह आवश्यक नहीं कि सरकार को भी स्पष्टीकरण का मौका दिया जाये यद्यपि उनकी कुछेक बातें कुछ माननीय सदस्यों के पसंद की न हों? यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मैं सुन नहीं पाता हूं, लोग सुन नहीं पाते हैं।

डा० काटजू : मैं उनकी हंसी का अभ्यस्त हुआ हूं, वह नहीं कि वह प्रसन्नचित्त हो रहे हैं। तर्कों का जवाब वह अन्तर्बाधा से ही देते हैं।

मैं 'हत्या के लिए उत्तेजना' की बात कर रहा था। श्री वैंकटारमन ने कुछ लेखों का उल्लेख किया जो कि समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं—मुझे मालूम नहीं कि इन्हें किस नाम से पुकारा जाता है ....

एक माननीय सदस्य : द्राविड काजगम।

डा० काटजू : हर कोई व्यक्ति जो कि तामिल साहित्य पढ़ता है, इसे जानता है। माननीय सदस्यों को मालूम है कि किस तरह लिखा जाता है कि सिर काटे जायेंगे तथा उत्तर-भारतीयों को मार डाला जायेगा।

एक माननीय सदस्य : हमें इस की कोई जानकारी नहीं।

डा० काटजू : आप बड़े निरीह हैं।

जब मैं ने निवेदन किया कि यह एक साधारण आदेशिका है तथा एक नर्म आदेशिका है तो मेरी आलोचना की गई। आप कौन सी बात पसंद करेंगे? कोई पुस्तक, समाचारपत्र अथवा लेख है जिस में कि हत्या के लिए उत्तेजना मौजूद है। उसका लेखक आपके सामने है। (अन्तर्बाधा)। यदि किसी व्यक्ति को गोली से उड़ा देंगे तो क्या इस सम्बन्ध में किसी प्रमाण की आवश्यकता है? प्रमाण तो वहां मौजूद है तथा हत्यारे को फांसी की सज़ा दी जा सकती है। इसी तरह से यदि इस आशय का कोई प्रकाशन हो तो माननीय सदस्य प्रेस को, तथा श्रमजीवी पत्रकारों अथवा सम्पादकों को क्या करना चाहेंगे। उन्हें चेतावनी देनी अथवा उन से ज़मानत मांगने की बजाय हमें उन पर फौजदारी मुकदमा चलाना चाहिये जिस में कि अभियुक्त को कैद की सज़ा अथवा फांसी की सज़ा मिलने की संभावना है। क्या श्री चटर्जी इस बात को पसंद करेंगे? विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों ने यह कार्यप्रणाली अपनाई है कि इस सदन के अन्दर तथा इस से बाहर सुन्दर भाषण दिए जायें तथा जनता की नज़रों से वह सभी उपबन्ध दूर रखे जायें जो कि इस अधिनियम में रखे गए हैं तथा जिनके आधार पर एक न्यायिक मामला बन गया है। मैं इसी बात को बार बार दुहराना

[डा० काटजू]

चाहता हूं। मैं इसे पार्टीबाज़ी का मामला नहीं बनाना चाहता हूं। पंडित भार्गव ने कहा कि १९५१ में कोई बात हो रही थी। परन्तु आज १९५४ में क्या हो रहा है ? हम संसद् में वाद विवाद सुनते रहते हैं, विदेशी वाद विवादों को सुनते रहते हैं तथा समाचारपत्र पढ़ा करते हैं। आज देश में क्या हो रहा है ? हमें इसकी जानकारी नहीं। हमें आज की गम्भीर स्थिति की जानकारी नहीं। कलकत्ते में क्या हो रहा है ? हड़तालों पर हड़तालें हो रही हैं। मुझे मालूम नहीं कौन इन गतिविधियों को प्रोत्साहन देता है—लखनऊ में तथा अन्य स्थानों पर। देश में गड़बड़ है। कोई देश का अंगभंग करना चाहता है। मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों के विरुद्ध कुछ कहना नहीं चाहता हूं, वे तो परम देशभक्त हैं। वे देश का सर्वांगी एकीकरण चाहते हैं। परन्तु ज़माना ख़तरनाक है हमें आंखें मूंद के नहीं बैठना चाहिये। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिये तथा यदि कोई आपात उत्पन्न हो जाये तो हम इसे उस समय पास करेंगे ....

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं ने ऐसा कभी नहीं कहा।

डा० काटजू: यदि आप ने ऐसा नहीं कहा तो मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूं। परन्तु कभी ऐसा भी हो जाता है कि लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने वास्तव में क्या कुछ कहा था।

पंडित ठाकुर दास भार्गव: मैं ने कभी ऐसा नहीं कहा, अपितु यह शब्द मेरे नाम से कहे जाते हैं।

डा० काटजू: मेरे कहने का आशय यह था कि उन्होंने इस विधेयक की निंदा की। वह सर रिजेनाल्ड मैक्सवेल तथा सर तेज बहादुर सपरू के दिनों की बात करते रहे तथा उसके आधार पर उन्होंने कहा कि कार्यपालिका सरकार जनाधिकार तथा समाचार पत्रों की आज़ादी को कुचल रही है। ऐसा कहना गलत है, निराधार है तथा अनुचित है। यह कथन इस अधिनियम से भी न्याय नहीं करता है। इसे ज़रा देखिये। इस में न्यायसभ्य की व्यवस्था रखी गई है। मुझे मालूम नहीं कि क्या उन्हें न्यायसाव पसंद है अथवा नहीं। वह साधारण न्यायसभ्य चाहते हैं। यहां तो व्यावसायिक न्यायसभ्य की व्यवस्था रखी गई है। इस में सत्र नयाधीश के लिए उपबन्ध रखा गया है। सत्र न्यायाधीश बड़े अनुभव का न्यायपाल अधिकारी होता है। दंडाधीश सरकार के दबाव में आ सकता है। परन्तु सत्र न्यायाधीश पूर्णतः स्वतंत्र, निर्भय तथा विश्वसनीय होता है। वह मामला दाखिल करेगा। वह इसका स्वयं अथवा न्यायसभ्य की सहायता से फैसला करेगा। इसके बाद साक्ष्य ली जायगी। फिर सभी लिखित सामग्री की जांच की जायगी तथा फैसला दिया जायगा। हो सकता है कि न्यायाधीश अपना फैसला सुनाते हुए क कि चूंकि अभियुक्त ने अपने किये पर खेद प्रकट किया है, इसलिए उसे केवल चेतावनी देना ही पर्याप्त होगा। अथवा वह कहे कि यह मामूली बात है तथा इस आधार पर वह अभियुक्त को बरी करे। यदि राज्य सरकार तीन हज़ार की जमानत की मांगें करे, तो हो सकता है कि जज केवल एक हज़ार की ज़मानत लेने पर संतोष करे। यहां से फैसला होने पर हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। न्यायिक प्रक्रिया के लिए आप और क्या चाहते हैं ?

श्री नम्बियार: कुछ भी नहीं।

डा० काटजू: श्री चटर्जी और क्या चाहते हैं यदि वह यह न चाहते हों कि

इस विधेयक को खत्म किया जाये तथा अभियोग पर भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत अभियोग चलाया जाये तथा उसे जेल आदि का दंड दिया जाये ।

आज प्रातः जब मैं इस विधेयक पर विचार कर रहा था तो मैं ने एक प्रारूप विधेयक बनाया । क्या आप इसे इस रूप में पसंद करेंगे ?

कुछ माननीय सदस्य : हां, पढ़ लीजिये ।

डा० काटजू : "जो कोई भी व्यक्ति किसी रूप में इस प्रकार के (अर्थात आपत्तिजनक) ....लेख आदि प्रकाशित करेगा, उसे दो वर्ष क़ैद तथा पांच हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा दी जा सकती है ; तथा यदि वह उस प्रेस का जहां कि वह लेख आदि छापे गए हों, मालिक हो तो न्यायालय उस प्रेस को ज़ब्त करने का आदेश देगा; तथा उसका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया जायगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी : हम ने निवेदन किया कि हम इसे सामान्य विधि के रूप में चाहते हैं ।

डा० काटजू : ज्यों ही आप कोई उपबन्ध दंड विधान में रखेंगे तो यह सामान्य विधि का रूप धारण करता है ।

श्री वी० जी० देशपांडे : यह बहुत नर्म है ।

डा० काटजू : गत दो दिनों के वाद विवाद को सुनकर में इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह वास्तविकता से कुछ परे रहा है । अभिव्यक्ति के स्वातंत्र्य तथा समाचार पत्रों के स्वातंत्र्य रूपी देवता को श्रद्धांजलि पेश की गई है, परन्तु माननीय सदस्यों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि इस विधेयक की पीठ पर क्या चीज़ है तथा स्थिति की अपेक्षाएं क्या हैं ।

मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं परन्तु यदि इस विधेयक के लिए कोई औचित्य नहीं था, तो कम से कम मेरे माननीय मित्र श्री एच० एन० मुकर्जी का भाषण इस विधेयक को पास करने के लिए पर्याप्त औचित्य है । उन्हें अपने संघटन पर अभिमान है जो कि सारे देश में फैला हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय मंत्री अपना भाषण अभी समाप्त करना चाहते हैं अथवा क्या वह कल भी इसे जारी रखना चाहते हैं ?

डा० काटजू : मैं कल भी इसे जारी रखूंगा ।

इसके पश्चात् सभा, शुक्रवार, १२ मार्च, १९५४ के एक बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

GIPD—HS—7 PSD—31-7 54—285